पंचम माला, खंड 50, अंक 30, बुधवार, 9 अप्रैल, 1975/19 चैत्र, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. L, No. 30, Wednesday, April 9, 1975/Chaitra 19, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. L contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

19 LSS/75—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 30, बुधवार, 9 अप्रैल, 1975/19 चैत्र, 1897 (शक)

No. 30, Wednesday, April 9, 1975/Chaitra 19, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 566, 569 से 572 और 574 से 576	Starred Question Nos. 566, 569 to 572 and 574 to 576 . . .	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 568, 573 और 577 से 586	Starred Question Nos. 568, 573 and 577 to 586	17
अतारांकित प्रश्न संख्या 5477 से 5487, 5489 से 5514, 5516 से 5527, 5529 से 5581, 5583 से 5617, 5619 से 5633 और 5635 से 5676	Unstarred Question Nos. 5477 to 5487, 5489 to 5514, 5516 to 5527, 5529 to 5581, 5583 to 5617, 5619 to 5633 and 5635 to 5676	23
श्री मोरारजी देसाई के उपवास के बारे में	Re. Shri Morarji Desai's Fast .	124
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	129
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने के समाचार	Reported Closure of Jawaharlal Nehru University	129
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	133
54वां प्रतिवेदन	Fifty-Fourth Report . . .	133
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings. .	133
57वां, 58वां और 59वां प्रतिवेदन	Fifty-seventh, Fifty-eighth and Fifty-ninth Reports	133
सीमेंट उद्योग संबंधी प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय सम्बन्धी वक्तव्य	Statement Re. Government's Decisions on Tariff Commission's Recommendations on Cement Industry . .	133
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya . . .	133
समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees . .	134

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
एक. प्राक्कलन समिति	I. Estimates Committee . .	134
दो. लोक लेखा समिति	II. Public Accounts Committee .	134
(ख) लोक लेखा समिति में सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये राज्य सभा से सिफारिशें	(b) Recommendations to Rajya Sabha to nominate Members to Public Accounts Committee	134
तीन. (क) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	III. (a) Committee on Public Undertakings	135
(ख) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये राज्य सभा से सिफारिशें	(b) Recommendations to Rajya Sabha to nominate Members to Committee on Public Undertakings . .	135
संविधान (37वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Constitution (Thirty Seventh Amendment) Bill **Introduced** . .	136
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377 . .	136
भारतीय समाचार चित्र से पीप्लज मार्च टू पालियामेंट का निकाला जाना	Deletion of Peoples March to Parliament from Indian News Review . .	136
अनुदानों की मांगें 1975-76	Demands for Grants 1975-76 . .	137
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation .	137
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel .	137
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	138
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	139
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	140
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh . .	141
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	141
श्री तुला राम	Shri Tula Ram	142
श्री सुब्रोवेलु	Shri Subravelu . .	143
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	145
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	146
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	146
श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup . .	148
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	148
श्री बशेश्वर नाथ भार्गव	Shri Basheshwarnath Bhargava	149
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	150
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	150
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Smt. Bhargavi Thankappan	151
श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे	Shri Annasaheb P. Shinde	152

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 9 अप्रैल, 1975/19 चैत्र, 1897 (शक)
Wednesday, April 9, 1975/Chaitra 19, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार योजनायें

*566. **श्री बी० आर० शुक्ल :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित और अनुरक्षित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क), (ख) योजना आयोग बेरोजगार व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित नहीं करता है। बहरहाल, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 27वें दौर के आंशिक सारणीकरण पर आधारित, ग्रामीण और शहरी

दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के कुछ अनुमान उपलब्ध हैं, और इन्हें नीचे दिया जा रहा है :—

पांच वर्ष और इनसे अधिक की जनसंख्या पर बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2.98	3.57
बिहार	2.15	2.42
गुजरात	1.10	1.27
हरियाणा	0.74	2.27
केरल	5.16	6.14
उड़ीसा	2.31	2.22
पंजाब	0.84	2.02
राजस्थान	2.58	1.66
तमिल नाडु	2.00	3.09

अन्य राज्यों के बारे में ऐसे ही अनुमान निर्माणाधीन हैं।

(ग) अधिकांश रोजगार अवसर पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में निहित विकास की कार्यनीति के क्रियान्वयन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। कृषि विकास, सिंचाई और बड़ी सिंचाई प्रणालियों के कमान क्षेत्रों के विकास, भू-संरक्षण, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, बड़े, मध्यम और लघु उद्योग के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य और अन्यान्य एवं सम्बद्ध सेवाओं के विकास से शहरी क्षेत्रों में रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा आदि सामाजिक सेवाओं के विस्तार से भी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में लोगों के लिये रोजगार उत्पन्न होते हैं। योजना के उद्देश्यों के अनुकूल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिए गए हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल : सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार योजना आयोग ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों के कोई आंकड़े तैयार नहीं करता और ना ही बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की कोई योजना है। क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि मितव्ययिता उपायों और निरन्तर चल रही मुद्रास्फाति की आड़ में वस्तुतः कोई योजना नहीं चल रही है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसी बात नहीं है कि हमने योजना की छुट्टी कर रखी है। बहुत सी कठिनाईयों के बावजूद हम पांचवीं योजना पर अमल कर रहे हैं। हमने आयोजना के विचार अपना कार्यनीति का परित्याग नहीं किया है। पांचवीं योजना में किए गये प्रमुख उद्देश्यों की ओर हम पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहें हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या 1971–72 में आरम्भ की गई ग्रामीण लोगों को रोजगार दिलाने सम्बन्धी योजना का परित्याग कर दिया गया है और यदि हां तो क्यों ?

श्री विद्या·चरण शुक्ल : योजना से प्राप्त होने वाले परिणामों को उस पर होने वाले व्यय के अनुरूप नहीं पाया गया । इसलिये हमने दूसरी योजनायें आरम्भ कर दी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनाने में अधिक सब उपयोगी सिद्ध होंगी ।

Shri Ram Kanwar : How will the Socialism be ushered in, when Government are not formulating schemes for providing employment to the unemployed ? When will a scheme for the purpose be formulated ?

Shri Vidya Charan Shukla : I share the concern of the Hon'ble Member for the unemployed people. We have formulated many schemes and are acting upon them, though with not much success. But, nevertheless, we have not abandoned our efforts.

Smt. Sahodarabai Rai : May I know whether this employment scheme is limited to urban areas only or it has been extended to the rural areas as well ?

Shri Vidya Charan Shukla : Most of our programmes cover rural areas and the unemployment problem exists in the rural areas. So it is not that that we are not paying attention to the rural areas. On the contrary we are paying more attention to the rural areas.

Shri Narsingh Narain Pandey : Has the Hon'ble Minister received certain schemes from various states for providing employment in rural and urban areas and if so, what decisions have been taken for their implementation ?

Shri Vidya Charan Shukla : As far as I remember we have received two schemes, one from Maharashtra and another from Kerala and we have approved of them. We are watching their progress and on the basis of the experience gained from them, we will further implement such schemes.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the reply, the Hon'ble Minister has stated that the Planning Commission does not collect the statistics of unemployed persons. Then who does that ? Can Government formulate any scheme for providing employment to the unemployed people without ascertaining their number ?

Shri Vidya Charan Shukla : National Sample Survey collects such statistics and we make full use of them. Such statistics are also collected in the course of the census after every 10 years, in a general way. Planning Commission does not collect such statistics.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can the National Sample Survey ascertain the number of all the unemployed in the country ? It is not correct that the Census Offices had collected the statistics of the unemployed. Don't the Government have the statistics to show the number of the unemployed in the country ?

श्री डी० बसुमातारी : उच्च स्तरीय समितियों में जिनकी सभापति प्रधान मंत्री हैं, राष्ट्रीय योजना और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के सन्दर्भ में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की गई थी । मेरे पास उस चर्चा की कार्यवाही है । सरकार ने इस नीति को स्वीकार किया था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा । यदि इन जातियों के लिये आरक्षित कोटे को नहीं भरा पाता तो रोजगार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने अपनी सभी रोजगार योजनाओं में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों को प्राथमिकता दी है । यह हमारी नीति ही नहीं बल्कि विशेष प्रयास रहा है । हमे इसमें कहां तक सफलता मिली है यह दूसरी बात है । किन्तु हमारा लक्ष्य यही रहा है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : फिलहाल के आंकड़ों से पता चला है कि अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रहे लोगों की अपेक्षा प्रभावशाली लोगों के पुत्रों और पुत्रियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं । योजना आयोग समाज के दुर्बल वर्गों के पुत्रों और पुत्रियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने बहुत बढ़िया बात कही है और हमें इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यह हो कैसे ? हम किस प्रकार प्रभावशाली लोगों को रोकें जिसमें दूसरे लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें । यह किन्हीं क्षेत्रों में अधिक कार्य करके ही सम्भव है । किन्तु मेरे विचार में इसके लिये कोई संस्थागत अथवा कानूनी व्यवस्था नही की जा सकती ।

श्री मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री वी०पी० नायक ने कांग्रेस के बोर्डे शिविर में कहा था कि ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना जैसी योजनायें सफल नही हो सकती क्योंकि लगता है कि केन्द्रीय सरकार को इन योजनाओं के गुण-दोषों के बारे में पता नहीं है और इन योजनाओं के लिये पर्याप्त सफलता नहीं दी जा रही है । क्या सरकार अपने रवैये में सुधार करेगी और उस महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वियन के लिये और अधिक आर्थिक सहायता देगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने भूतपूर्व मंत्री की बात सही तरीके से नही कही है । उन्होंनों यह कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छी योजना बनाई थी और वह केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी गई है और केन्द्रीय सरकार के सहयोग के बिना वह समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकती . . . (**व्यवधान**)

योजना पर चर्चा के दौरान उन्होंने यह बात कही थी । योजना पर चर्चा के दौरान जब श्री नायक महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे तब हमें उनके और महाराष्ट्र सरकार के विचार जानने का अवसर मिला था । एक प्रश्न के उत्तर में हम पहले बता चुके हैं कि यहां कहीं भी आर्थिक क्रियाकलाप में सुधार की गुंजाइश है अथवा लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकता है हमने ऐसी योजनाओं का समर्थन किया है और कर रहे हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

कोयले के मूल्यों का सीमेन्ट के उत्पादन पर प्रभाव

*560. **श्री हरी सिंह :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण सीमेन्ट के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रशुल्क आयोग द्वारा 1974 में प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिश किए गए फार्मूले के अनुसार सरकार कोयले के मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सीमेंट के कारखाने से निकलते समय के सन्धारण मूल्यों में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को बढ़ोतरी करने पर सहमत हो गई है।

Shri Hari Singh : May I know the production of cement after the escalation was granted, the sector of the society to which it was distributed, which section was benefited thereby and the names of the parts of the country which received the benefit ?

Shri B. P. Maurya : I have already stated that the coal prices hike did not upset cement production.

For answering the other question, I require notice.

Shri M. Ram Gopal Reddy : Coal prices hike led to cement price hike. How long will it go on ? May I know whether Government are taking certain steps to control the coal price ?

Shri B. P. Maurya : According to the recommendations of the Tariff Commission, it has been decided that with the increase in the prices of other commodities, the prices of cement will be increased from the 1st July. If the price of coal is increased by Rs. 20 per quintal, the price of cement would be increased by 56 paise per quintal and to guard against the decline in efficiency and misuse of coal, the price of cement should be increased by 50 paise and this ratio has been maintained. It has become a sort of a rule.

गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में विद्युत सप्लाई

\+

*570. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रदेश में विद्युत सप्लाई में कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इसका उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) विद्युत सप्लाई में यह कटौती कब तक जारी रहेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) : सौराष्ट्र क्षेत्र सहित, गुजरात राज्य में कोई उर्जा कटौतियां लागू नहीं हैं। परन्तु सितम्बर, 1974 से शिखरण (पीकिंग) क्षमता में कमी रही है जिससे बारी बारी से छुट्टियां करके उद्योगों द्वारा पीक (शिखर) मांगों में स्वेच्छा पूर्वक कमी आदि करके पूरा किया जा रहा है। बहरहाल, ऐसे भी कुछ अवसर रहे हैं जब उत्पादन यूनिटों के बन्द होने तथा वोल्टता पात के कारण कुछ लोड शेडिंग करनी पड़ी थी। गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की सूचना के अनुसार अब तक औद्योगिक उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

Shri Arvind M. Patel : In the statement, the Hon'ble Minister has stated that there is no powe1-shortage in the rural areas but when I went to villages, I found that for the last two months, there has been no power-supply there. Will the Government look into it and find out the truth ?

Shri K. C. Pant : As per the information received from Gujarat Government, no power cuts have been applied there and the position there is the whole satisfactory. Actually in April, their full requirement of 20 million units was supplied daily. However, in January, one of the units in Tarapur was closed down for overhauling. There is one Ukai Unit No. 1 that was also closed down for inspection and annual maintenance. There are two small thermal units in Saurashtra. There is shortage of water there and the plants that used to produce 16 megawats of electricity each produced only 1 megawat each. On account of these difficulties there has been some decline in the voltage but the overall position was satisfactory.

Shri Arvind M. Patel : The cuts were imposed in the villages during day time and power was made available to them during night time. As a matter of fact, power should have been supplied in the villages during day-time instead of the night time.

Shri K.C. Pant : We shall send the suggestion of the Hon'ble Member to the Gujarat Government.

श्री एच० एम० पटेल : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आकाशवाणी के आज के समाचार के अनुसार गुजरात बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं को खपत में 20 प्रतिशत कटौती करने को कहा है और उद्योगों से विभिन्न समय पर बिजली का प्रयोग करने को कहा है ? क्या यह मात्रा सभा-पटल पर रखी गई सूचना में उल्लिखित मात्रा से बहुत अधिक है ? क्या यह भी सच है कि तारापुर का यूनिट-I और दुबारन संयंत्र जनवरी से बन्द हैं ? फिर वह कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में बिजली-सप्लाई संतोष जनक है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : तारापुर यूनिट जनवरी में बन्द किया गया था और यह मई तक बन्द रहेगा जबकि दुबारन यूनिट 29 मार्च को बन्द किया गया था और यह रख रखाव और मरम्मत के लिए एक मास और बन्द रहेगा । उकाई पनबिजली कारखाने का दूसरा यूनिट भी 3 अप्रैल से बन्द है । यह यूनिट 4–5 दिन तक बन्द रहेगा । दो अन्य स्टेशनों के बारे में मैं बता ही चुका हूं । तटीय क्षेत्रों में पारेषण लाइनों को भी वर्षाकाल से पूर्व की अवधि में समुद्री दूषण रोकने के लिए बन्द कर दिया जाता है । इन सभी कारणों से बिजली की सप्लाई विभिन्न उपभोक्ताओं को भिन्न समयों पर करनी पड़ी है ।

श्री एच० एम० पटेल : उकाई यूनिट क्यों बन्द हुआ है ? दूसरे, क्या पारेषण लाइनें वर्षा आरम्भ होने पर ही और स्थिति बिगड़ने पर ही बन्द नहीं की जाती हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे यह बताया गया है कि समुद्री दूषण रोकने के लिए इन्हें बन्द किया गया है और इसी समय वर्षाकाल-पूर्व रखरखाव के लिए अन्य यूनिट बन्द होने से भी सप्लाई में व्यवधान आया है । उकाई में नींव के कंपन के कारण उसे बन्द करना पड़ा है ।

श्री धामनकर : समाचार पत्रों के अनुसार तारापुर के दोनों यूनिटों में से एक सदा ही बन्द रहता है, तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि दोनों यूनिट वर्ष में एक साथ कब चलते रहे और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों ही यूनिट बराबर चलते रहे क्या कदम उठाएगी क्योंकि इससे गुजरात और महाराष्ट्र दोनों प्रभावित होते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मेरा ख्याल है कि प्रत्येक स्टेशन को नया ईंधन डालने के लिए दो वर्ष में चार मास के लिए बन्द रखना पड़ता है। रेडिओ धर्मिता के कारण इतना समय लग जाता है।

श्री पी० जी० मावलंकर: यह ठीक है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात में बिजली की स्थिति बेहतर है, परन्तु मंत्री महोदय का यह कहना क्या ठीक है कि गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र सहित बिजली की कमी नहीं है। क्योंकि सच तो यह है कि गत तीन वर्ष में अनेक स्टेशनों से बिजली बन्द हुई है और उद्योगों को बारी-बारी से बिजली दी गई है और किसानों को रुक-रुक कर—कभी दिन में, कभी रात को—बिजली मिलने से कठिनाई हो रही है। जैसा श्री पटेल ने कहा है, आज ही आकाशवाणी से कहा गया है कि लोग बिजली के प्रयोग में सावधानी बरतें और किफायत करें।

इन बातों की दृष्टि में क्या मंत्री महोदय सुनिश्चित करेंगे कि दोनों यूनिट चलें ताकि गुजरात और सौराष्ट्र के उपभोक्ताओं की कठिनाइयां कम हों ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: नया ईंधन डालने से पूर्व दोनों यूनिटें चालू थी यह सच है कि वर्ष में भिन्न-भिन्न समयों पर मांग और पूर्ति की स्थिति भिन्न रही है, फिर भी जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, गुजरात में अन्य राज्यों की अपेक्षा स्थिति बेहतर ही रही है।

मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गुजरात में अन्य राज्यों की भांति बिजली की कोई कटौती नहीं की गई है और मार्च, 1974 से मार्च, 1975 तक की अवधि में मांग और पूर्ति में मामूली फर्क रहा है जबकि मार्च और अप्रैल, 1975 में मांग के बराबर ही पूर्ति रही है। अतः कटौती सप्लाई में न होकर वृद्धि पर की जाती है।

श्री पी० जी० मावलंकर: कृपया बताएं कि ये यूनिट कब से सामान्य कार्य करने लगेंगे :

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मई के बाद कार्य करने लगेंगे।

श्री डी० डी० देसाई: माननीय मंत्री जी के अनुसार जो संतोषजनक स्थिति है वह किस सीमा तक उचित रख रखाव के कारण और किस सीमा तक संयंत्र के क्षमता के उचित प्रयोग के कारण उत्पन्न हुई है और किन राज्यों में संयंत्र-उपयोग सबसे कम है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: गुजरात में औसत संयत्र उपयोग 65 प्रतिशत है जो सर्वाधिक है। यूनिटवार धुवारन में यह 63 प्रतिशत, उत्तरान में 68 प्रतिशत और अहमदाबाद में 79 प्रतिशत है। कुल 83 मेगावाट के छोटे यूनिटों में यह 52 प्रतिशत है। ये सभी कोयले पर आधारित हैं। अन्य यूनिट गैस या तेल पर आधारित हैं।

श्री डी० डी० देसाई: मैं अन्य राज्यों में क्षमता उपयोग के बारे में जानना चाहता था। गुजरात में अच्छी स्थिति अधिक संयंत्रों में अधिक उत्पादन न होकर उनका बेहतर क्षमता उपयोग है। मैं यह जानना चाहता था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: यही तो सबसे अच्छी बात है। मेरे पास देश भर के आंकड़ हैं और यहां की प्रतिशतता सबसे अधिक है। यह खुशी की बात है कि वे संयंत्रों का इतना बढ़िया उपयोग कर रहे हैं।

संयुक्त औद्योगिक एककों में सरकार, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के शेयर

*571. **श्री वी० आर० शिनाय:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसे कुल कितने संयुक्त औद्योगिक एकक हैं (नामों सहित) जिन्हें सरकार जीवन बीमा निगम, यूनट ट्रस्ट आफ इण्डिया अथवा सरकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं की 25 प्रतिशत से अधिक इक्वीटी पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) इन में से प्रत्येक एकक पर सरकार किस प्रकार नियन्त्रण करती है ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजैज द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 31-3-74 की स्थिति के अनुसार संयुक्त क्षेत्र के एककों की एक सूची जिसमें केन्द्रीय सरकार की अंशधारिता तथा अन्य शेयर-धारियों यथा राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थाएं प्राइवेट पार्टियों का उल्लेख है और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य की इक्विटी का विवरण भी दिया गया है, संलग्न है। इन एककों में लगी जीवन बीमा निगम, यूनटि ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) संयुक्त क्षेत्र सम्बन्धी सरकार की नीति की घोषणा नीति सम्बन्धी वक्तव्य के प्रेस नोट दिनांक 22 फरवरी, 1973 में की गई है जिसमें यह विहित है कि विभिन्न प्रकार के सभी संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार नीति निर्धारण प्रबन्ध और कार्य संचालन में अपनी प्रभावी भूमिका का सुनिश्चय करेगी और वास्तविक रूप और प्रकार का निर्णय प्रत्येक प्रकरण के अनुसार किया जाएगा।

31-3-74 की स्थिति के अनुसार ऐसे संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की सूची जिनमें केन्द्रीय सरकार की इक्विटी है तथा अन्य शेयर धारियों राज्य सरकार वित्तीय संस्थाएं प्राइवेट पार्टियां हैं

क्रमांक	उपक्रम का नाम	इक्विटी धारिता			रु० लाख में प्रदत्त पूंजी
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	
1	2	3	4	5	6
1.	कोचीन रिफाइनरी लि० . .	370	50	280	700
2.	इण्डो बर्मा पैट्रोलियम कं० लि०	60	—	90	150
3.	लबरीजोल इण्डिया लि० .	31	—	29	60
4.	मद्रास रिफाइनरीज लि० . .	953	—	335	1288
5.	फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लि०	5721	258	88	6067
6.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लि०	696	—	669	1365
7.	जेसप एण्ड कं० लि०	114	—	110	224
8.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लि०	153	—	147	300
9.	इण्डियन टेलीफोन इण्ड० लि०	388	31	81	500
10.	प्रागा टूल्स लि० . . .	223	48	18	289

1	2	3	4	5	6
11.	नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि० .	255	170	70	495
12.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार० . .	1562	—	438	2000
13.	मैटल स्क्रैप ट्रेड कार० आफ इण्डिया लि० .	16	—	4	20
14.	मुगल लाइन्स लि० . . .	93	—	8	101
15.	दामोदर वैली कार० . . .	5608.7	15863.1	—	21471.8
16.	सिंगरेनी कोलरीज लि० . .	272.0	402.5	3.9	678.4
17.	सिक्किम माइनिंग कार० . .	28.1	29.2	--	57.3
18.	ट्यूब इण्डिया लि० . . .	240.0	—	240.0	480.0
19.	सिधुरि-सैंटलमेंट कार० लि० . .	50	--	102.3	152.3
20.	दी मैसूर आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	1320.0	1980.0	—	3300.0
21.	आयल इण्डिया लि० .	1400.0	—	1400.0	2800.0
22.	बोलानी ओरस लि० .	50.5	—	49.5	100.0
23.	इण्डियन एक्सप्लोसिवज़ लि० .	274.0	—	1874.2	2148.2
24.	मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लि० . .	24.4	48.8	70.4	143.6
	प्रिफेरेन्श शेयर . .	12.2	24.4	35.2	71.8
25.	ब्रिटिश इण्डिया कार० लि०	73.1	--	252.6	325.7
26.	मशीनरी मैन्यू० कार० लि० .	6.8	0.6	53.4	60.8
	प्रिफेरेन्श शेयर . . .	25.0	1.0	13.0	39.0

श्री पी० आर० शिनाय : विवरण में बताया गया है कि जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई गयी इक्विटी पूंजी संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। आशा है कि यह शीघ्र उपलब्ध करादी जाएगी। इस बीच मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनेक संयुक्त क्षेत्रीय एककों में सलाहकारों, सोल बिक्री एजेंटों, कार्यकारी अधिकारियों और लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के मामले में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री टी० ए० पाई : महोदय, मूल प्रश्न संयुक्त क्षेत्र के बारे में है जिसमें सरकार की वित्तीय संस्थाओं का काफी धन लगा हुआ है। संयुक्त क्षेत्र के बारे में 1973 के नीति सम्बन्धी संकल्प में इस क्षेत्र में केन्द्र या राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं और जनता के साथ मिल कर ऐसे उपक्रम स्थापित किए जाने का सुझाव था। जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है, संयुक्त क्षेत्र की कोई परियोजना नहीं बनी है। हां, राज्यों में ऐसी अनेक परियोजनाएं बनी हैं किन्तु जारी किए गए लाइसेंसों या आशय पत्रों की संख्या के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि राज्य सरकारें उन परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकीं। परन्तु जहां भी परियोजनाएं क्रियान्वित हुई हैं वहां प्रबन्ध सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गयी है और जहां भी राज्यों द्वारा भाग लिया जा रहा है, वहां श्री शिनाय द्वारा उल्लिखित कठिनाइयां

पेश नहीं आई हैं और उनके चेयरमैन सरकार द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं । प्रबन्ध निदेशकों को सरकारी परामर्श से बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रबन्ध-प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। परन्तु अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में, जो परिभाषा के कारण संयुक्त क्षेत्र में आ गये हैं, प्रबन्ध प्रक्रिया का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है—इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उनमें सरकारी वित्तीय संस्थाओं का काफी धन लगा हुआ है।

श्री पी० आर० शिनाय : राष्ट्रीय क्षेत्र के सिद्धान्त को लागू करने के लिए क्या सरकार का विचार संयुक्त क्षेत्र के और गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक एकक के 51 प्रतिशत शेयर अपने अधिकार में लेने का है जिनका नियंत्रण एकाधिकारयों के पास है?

श्री टी० ए० पाई : अब कंपनी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार ऐसे उपक्रम सरकारी कम्पनियां बन जायेंगे जिनमें केन्द्र अथवा राज्य सरकार के या सरकारी नियंत्रण वाले निगमों के 51 प्रतिशत शेयर हैं। इस परिभाषा के अनुसार अनेक प्राइवेट कम्पनियां सरकारी कंपनियां बन गई हैं। हम इस सबका अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पूंजी सुरक्षित रहे और उस पर उचित लाभ मिले, छोटे शेयरधारियों का पैसा सुरक्षित रहे और उत्पादन भी सुनिश्चित हो।

श्री एच० एम० पटेल : क्या 51 प्रतिशत सरकारी शेयरों का हिसाब लगाते समय औद्योगिक विकास बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों या जीवन बीमा निगम आदि के शेयरों को भी उसमें जोड़ा जाएगा या क्या केवल 51 प्रतिशत सरकारी शेयरों से ही इसका निर्णय होगा?

श्री टी० ए० पाई : मैं तो केवल श्री शिनाय के प्रश्न का उल्लेख कर रहा था और मैं ने उक्त अधिनियम की एक धारा का हवाला दिया था जिसके अनुसार सरकारी कंपनी वह होगी जिसके 51 प्रतिशत शेयर न केवल सरकार के हों अपितु संयुक्त रूप से उक्त निगमों के हों।

श्री वसन्त साठे : जैसा कि सभी जानते हैं, अधिकांश कंपनियों में आज लगी पूंजी वित्तीय संस्थाओं की ही होती है। तो क्या उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय कंपनी अधिनियम में थोड़ा और संशोधन करके हम उन कंपनियों के प्रबन्ध पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख सकते ताकि गैर-वरीयता वाले क्षेत्रों में संसाधनों का अपव्यय न हो?

श्री टी० ए० पाई : गत 25 वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के सिद्धान्त में भारी परिवर्तन हुआ है। चूंकि जीवन बीमा और सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी वित्तीय संस्थान उनका वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं, अतः इन शेयरों में अधिकांश सरकारी वित्तीय संस्थानों से सम्बन्धित हैं। अतः स्वामित्व का प्रश्न सरकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के हाथों में चला गया है। अतः सरकार को इस बात की जांच करनी है कि किस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिये और उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिये और वह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन संस्थाओं का अच्छी तरह संचालन हो और ये देश के हित में काम करें।

श्री था किरुतिनन : माननीय मंत्री ने एक सूची दी है जिसमें वताया गया है कि कितनी राज्य सरकारों ने कितने उद्योगों में शेयर नहीं लिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जनना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने शेयर लेने और इन उद्योगों का प्रबन्ध सम्हालने की पेशकश की है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्री टी० ए० पाई : ब्यूरो द्वारा दी गई सूची संयुक्त क्षेत्र की है। परन्तु मेरे विचार में ऐसा नहीं है। ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनका प्रबन्ध पूर्णतया सरकार के हाथों में है। जहां राज्य सरकारें कुछ

परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आगे आई हैं—जैसे कोलियरी लिमिटेड के मामले में—जहां उनका हित अंतग्रस्त है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है।

श्री था किरुतिनन: मैं उन उद्योगों के बारे में पूछ रहा हूं जिनमें राज्य सरकारों ने कोई शेयर नहीं लिया है और जिन्हें सूची में दिखाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने उस उद्योग में शेयर लेने की पेशकश की है जिसमें उनका कोई शेयर नहीं है।

श्री टी० ए० पाई: हमने न उन्हें कहा है और न ही उन्होंने कोई पेशकश की है।

श्री बी० वी० नायक: यदि माननीय मंत्री संयुक्त क्षेत्र के यूनिटों की सूची में मद संख्या 15 देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें किसी गैर-सरकारी अंश कोई नहीं है। इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की इक्विटी दिखाई गई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह संयुक्त क्षेत्र की परिभाषा में कैसे आता है। अभी तक कोचीन तेल शोधन कारखाना सरकारी क्षेत्र का एक कारखाना था। हमारे विचार में 27 फरवरी, 1973 की परिभाषा में परिवर्तन हुआ है। अतः कृपया हमें संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की परिभाषा बताई जाये क्योंकि मंत्री जी ने एक तीसरा प्रश्न उठाया है।

श्री टी० ए० पाई: यह वित्तीय संस्थानों की एक सूची है, जो सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा दी गई है जहां उन्होंने सरकारी क्षेत्र दिखाया है जिसमें राज्य सरकारों तथा अन्यों का भाग है। यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के साथ राज्य सरकार की सहकारिता के कारण यह संयुक्त क्षेत्र है; यह सरकारी क्षेत्र है। मैं इसे संयुक्त क्षेत्र की सूची नहीं मानता। यह सरकारी क्षेत्र की सूची है। इन परियोजनाओं में राज्य सरकारों और आंशिक रूप से जनता का हाथ है। परन्तु 1973 के संयुक्त क्षेत्र के सिद्धान्त के अनुसार सरकार का 25% और सरकारी वित्तीय संस्थानों और अन्य का 26% भाग है और सरकार का आंशिक रूप से प्रबन्ध पर नियंत्रण होगा। अतः उनमें किसी को सूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाली ऐसी कोई परियोजना नहीं है।

पाण्डिचेरी में हिन्दू विवाह अधिनियम का लागू किया जाना

*572. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या गृह मंत्री पांडिचेरी में हिन्दू विवाह अधिनियम लागू किये जाने के बारे में 26 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार 'रिनोन्केन्टस' वर्ग को समाप्त करने तथा सभी भारतीय कानूनों को उन पर लागू करने के लिए स्वतः कदम उठायेगी?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): सरकार का इस समय ऐसे कोई कदम उठाने का इरादा नहीं है।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Many years past since Pondicherry became a part of this country. Will the hon. Minister tell us why no step has been taken to ensure that there should not be two types of citizens in Pondicherry and Indian Acts must be applicable on all in a uniform way.

श्री ओम मेहता: 1881 की फ्रेन्च डिगरी के अन्तर्गत भूतपूर्व फ्रांसिसी साम्राज्य के उत्तराधिकारियों को, चाहे वे किसी भी जाति और धर्म के हों, विवाह, तलाक, सम्पत्ति से वंचित करना आदि मामलों में वैयक्तिक कानून के बदले में यहां पर रहने वाले फ्रांसिसी लोगों पर लागू होने वाले कानून अपने ऊपर

लागू करने हेतु कहने का अधिकार था। इस प्रकार का विकल्प देने वाले लोगों को "रिनोन्केन्टस" कहा जाता है। जब हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 सहित विभिन्न समुदायों पर लागू वैयक्तिक कानूनों को संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू किया गया तो इन कानूनों को 'रिनोन्केन्टस' पर लागू नहीं किया गया था और उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की, कि कानून को पुनः लागू किया जाय।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Will the hon. Minister tell us the Acts in addition to Hindu Marriage Act which are not applicable to them.

श्री ओम मेहता : जो अधिनियम उन पर लागू नहीं होते वे ये हैं—कन्वर्ट मैरिज डिज़ोलूशन एक्ट, 1866, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम, 1875, गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट, 1890, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, 1929, हिन्दू डिसपोसेसन प्रापर्टी एक्ट, 1960, हिन्दू इन्हैरिटेन्स रिमूवल आफ डिसेबिलिटी एक्ट, 1928, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1966, हिन्दू माइनोरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1956, मुस्लिम पर्सनल ला एप्लीकेशन एक्ट, 1937 और डिसोलूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1899।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Pondicherry is a part of India but the French law are still applicable there. Indian laws are not applicable there in certain matters. Whether Government will fix some time limit by which all the Indian laws will be applicable there and in case a demand is made from there Government will not delay it as the people of Pondicherry should not be deprived of the good laws which are applicable throughout the country.

Shri Om Mehta : In 1881 some citizens had opted for the French Civil Code instead of their own rights. In 1962-63 when Pondicherry action took place and it became a part of India, an agreement was concluded between the Government there and our Government that रिनोन्केन्टस पर विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार सम्बन्धी फ्रेन्च सिविल कोर्ट के वैयक्तिक अधिनियम वहां लागू होंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : By what time ?

Shri Om Mehta : Till a demand is not received from the people there that they do not want to be governed by this code.

यह एक अच्छा कोड है क्योंकि इस कोड के अन्तर्गत सभी धर्मों, जातियों और ग्रुपों के सभी व्यक्तियों पर यही कोड लागू होता है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : संघ राज्य क्षेत्रों चाहे वह गोआ हो अथवा पाण्डिचेरी हो अथवा कोई अन्य स्थान हो, के लोग कब तक इस प्रकार नुकसान उठाते रहेंगे क्योंकि उनके अनुसार ईसाई मुस्लिम राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से दूर हो जायेंगे और उन महिलाओं को कई वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं तो हम वहां जाकर आन्दोलन चलाते हैं।

श्री ओम मेहता : अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा केवल पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में है और ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने पुराने कानून त्याग दिये है और इस फ्रेंच कानून के अन्तर्गत माना चाहते हैं, की कुल संख्या 10,176 है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या महिलाओं के दर्जे के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति ने यह सुझाव दिया है कि इन कानूनों में परिवर्तन किया जाना चाहिये और इन्हें देश के अन्य भागों की तरह यहां भी लागू किया जाना चाहिये। सरकार इस प्रकार की समितियां कब बनाने का विचार रखती है और क्या संघ राज्य क्षेत्रों से महिलाओं के संगठन और अन्य संगठनों को सहयोजित किया जायेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्री ओम मेहता : मैंने पहले ही कहा है कि यह सभी संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। यह पाण्डिचेरी की जनसंख्या के एक वर्ग से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अरबिन्द बाला पजनौर : मंत्री महोदय ने बताया है कि पाण्डिचेरी के लोग कानूनों में किसी प्रकार के परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे हैं। यह सही नहीं है। बजट भाषण में भी मैंने कहा है कि 1968 के बाद से पाण्डिचेरी के लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि रिनोन्केन्टस लोग यहां तक कि उन हिन्दू सदस्य जिन्होंने अपने सिविल अधिकारों का त्याग किया है, कोर्ट सिविल के अन्तर्गत आते हैं और वे ईसाई लोग जिन्होंने परित्याग नहीं किया है, कोर्ट सिविल के अन्तर्गत आते हैं। उन पर अभी भी पुराने हिन्दू कानून लागू होते हैं। इसलिए यह गड़बड़ी है। हिन्दू विवाह अधिनियम और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद ईसाइयों पर ये लागू नहीं होते और इसी कारण ईसाई महिलाएं सम्पत्ति सम्बन्धी अपने अधिकारों के पात्र नहीं हैं। परन्तु भारत सरकार ने इस पर अभी तक विचार नहीं किया है। मुझे मालूम नहीं कि क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि पाण्डिचेरी विभाग ने मामले पर गम्भीरता से विचार किया है। परन्तु इन्होंने सही सिफारिशें नहीं की हैं। 1959 में जब सत्ता हस्तान्तरण हुआ तो उन्हें परिवर्तन के बारे में आश्वासन दिया गया था। 1968 के बाद लगभग सभी भारतीय कानून लागू किये गये। इस प्रकार की गड़बड़ी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये लोग संघ राज्य क्षेत्र की ओर सही ध्यान नहीं दे रहे हैं। आशानुसार उन्होंने कानूनों की क्रियान्विति के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

श्री ओम मेहता : यदि रिनोन्केन्टस मांग करते हैं तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय नागरिकों पर विदेशी कानून क्यों लागू होते हैं। **(व्यवधान)**

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य पाण्डिचेरी से हैं। उनकी मांग वहां के लोगों की मांग के बराबर है।

श्री ओम मेहता : 4,71,107 लोगों में से केवल 10,176 लोग रिनोन्केन्टस हैं। हम पुनः मूल्यांकन करेंगे और उनके मांग करने पर हम देखेंगे कि क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मैं रिनोन्केन्टस की ओर से नहीं बोल रहा था। मैं उन लोगों की ओर से बोल रहा था जिन्होंने परित्याग नहीं किया है। **(व्यवधान)**

गुजरात में छोटे समाचार पत्र और उन्हें दिया गया अखबारी कागज का कोटा

***574. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, मुख्य वर्गानुसार गुजराती, मराठी, हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उक्त समाचारपत्रों को अखबारी कागज का कोई विशेष कोटा दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समाचार पत्रों की भाषावार संख्या

भाषा	दैनिक	द्वि-साप्ताहिक/त्रै-साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	त्रै-मासिक	अन्य	वार्षिक
अंग्रेजी	1	—	3	3	15	5	9	1
हिन्दी .	—	—	1	—	4	—	—	—
गुजराती	20	2	122	64	212	16	10	—
मराठी	—	—	—	—	1	1	—	—
संस्कृत	—	—	—	—	—	—	1	—
सिन्धी	—	—	1	2	4	—	—	—
द्विभाषी	—	1	3	3	8	1	4	—
बहुभाषी	—	—	6	1	3	3	—	—
योग : . .	21	3	136	73	247	26	24	1

कुल योग—531

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी समाचार पत्र या पत्रिका को सरकार किस आधार पर छोटा समाचार पत्र अथवा बड़ा समाचार पत्र निर्धारित करती है ? क्या इसके आधार प्रचलन, आधार भूत ढांचा, पूंजी निवेश आदि हैं ? प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है कि समाचार पत्रों को अखबारी कागज का विशेष कोटा नहीं दिया जाता। क्यों ?

श्री धर्मवीर सिंह : किसी समाचार पत्र को छोटा, मध्यम अथवा बड़ा समाचार पत्र निर्धारित करने का आधार उस समाचार पत्र का प्रचलन है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि छोटे समाचार पत्रों को अखबारी कागज का विशेष कोटा क्यों नहीं दिया जाता। श्रीमान जी,

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी भी वर्ग के समाचार पत्र को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा या चाहे वह अंग्रेजी भाषा का हो अथवा किसी अन्य भाषा का।

श्री पी० जी० मावलंकर: मंत्री जी ने कहा है कि इसका एकमात्र आधार प्रचलन है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी सीमा है जब समाचार पत्र छोटा न रह कर मध्यम श्रेणी का हो जाता है, और फिर किस परिमाप से वह मध्यम श्रेणी का न रह कर बड़े श्रेणी का हो जाता है? उनके अपने ही वक्तव्य से मंत्री जी को पता चलेगा कि गुजरात में 20 दैनिक, सप्ताह में दो बार छपने वाले दो, 122 साप्ताहिक, 64 पाक्षिक तथा 212 मासिक पत्रिकाएं गुजराती भाषा में छपते हैं। क्या उन्हें पता है कि अधिकांश छोटे समाचार पत्र, मासिक, साप्ताहिक पत्रिकाएं, अखबारी कागज खरीदने के मामले में बड़े समाचार पत्रों से स्पर्धा करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं? क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अखबारी कागज की सप्लाई की जायेगी ताकि वे नियमित रूप से प्रकाशित होते रहें।

श्री धर्मवीर सिंह: जिन समाचार पत्रों की 15,000 तक प्रतियां छपती हैं, वे छोटे समाचार पत्र समझे जाते हैं। 50,000 प्रतियों तक प्रचलन वाले मध्यम श्रेणी में आते हैं। और जिनकी 50,000 से अधिक प्रतियां परिचालित होती हैं वे बड़े समाचार पत्र समझे जाते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि गुजरात में सप्ताह में दो बार छपने वाले पत्रों, पाक्षिकों आदि के अतिरिक्त 212 मासिक पत्रिकाएं भी छपती हैं। यदि वे अखबारी कागज प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करते हैं तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

श्री पी० वेंक्टासुब्बैया: क्या यह सही है कि छोटे समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के नाम पर बड़ी संख्या में अश्लील पत्रिकाएं निकल रही हैं, जो कि कुछ ही दिनों तक निकलती हैं? क्या इस तरह के समाचार पत्रों को अखबारी कागज देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है? वे सभी प्रकार की अश्लील बातें ही नहीं छापते अपितु वे अखबारी कागज की कालाबाजारी भी करते हैं। सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

श्री धर्मवीर सिंह: अश्लील पत्रिकाओं की हम कितनी भी निन्दा करें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी भी समाचार पत्र को अखबारी कागज देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। जहां तक इस तरह की पत्रिकाओं को हतोत्साहित करने या रोकने का सम्बन्ध है, यह तो जनता की रूचि तथा राय पर निर्भर करता है, जो कि वैधानिक कार्यवाही से अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। वैधानिक कार्यवाही किसी भी स्थिति में संभव नहीं है।

Setting up of Television Centres in big Cities of Madhya Pradesh

***575. Dr. Laxmi Narayan Pandeya:** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state the time by which television centres will be set up in almost all the big cities of Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): There is no proposal to set up television centres in all the big cities of Madhya Pradesh. Steps are, however, proposed to provide continuity of rural television service to that group of villages in Madhya Pradesh which will receive development oriented television programmes under the one year long Satellite Instructional Television Experiment during 1975-76. This will be done by locating a transmitter at Raipur during 1976-77 and another one at Bilaspur later, depending on the financial outlays made available.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मध्य प्रदेश के सभी बड़े नगरों में टेलीविज़न केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश के उस समूह के गांवों के लिए जो 1975-76 के दौरान एक वर्ष लम्बे उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी टेलीविजन कार्यक्रम प्राप्त करेंगे, ग्रामीण टेलीविजन सेवा को जारी रखने के लिये कदम उठाने का प्रस्ताव है। यह 1976-77 के दौरान एक ट्रांसमीटर रायपुर में तथा बाद में उपलब्ध किए जाने वाले वित्तीय परिव्ययों पर निर्भर करते हुए दूसरा ट्रांसमीटर बिलासपुर में लगाकर किया जायेगा।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : Government have ignored Madhya Pradesh in providing television service. The Hon. Minister had earlier assured that such programme would be started at the end of 1975 but in reply to the question he says that this programme would be taken up in 1976-77. I want to know the reasons for delay. At the same time I want to know whether they have any policy or criteria under which they set up television centres in various states or at different places in a State.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : यदि मेरे माननीय मित्र ने उत्तर को देखा होता तो उन्हें पता चल जाता कि सैटेलाइट प्रयोग का जो कार्य 1975 में आरम्भ होना था, हमें आशा है अगस्त में आरम्भ हो जायेगा। 1976-77 वाला कार्यक्रम एक अनवरत कार्यक्रम है जो सैटेलाइट के समाप्त होने पर भी चलता रहेगा।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : Second part of my question is about the Criteria. What are the Criteria under which television Centres are set up in oifferent States? In one state you are going to set up television Centre shortly and in other State this programme will be started in 1976-77 and that too rural television service. So what is the Criteria therefor.

Shri I. K. Gujral : The Criteria is very simple. We are giving priority to the villages. So the programmes are being started from the villages. Secondly such programmes are started in those places from where we get money. We are covering 6 states under Satellite Scheme. Madhya Pradesh is one of them. We have not excluded Madhya Pradesh. We have included it in the list of the six states. Even then you are complaining.

Dr. Laxmi Narain Pandeya : I want to know whether there is any proposal for expansion of television centres in the Madhya Pradesh State during the fifth five year Plan ?

Shri I. K. Gujral : No Sir.

Shri Phool Chand Verma : The Hon. Minister has said that they are giving priority to the rural areas. Bastar area in Madhya Pradesh is totally Harijan and Adivasi area. This is a backward area. I want to know whether there is any proposal to take up this Scheme there, if not, why this area has not been included in the list and what are the reasons therefor ?

Shri I. K. Gujral : My friend has rightly said that much should be done for the Adivasis of Bastar. We are setting up a new Radio Station there as a first step. Secondly we are setting up transmiter at Adivasi belt from Raipur to Orissa.

भारत और बंगलादेश के बीच चलचित्रों के आदान-प्रदान की योजना

*576. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच चलचित्रों के आदान-प्रदान की योजना भारत बंगला देश सांस्कृतिक समझौते में सम्मिलित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन चलचित्रों के नाम क्या हैं जिनके आदान-प्रदान करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जी नहीं। फिल्मों के आयात तथा निर्यात के लिये सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबन्धों के अन्तर्गत 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। तथापि व्यापार में असन्तुलन से उत्पन्न कुछ कठिनाइयों के कारण, फिल्मों का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ। पुरानी व्यवस्था का अब नये व्यापार प्रोतोकाल द्वारा अतिक्रमण हो गया है जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से बदली जाने वाली मुद्रा में भुगतान के आधार पर फिल्मों का आयात और निर्यात किया जा सकता है।

(ख) भारत और बंगला देश के बीच अभी तक फिल्म का कोई व्यापार नहीं हुआ है।

श्री शक्ति कुमार सरकार: मेरा प्रश्न विशिष्ट था किन्तु उन्होंने उसका कुछ हद तक उपयुक्त उत्तर नहीं दिया। श्रीमान आप जानते हैं कि बंगला फिल्मों को विश्व व्यापी प्रसिद्धि मिली है और इसका हमें गौरव है। विभाजन के कारण बंगला फिल्मों के लिए बाजार छोटा हो गया है जिसके कारण बंगला फिल्म उद्योग की दशा आज दयनीय हो गयी है। नया व्यापार प्रोतोकाल क्या है, हम नहीं जानते। क्या मंत्री महोदय हमें विस्तार से बतायेंगे कि यह नया व्यापार प्रोतोकाल क्या है? क्या इससे हमारे उद्योग को सहायता मिलेगी अथवा नहीं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल: माननीय सदस्य ने जो गर्व की अभिव्यक्ति की है उसमें मैं भी सहभागी हूं क्योंकि बंगला फिल्में अधिकांशतः अच्छी फिल्में रही हैं और उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति बहुत ही रचनात्मक ढंग से की हैं।

जहां तक व्यापारिक पहलू का सम्बन्ध है, बंगला देश और पश्चिम बंगाल के बीच इस तरह के व्यापार में कठिनाई है। दोनों ही पक्ष बंगला फिल्मों का निर्माण कर सकते हैं और दोनों पक्षों के फिल्म वितरक तथा प्रदर्शक यही चाहते हैं कि बाहरी आदमियों के आने से हमारी व्यापार दशाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। हम अभी तक इसका समाधान नहीं कर पाये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता में उस मकान का संरक्षण किया जाना जहां बंगला देश की अस्थायी सरकार का मुख्यालय स्थित था

*568. **श्री समर गुह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगला देश की अस्थायी सरकार की पहली घोषणा बंगला देश के स्वाधीन किये गये क्षेत्र में की गई थी परन्तु इसका मुख्यालय कलकत्ता के थियेटर रोड पर एक मकान में स्थित था ;

(ख) क्या यह मकान क्रांतिकारी नेता श्री अरविंद का जन्म स्थान है, जो बाद में संत हो गये थे ;

(ग) क्या यह मकान श्री अरविंद सोसायटी को सौंप दिया गया है ;

(घ) क्या अब जब कि बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता दे दी गई है, बंगला देश की अस्थायी सरकार के मुख्यालय के स्थान से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य को जहां से बंगला देश के मुक्ति संग्राम का संचालन किया गया था; मकान के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका में उल्लिखित किया जायेगा और

(ङ) क्या बंगला देश की अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा उपयोग में लाये गये कमरों को बंगला देश मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक सामग्री के एक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश को लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के संबंध में घोषणा बंगलादेश के क्षेत्र में जिला कुश्तिया के भवेरपारा गांव में 17 अप्रैल, 1971 को की गई थी। यह सच नहीं है कि बंगला देश की अस्थाई सरकार का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन

*573. **श्री गजाधर माझी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी खण्ड विकास मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पी०सी०ओ० की व्यवस्था करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के नीति निर्देशक कार्यक्रम में प्रशासनिक महत्व के उपयुक्त स्थानों में खंड मुख्यालयों को शामिल किया गया है। इन स्थानों में घाटा उठा कर भी पी०सी०ओ० खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत हो। पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामले में न्यूनतम आय क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हो सकती है। उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि देश में लगभग 72 प्रतिशत खंड मुख्यालयों में पी०सी०ओ०/टेलीफोन की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है।

(ख) सर्किल अध्यक्षों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वे उन खंड मुख्यालयों के मामलों पर विचार करें, जहां अभी तक पी०सी० ओ० की व्यवस्था नहीं की गई है और इस संबंध में उचित कार्यवाही करें।

हरिजनों के लिए आवासीय योजनाएं

*577. **श्री मारकण्डे राय :**

श्री वीर भान सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा हरिजनों और समाज के निर्धन वर्गों के लिये आवास योजनाओं को गम्भीरता से नहीं लिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन लोगों के लिये मकानों का निर्माण करने हेतु ठोस कार्यवाही करने के लिये राज्यों को कोई निदेश दिये हैं?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए मकान बनाने के लिए राज्य सहायता देने की एक योजना को कार्यरूप दिया जा रहा है। इस योजना का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रति वर्ष खण्ड अनुदान तथा खण्ड ऋणों के रूप में दी जाती है।

मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा अनियमितताएं

*578. **श्री सतपाल कपूर :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़ (इंडिया) लिमिटेड ने गत तीन वर्षों में कितनी तथा क्या-क्या अनियमितताएं कीं; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) कुछ इकट्ठी औषधियों के क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन के उदाहरण पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की जानकारी में आये हैं। इस मामले में उस मंत्रालय द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

Smuggling of Uranium

*579. **Shri Madhavrao Scindia:**

Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether enquiry into smuggling of Uranium to China and Pakistan has been completed by C.B.I.;

(b) the value of Uranium seized in the raids indicating the names of places where Uranium has been seized, as also the value of Uranium smuggled to both the countries so far;

(c) the number of persons arrested so far in this connection and the names of the persons found guilty, as also the nature of punishment given to each of them; and

(d) whether any foreign elements were behind this smuggling racket and if so, the names thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) : (a) The Central Bureau of Investigation have taken over the investigation of 3 cases of alleged pilferage of Uranium ore concentrate.

(b) Raids were conducted at Jamshedpur and its neighbourhood Muzaffarpur, Darbhanga and Calcutta and some material suspected to be Uranium ore was recovered. The valuation of the material seized however does not exceed Rs. 500/-.

No case of smuggling of uranium has come to the notice of the Government.

(c) In all 30 persons have been arrested for the alleged pilferage of uranium ore concentrate. The cases registered in this regard are under investigation. The guilt of the persons arrested would be adjudicated by the Courts after putting up of challans.

(d) No, Sir.

टायर और ट्यूबों का उत्पादन तथा उनकी मांग

*580. **श्री बरके जार्ज:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टायरों तथा ट्यूबों की कुल मांग तथा उनके उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या मोटर गाड़ियों के यातायात में काफी कमी हो जाने के फलस्वरूप मोटर गाड़ियों के टायरों की मांग कम हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) 1974-75 के लिए मोटरगाड़ी के टायरों और ट्यूबों की देशी मांग पहले क्रमशः 60.41 लाख तथा 51.35 लाख अनुमानित थी । किन्तु गाड़ियों के उत्पादन में कमी आने पर पैट्रोल के उत्पादों के मूल्य बढ़ने के कारण गाड़ियों से यात्रा में कमी होने से टायरों की वास्तविक मांग घटकर 55.37 लाख तथा ट्यूबों की मांग 46 लाख रह गयी । इसके मुकाबले में 1974-75 में टायरों का उत्पादन 55 लाख तथा ट्यूबों का उत्पादन 47 लाख हुआ । टायरों का विद्यमान उत्पादन आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।

गैर-सरकारी दुकानदारों द्वारा डाक-टिकटों आदि की बिक्री

*581. **श्री राम सहाय पाण्डे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में गैर-सरकारी दुकानदारों को डाक-टिकटों आदि की बिक्री करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) कुछ चुने हुए स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के जरिए डाक-टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचने की प्रणाली वर्ष 1966 से प्रचलन में है । अब यह फैसला लिया गया है कि तारीख 1-4-1975 से डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री की बिक्री करने के लिए ट्रेवल एजेंसियों, होटलों आदि निगमित निकायों को इजाजत दे दी जाए ।

(ख) यह मुख्यतया इस दृष्टि से किया गया है कि जनता को डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री सुविधाजनक स्थानों पर आसानी से प्राप्त हो जाए और साथ ही डाकघरों में भीड़ कम हो ।

भारत बैरल एण्ड ड्रम्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का बन्द होना

*582. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दि भारत बैरल एण्ड ड्रम्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड वर्ष 1971 से बन्द है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारखाने को पुनः खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) जी, नहीं। मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई नवम्बर, 1971 से सितम्बर, 1972 तक बन्द रही। कम्पनी में अक्तूबर, 1972 से उत्पादन पुनः चालू हो गया है।

विभिन्न मंत्रालयों में सलाहकारी समितियां

*583. **श्री पी० एम० सईद:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में कुल कितनी सलाहकार समितियां गठित हैं;

(ख) इन निकायों के कुल कितने सदस्य हैं और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

"लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन" संयंत्रों की स्थापना

*584. **श्री अनादि चरण दास:**

श्री डी० डी० देसाई:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चार "लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन" संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लिये स्थानों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के रामकृष्णपुरम् में एक निम्न तापीय कार्बनीकरण संयंत्र लगाने की पहले ही मंजूरी दे दी है। संयंत्र में प्रयोग की जाने वाली कुछ गैस के अलावा इसमें 500 टन सोफ्ट कोक के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना पर 7 करोड़ रु० का पूंजीगत व्यय होगा। धनकुनी (पश्चिमी बंगाल) में दूसरा संयंत्र लगाने के प्रस्ताव पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है। इसके द्वारा प्रतिदिन

3.70 लाख टन मीटर गैस, लगभग 1000 टन सोफ्ट कोक तथा लगभग 110 टन तारकोल के उत्पादन होने की संभावना है; पूंजीगत लागत का अनुमान 20.33 करोड़ रूपये है। उपर्युक्त दो संयंत्रों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा अन्य उपयुक्त स्थानों पर, और निम्नतापीय कार्बनीकरण संयंत्र लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

नियमित अस्थायी संख्यापन (आर०टी०ई०) के सहायकों को स्थायी रिक्त पदों पर स्थायी करना

*585. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री पीलू मोदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आर एण्ड आर) योजना के अनुसार जिन वर्तमान सहायकों को आरंभ में सेवा के ग्रेड चार (सहायक) में नियुक्त नहीं किया गया था उन्हें उस ग्रेड में आर० टी० ई० के माध्यम से नियुक्त किया जाना था और आर० टी० ई० के गठन एवं उसे बनाये रखने संबंधी निदेशों में उपबन्ध था कि ग्रेड के वे सभी स्थायी रिक्त पद जो सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाते, आर० टी० ई० सहायकों को स्थायी करके भरे जाने चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो आर० टी० ई० में जिन सहायकों को सम्मिलित किया जाना था उन्हें उन स्थायी पदों पर, जिनके लिये सीधी भर्ती होनी थी, सहायक ग्रेड के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली भर्ती हेतु आयोजित प्रथम परीक्षा से पूर्व क्यों स्थायी नहीं किया गया था ;

(ग) योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति को सुधारने और आर० टी० ई० के सहायकों को स्थायी पदों का समुचित भाग प्रदान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन तथा पुनर्प्रवर्तन) योजना और उसके अधीन जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार विद्यमान सहायकों में से ग्रेड-IV की प्रारम्भिक प्राधिकृत स्थायी पद संख्या पर नियुक्ति के बाद बाकी सहायकों के कुछ विशिष्ट वर्गों को ही नियमित अस्थायी स्थापना (आर० टी० ई०) में, सरकार द्वारा निर्धारित इसकी पद संख्या तक ही, सम्मिलित करना था। इस संख्या का आवधिक पुनरीक्षण और पुनर्नियतन किया जाना था जिससे कि ऐसे पदों पर, जिन पर अस्थायी ग्रेड-IV अधिकारियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं थी नियुक्ति के लिये अपेक्षित संख्या में सहायकों की व्यवस्था की जा सके। योजना में बनाए रखने (मेन्टनेन्स) की स्टेज पर, यह व्यवस्था थी कि चार स्थायी रिक्तियों की प्रत्येक इकाई में से तीन रिक्तियां तत्कालीन फेडरेल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक लिपिक वर्गीय सेवा परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी और एक रिक्ति विभागीय पदोन्नत अधिकारी द्वारा भरी जायेगी। अनुदेशों में यह भी व्यवस्था थी कि सीधी भर्ती द्वारा न भरी गई सभी स्थायी रिक्तियों को नियमित अस्थायी स्थापना (आर० टी० ई०) से भरा जायेगा।

(ख) इस ग्रेड के गठन के बाद सीधी भर्ती की सर्व प्रथम परीक्षा वर्ष 1955 में हुई थी और इस परीक्षा से भर्ती किये गये उम्मीदवारों ने वर्ष 1956 में कार्यभार ग्रहण किया था। 1-1-1956 से पहले सभी स्थायी रिक्तियों को आर० टी० ई० सहायकों को स्थायी करके भरा गया था।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग उद्योग

*586. **श्री श्रीकिशन मोदी:**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के निर्यात संवर्धक प्रयासों में इंजीनियरिंग उद्योग के विकास का बड़ा महत्व है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजीनियरिंग कारखानों का विकास घटिया स्तर की प्रौद्योगिकी के कारण अवरुद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इंजीनियरी उत्पादों के एक विस्तृत क्षेत्र में निर्यात विकास में उल्लेखनीय प्रौद्योगिकीय समस्याएं नहीं है तथा विद्यमान प्रौद्योगिकीय व्यवस्था निर्यात विपणन कार्य के लिये पर्याप्त है फिर भी जहां कहीं प्रौद्योगिकीय अन्तराल विद्यमान है वहां पर उपयुक्त प्रौद्योगिकीय का आयात करने की अनुमति दी जाती है ताकि इन अन्तरालों को पूर्ण रूप से भरा जा सके।

Effect of Power Supply in Madhya Pradesh on Rabi Production

†5477. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the sudden cut in the power supply in Madhya Pradesh is likely to have an adverse effect on the Rabi production; and

(b) if so, the extent thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को बिजली के कनेक्शन में सहायता देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

5478. **श्री राम हेड़ाऊ:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को बिजली के कनेशन में सहायता देने के लिये एक योजना बनाने और राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार गिये गये व्यक्ति

5479. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन उड़ीसा में अब तक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनके नाम क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार के अपराध किये थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Setting up of a Thermal Power Station near Mughalsarai

*5480. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) whether the Uttar Pradesh Government have urged upon the Central Government to sanction the scheme in regard to setting up a 1000 MW thermal power station near Mughalsarai in the State; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मिजो विद्रोहियों द्वारा चीन को भाग निकलने का प्रयास

5481. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोहियों के दल, जिसकी संख्या 100 समझी जाती है, का सुरक्षा बलों ने उस समय पता लगाया था जब वे शस्त्र तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये हाल में चीन को भाग निकलने का प्रयास कर रहे थे ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान्

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्य-कलापों का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

5482. **श्री नुरूल हुड़ा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद की दैनिक कार्यवाही तथा अन्य राष्ट्रीय मामलों के बारे में प्रसारण करते समय आकाशवाणी शासक दल के नेताओं और सदस्यों के प्रसारण में अधिक समय देता है;

(ख) जनता की अनेक शिकायतों के बावजूद आकाशवाणी के अपनी पुरानी नीति से चिपके रहने और जनता की वास्तविक शिकायतों को दूर करने की ओर ध्यान न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आकाशवाणी का विचार विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकलापों के प्रसारणों को उचित समय देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विपक्षी दलों की गतिविधियों सहित सभी समाचार योग्य घटनाओं को उनके समाचारिक महत्व के अनुसार आकाशवाणी के समाचार बुलैटिनों में स्थान दिया जाता है ।

सिगरेटों का उत्पादन और कम्पनियों में विदेशी शेयर

5483. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक कम्पनी ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये अपने आवेदनों में कितनी क्षमता के लिये अनुरोध किया था प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और प्रत्येक का वास्तविक उत्पादन क्या है ? तथा प्रत्येक में वर्ष 1972 से 1974 तक विदेशी शेयर कितने-कितने थे ;

(ख) वर्ष 1972 से 1974 तक प्रत्येक वर्ष विदेशी स्वामित्व वाली प्रत्येक कम्पनी ने कुल कितना लाभ कमाया और कितनी राशि में विदेशी मुद्रा अपने-अपने देश भेजी ;

(ग) विदेशी शेयरों का प्रतिशत क्या है तथा दस बड़े विदेशी शेयरधारी कौन हैं और उनमें प्रत्येक के पास वर्ष 1972,1973 और 1974 में प्रत्येक विदेशी कम्पनी में कितने शेयर थे ; और

(घ) वर्ष 1972 से 1974 तक वर्षवार प्रत्येक कम्पनी का उत्पादन देश में कुल सिगरेट उत्पादन का कितने प्रतिशत था और इसमें अधिकांश विदेशी शेयर स्वामित्व वाली कम्पनियों का प्रतिशत क्या है ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी अंशधारिता वाली कम्पनियों के बारे में जानकारी निम्नलिखित है :—

फर्म का नाम	क्षमता दो पाली के आधार पर पंजीयन प्रमाणपत्र में दिए गए आंकड़ों के आधार पर	अधिष्ठापित क्षमता (फर्मों द्वारा उनके नए आवेदनों में किए गए दावों के आधार पर)	(दस लाख नगों के) उत्पादन 1972	1973	1974
मै० आई टी सी लि० 5 एकक	24,240	40,839	30,254	33,574	32,077
मै० वजीर सुल्तान टोबेको के० लि० हैदराबाद . .	8,880	14,725	13,180	13,393	12,856
मै० गाड़फ्रे फिलिप्सि इण्डिया लि०, बम्बई . . .	2,400	5,602	4,857	4,659	3,989

(ख) कुल लाभ विषमक आंकड़े नहीं रखे जाते । इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1972-73 और 1973-74 की अवधि में भेजी गई राशि निम्न प्रकार है ।

फर्म का नाम	1972-73	1973-74
मै० आई टी सी, कलकत्ता	227.34	कुछ नहीं
मै० वजीर सुल्तान टोबेको मैन्यु० कं० लि० हैदराबाद	39.22	9.75
मै० गाडफ्रे फिलिप्स (आई) लि० बम्बई . . .	12.95	14.44

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अधीन इन कम्पनियों द्वारा दिए गए आवेदनों के अनुसार विदेशी अंशधारिता का प्रतिशत प्रमुख विदेशी अंशधारियों और उनके द्वारा लिए गए शेयर निम्न प्रकार हैं :

क्रम संख्या	फर्म का नाम	विदेशी अंशधारिता प्रतिशत	प्रमुख विदेशी अंशधारी और उनके द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या
1	2	3	4
1.	मै० आई टी सी लि०, 5 एकक	74.80	टोबेको मैन्यु० इण्डिया लि०, यू० के 1,03,21,894 टोबेको इनवेस्टमेन्ट लि० यू०के० 33,01,086 रोथमेन्स इन्टरनेशनल लि० इंगलैण्ड 5,37,020 हंगरफोर्ड होलडिंग लि०, लन्दन 300 डी सी जी ए (पंजाब) लि० खानेवाल पाकिस्तान 300
2.	मै० वजीर, सुल्तान टोबेको कं० लि०	65.6	रिले इनवेस्टमेन्ट कं० लि० 8,83,892 टोबेको मैन्यु० इण्डिया लि० 3,12,242 टोबेको इनवेस्टमेन्ट लि० 99,860 रोथमाना इन्टरनेशनल लि० 16,256
3.	मै० गाडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लि० बम्बई	85.04	फिलिप्स मोरिस इण्टरनेशनल फाइनेंस कार०, यू०एस०ए० 5,54,924

(घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—9385/75]

संगरौली कोयला क्षेत्र समूह के प्रबन्धकों द्वारा की गई भर्ती

5484. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई से दिसम्बर, 1974 तक संगरौली कोयला क्षेत्र समूह के प्रबन्धक वर्ग ने विभिन्न श्रेणी के पदों पर कितने लोगों की नियुक्तियां की हैं;

(ख) इसमें से कितने लोग सिधी जिले में हैं;

(ग) प्रबन्ध द्वारा उसी क्षेत्र से बाहर के लोगों को भर्ती किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी भर्तियों में स्थानीय लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर **रख दी** जाएगी ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी की फाइलों का गुम होना

5485. **श्री मुरासोली मारन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के सम्भाव्यता अध्ययन उसकी आर्थिक स्थिति को बताने वाली और सहयोगकर्ताओं के चुनाव सम्बन्धी पत्र-व्यवहार की फाइलें गुम हो गई है ।

(ख) क्या इन फाइलों से सम्बन्धित संचलन (मूवमेन्ट) रजिस्टर भी गुम हो गया है ;

(ग) क्या इस बारे में उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सहयोगकर्ताओं के चयन और संभाव्यता अध्ययन तथा रा फिल्म प्रायोजना की अर्थव्यवस्था संबंधी फाइल और संबंधित वर्ष का संचलन रजिस्टर भी इस समय मिल नहीं रहा है ।

(ग) और (घ) इन खोए हुए कागजातों का पता लगाने और इनके खोने की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए अभी जांच चल रही है ।

विदेशी सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्षमता का विस्तार

5486. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1972 से 74 तक वर्षवार प्रत्येक सिगरेट निर्माता कम्पनी ने अपने नाम में पंजीकृत ब्रांडों की सिगरेटों अन्य ब्रांडो की सिगरेटों का कितना उत्पादन किया ;

(ख) क्या सरकार ने अधिकांश शेयर स्वामित्व वाली विदेशी कम्पनियों को अपने ब्रांडों की सिगरेटों का उत्पादन अपने ही कारखानों में करने और इस प्रकार से अपने उत्पादन और अपनी बिक्री में अप्रत्यक्ष रूप से विस्तार करने की अनुमति दे दी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी गतिविधियों को जो भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित माल का विदेशी कम्पनियों द्वारा व्यापार करने के समान है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र रोकने का हैं ; और

(घ) सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे छोटे भारतीय सिगरेट निर्माता अपने ब्रांडों की सिगरेटों का उत्पादन कर सकें और बड़ी विदेशी कम्पनियों के एकाधिकारी मुकाबले में उसे बेच सकें ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार ब्राण्डवार आंकड़े नहीं रखती है ।

(ख) इन कम्पनियों को सिगरेट का उत्पादन करने के लिए नई स्वीकृतियां नहीं प्रदान की गई है ।

(ग) विदेशी कम्पनियों के कार्यों की विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा संवीक्षा की जा रही है ।

(घ) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारतीय स्वामित्व वाली सिगरेट का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को प्रोत्साहन देने की सरकार की स्वीकृति नीति रही है । किसी भी विदेशी कम्पनी को सिगरेट का उत्पादन करने के लिए नया आशयपत्र अथवा लाइसेन्स जारी नहीं किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में टेलीप्रिन्टर की सेवा

5487. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के समोरपुर तथा बिलासपुर जिलों में टेलीप्रिंटर यंत्र लगा दिए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो वे कब लगाए गए थे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Views of World Hindi Convention regarding use of English in Offices

5489. **Shri Sudhakar Pandey:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether he is aware that the foreign delegates to the World Hindi Convention have repeatedly stated that English was still being used in many offices in India; and

(b) if so, the concrete steps proposed to be taken by Government to accord full recognition to Hindi in the various fields in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personal and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a) Yes, Sir.

(b) The English language is continuing to be used in addition to Hindi in accordance with Section 3 of the Official Languages Act, 1963, as amended by the Official Languages (Amendment) Act of 1967.

According to the provisions of Section 3 (5) of the same Act as amended, the provisions of clause (a) of sub-section (1), and the provisions of sub-section (2), sub-section (3) and sub-section (4) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of the English language for the purposes mentioned therein have been passed by the Legislatures of all the rates which have not adopted Hindi as their official language and until after con-

sidering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance has been passed by each House of Parliament.

However, looking to the fact that under Article 343 of the Constitution, Hindi shall be the official language of the Union, and under Article 351 thereof, it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite Culture of India, it was resolved by the both Houses of Parliament in December, 1967 that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi, and its progressive use for the various official purposes of the Union. Such programmes are being prepared and implemented since then.

Unearthing of underground rifle factory in Jayantipur Village under Islampur Police Station of Patna

5490. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether on the 7th March, 1975 the police raided the Jayantipur Village under Islampur Police Station of Patna and unearthed an underground factory manufacturing rifles ;

(b) if so, the particulars of the articles recovered and the value of each of them; and

(c) the action taken so far against the persons found connected with the factory ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) The requisite information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

जमशेदपुर में टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

5491. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर में टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण में ह्रास हुआ है तथा इस एक्सचेंज के प्रभारी अधिकारी इसकी, उचित रूप से देखभाल तथा रखरखाव नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या जमशेदपुर में अधिकांश सरकारी कार्यालयों जैसे रेलवे स्टेशन, दामोदर घाटी निगम के बिजली विभाग तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में लगाए गए टेलीफोन और आम जनता के टेलीफोन जनवरी 1975 से ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं ;

(ग) क्या जमशेदपुर में नई टेलीफोन परामर्शदात्री समिति इस वर्ष 1975 में गठित की गई थी तथा इसके सदस्यों के नाम और पते क्या हैं ; और

(घ) सरकार का जमशेदपुर टेलीफोन एक्सचेंज के प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध टेलीफोन एक्सचेंज के सुचारू संचालन में लापरवाही बरतने तथा अगस्त 1973 से टेलीफोन परामर्शदात्री समिति जमशेदपुर की बैठक न बुलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) माननीय सदस्य महोदय ने जिन सरकारी विभागों का उल्लेख किया है, उनसे कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) वर्ष 1975 के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का अभी तक गठन नहीं हुआ है ।

(घ) जमशेदपुर टेलीफोन एक्सचेंज के इंचार्ज अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही बरतने के बारे में कोई मामला नहीं है । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन हो जाने के बाद उसकी बैठक होगी ।

इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार समिति

5492. **श्री वयालर रवि** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कृत्य क्या हैं ;

(ख) समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) एक ही समिति में इतनी अधिक संख्या में सदस्यों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इलेक्ट्रानिकी संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन सितम्बर, 1973 में किया गया था । इस समिति में सरकारी विभागों एवं अभिकरणों, व्यावसायिक निकायों तथा संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों तथा उद्योग (जिनमें सरकारी व निजी क्षेत्र के उद्योग तथा औद्योगिक संघ भी शामिल हैं) के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । इसकी बैठक किसी कलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार होती है तथा इसे एक ऐसे सीमित सम्मेलन के रूप में माना जा सकता है जिसमें औद्योगिक प्रगति तथा उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में जनशक्ति, निर्यात, प्रशासनिक कठिनाइयां जिनका समाधान आवश्यक है आदि जैसे इलेक्ट्रानिकी के सभी पक्षों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है । विशेषकर यह समिति समय-समय पर उठने वाली समस्याओं पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर अन्योन्यमुखी दृष्टिकोण से भी विचार करती है । समिति का गठन इलेक्ट्रानिकी आयोग के समक्ष समय-समय पर (इसके सदस्यों द्वारा अथवा अन्यथा रूप से) लायी गयी विभिन्न समस्याओं पर आयोग को सलाह देने और उनके समाधनि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया था ।

(ख) एवं (ग) समिति के सदस्यों की कुल संख्या 83 है । समिति अपनी सभी बैठकों का आयोजन दिल्ली में ही करती है तथा इसके सदस्यों में से (जो मुख्यतः भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से हैं) अधिकांशतः दिल्ली में ही रहते हैं । एक बड़े निकाय का गठन इसलिए आवश्यक समझा गया ताकि इसमें इस क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी विभागों तथा अधिकरणों का यथा व्यवहार्य पूर्ण प्रतिनिधित्व हो और इसके साथ ही इसमें न केवल सरकारी निजी, संगठित व लघु क्षेत्र के उद्योगों को वरन् शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य में संलग्न संस्थानों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके

उड़ीसा में उप-डाकघरों और तारघरों का खोला जाना

5493. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य के विभिन्न स्थानों पर उप-डाकघर और तारघर खोलने के विचाराधीन मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डाकघर :

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : डाकघर वित्तीय कठिनाई के कारण, पहाड़ी और पिछड़ इलाके को छोड़कर जिनमें आदिवासी इलाके भी शामिल हैं, डाकघर खोलने पर आंशिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। तथापि, समूची नीति की समीक्षा की जा रही है और इसे अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद जिन इलाकों पर प्रतिबन्ध लगा है, उनके मामलों का निपटान तुरन्त कर दिया जाएगा। अलबता, वर्ष 1974–75 की पहली छमाही में राज्य में दो उप-डाकघर खोल दिए गए थे।

तारघर :

उड़ीसा में 14 तारघर और 23 पी०सी०ओ०/तारघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ये कार्यालय यथासंभव शीघ्र खोल दिए जाएंगे।

35 और जगहों पर तारघर खोलने के मामले पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना की नीति के अनुसार जांच की जा रही है। जगहों का सर्वेक्षण करने और आवश्यक ब्यौरे एकत्र कर लेने के बाद इन मामलों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से धन एकत्र किया जाना

5494. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने संसाधनों से कितना धन एकत्र किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रत्येक के द्वारा वर्ष 1974–75 में कितना धन एकत्र किया गया; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लिए उन्हें आवंटित धन राशि को खर्च करने में विफल रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने संसाधनों से योजना के लिए 1974–75 और 1975–76 के दौरान कितना अंशदान किए जाने की संभावना है, इस बारे में वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान जो ब्यौरा तैयार किया गया उसे तथा 1974–75 के लिए राज्यों के अद्यतन अनुमान दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय और राज्यस्थान ने योजना पर वास्तविक खर्च हुआ वह योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्ययों से कम है। वर्ष 1974–75 में योजना पर वास्तविक खर्च कितना हुआ, इस बारे में अभी सूचना उपबलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के संसाधनों के अनुमान और 1974–75 में राज्यों के अद्यतन अनुमान दर्शाते हुए विवरण।

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1974–75		1975–76
	वार्षिक योजना अनुमान	अद्यतन अनुमान*	वार्षिक योजना अनुमान **
1	2	3	4
(क)			
1. आन्ध्र प्रदेश	78.64	80.12	98.38
2. असम	13.62	23.04	12.00
3. बिहार	100.30	102.53	132.58
4. गुजरात	111.15	113.29	123.51
5. हरियाणा	65.61	57.33	58.55
6. हिमाचल प्रदेश	8.81	8.31	8.43
7. जम्मू और कश्मीर	17.79	−13.47***	−16.48
8. कर्नाटक	75.29	93.03	98.78
9. केरल	38.17	46.28	52.53
10. मध्य प्रदेश	98.93	118.45	156.28
11. महाराष्ट्र	225.86	226.51	279.84
12. मणिपुर	4.54	4.33	4.26
13. मेघालय	4.78	7.26	5.60
14. नागालैंड	6.88	6.95	6.12
15. उड़ीसा	38.54	30.54	40.59
16. पंजाब	87.23	97.16	132.19
17. राजस्थान	34.74	34.55	53.38
18. तमिल नाडु	70.85	87.06	76.44
19. त्रिपुरा	3.39	0.36	4.44
20. उत्तर प्रदेश	148.30	204.86	215.79
21. पश्चिम बंगाल	102.93	117.85	112.41
जोड़ (क)	1336.35	1446.14	1655.62

*वर्ष 1974–75 के दौरान रोकड़ जमा/घाटे में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी प्रकार के समंजन के बिना, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तनों के बारे में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

**वर्ष 1975–76 में केन्द्र द्वारा लगाये गए नये कराधानों में राज्यों के भाग को छोड़कर इसमें केन्द्रीय बिक्रीकर की दरों में संशोधन किए जाने के कारण होने वाली प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

***राज्य अपने संसाधनों में 16.68 करोड़ रुपये की वृद्धि करें इसके लिए केन्द्र उन्हें तौर-तरीका बतायेगा यह मानकर ये अस्थायी अनुमान तैयार किए गए थे। इसमें राज्यों की संसाधनों की राशि जो केवल 1.11 करोड़ रुपये है, शामिल नहीं की गई है।

(ख) संघ शासित क्षेत्र	1974-75 वार्षिक योजना अनुमान	1975-76 वार्षिक योजना अनुमान
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. चण्डीगढ़ . .	2.00	2.30
4. दादरा और नगर हवेली	—	—
5. दिल्ली .	4.00	9.50
6. गोवा, दमण और दीव	0.50	1.47
7. लक्षदीप .	—	—
8. मिजोरम . . .	—	—
9. पांडिचेरी . .	1.25	1.14
जोड़ (ख)	7.75	14.41

बिहार के जयनगर, मधुवनी और दरभंगा में टेलीफोनों का कार्यकरण

5495. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जयनगर, मधुवनी और दरभंगा में टेलीफोन बार-बार खराब होते हैं और इस बारे में मंत्री और विभाग के अधिकारियों को अभ्यावेदन भी दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या माधवपुर और शाहार से बरास्ता सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और दरभंगा से जिला मुख्यालय मधुवनी तक टेलीफोन लाइनें बिछाने तथा उन्हें सीधे बरास्ता बेनीपट्टी जिससे कि 100 मील की दूरी तथा तीन व्यस्त टेलीफोन एक्सचेंजों से बचाव होता है, न बिछाने के विरुद्ध निरन्तर शिकायतें प्राप्त होती रही; हैं और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) व (ख) बार-बार और अधिक देर तक बिजली बन्द हो जाने के कारण बिहार के इन स्थानों की टेलीफोन सेवाओं में बाधा पड़ी। तथापि, स्थिनि नियंत्रण में हैं और मार्च 1975 से इन सभी स्थानों की टेलीफोन सेवाओं में सुधार हुआ है। दरभंगा में जो कि तीनों एक्सचेंजों में सबसे बड़ा है, एक स्टैंड-बाई इंजन आल्टरनेटर भी लगा दिया गया है। इन सभी स्थानों में सेवाओं में और भी सुधार लाया जा रहा है।

(ग) और (घ) माधवपुर और शहरघाट में दो सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं, जो सुरसंड के एस० ए० एक्स० से जुड़े हुये हैं। इस एस० ए० एक्स० का मूल एक्सचेंज सीतामंढ़ी है। इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों को बेनीपट्टी के रास्ते से सीधे मधुवनी के साथ जोड़ने के प्रस्ताव की जांच की गई थी, लेकिन यह अलाभकर पाया गया।

वरिष्ठ अनुवादकों के भर्ती नियम

5496. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अनुवादकों के भर्ती नियमों को अप्रैल, 1974 से अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा तीन व्यक्ति इन पदों पर विशुद्ध तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन पदों पर नियुक्ति के लिये जुलाई, 1974 में आवेदनपत्र आमंत्रित किये गये थे तथा कार्मिक विभाग ने भी भर्ती नियमों क उपबन्धों के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति करने का परामर्श दिया था;

(ग) इन पदों पर नियमित आधार पर शीघ्र नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों पर नियुक्ति नियमित आधार पर कब तक कर दी जायेगी?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इन पदों को नियमित आधार पर भरने के प्रश्न पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है और चयन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

Survey for Cement Market Abroad

5497. **Shri Hemendra Singh Banera :** Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether a delegation was sent abroad recently to make a survey of cement market ;

(b) if so, the achievements thereof ; and

(c) the quantity of cement proposed to be exported in the near future and particularly this year ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) yes, Sir.

(b) The Delegation assessed the prospects of exporting cement to the Middle East Countries and the appropriate price at which cement could be sold to these countries.

(c) Total quantity exported during the year 1974-75 is about 3 lakh tonnes and the forecast for the year 1975-76 is placed at about 9 lakh tonnes.

उत्तर प्रदेश में हरिजनों और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मकान

5498. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी योजना अवधियों के दौरान उत्तर प्रदेश में हरिजनों और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये निर्मित मकानों की संख्या दर्शाते हुये एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगी और;

(ख) इस प्रयोजन के लिये पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है जैसे ही वह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ब्यास परियोजना का पूरा होना

5499. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्यास परियोजना के पूरा होने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) अब तक इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पौंग के स्थान पर व्यास बांध का उसकी पूरी ऊंचाई (ई० एल० 1420 फुट) तथा निर्माण जुलाई, 1974 में पूर्ण हो गया था और उसमें उसी वर्ष के मानसून में जल का संचय होना प्रारम्भ हो गया था। नियामक फाटकों में कुछ दोष होने के कारण जल नियंत्रित नहीं किया जा सका और उसे एक पेनस्टाक सुरंग में से अनियंत्रित रूप में बहने दिया गया था। बहरहाल, इस जल का हरि के हैड-वर्क्स से निकलने वाली नहरों द्वारा सिंचाई के लिये पहले ही पूर्ण रूप से समुपयोजन किया जा चुका है। नियामक फाटकों का मरम्मत कार्य और उमड़मार्ग (स्पिलवे) फाटकों का संरचना कार्य प्रगति पर है और उसके इस वर्ष में पूर्ण हो जाने की संभावना है। पौंग बांध के बिजली घर पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया है और उसका 1977-78 तक पूर्ण होना अनुसूचित है।

व्यास सतलुज सम्पर्क परियोजना में पंडोह के स्थान पर एक बांध, 13–13 किलोमीटर लम्बी दो सुरंगे, 12 किलोमीटर लम्बी एक हाइडल चैनल तथा देहर के स्थान पर एक बिजली घर का निर्माण परिकल्पित है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गई पूर्व सूचना के अनुसार, कार्य 1976 के अन्त तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु सुरंग में मिलने वाली कुछ खराब परतों और उससे सम्बन्द्ध समस्याओं के कारण, पूर्ण किये जाने वाले शेष कार्य का पुनरावलोकन किया जा रहा है ताकि परियोजना को पूर्ण करने के लिये एक संशोधित अनुसूची तैयार की जा सके।

(ग) फरवरी, 1975 के अन्त तक 427 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हुई थी।

पंजाब के सिंचाई हेडवर्क्स का भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को हस्तान्तरण

5500. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत रोपड़, हरिका तथा फिरोजपुर स्थित सिंचाई हैडवर्क्स का रखरखाव तथा कार्य-संचालन सहित प्रशासन भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के नियंत्रणाधीन होना चाहिये;

(ख) क्या ये हैडवर्क्स अभी तक पंजाब सरकार के नियंत्रण में हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये हैडवर्क्स कब तक भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पंजाब सरकार ने, जो पंजाब के पुनर्गठन से पूर्व इन हैड-वर्क्स पर नियंत्रण करती थी और अब भी ऐसा नियंत्रण कर रही है, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को हैड-वर्क्स के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में, जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में परिकल्पित है, कुछ प्रश्न उठाये हैं। इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

Programme to Provide Nutritious Food to Poor Children

5501. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether due to paucity of funds a cut has been made since last year in the amount provided for the programme for giving 'nutritious food' to the children living in slums and to other poor children ; and

(b) if so, the measures now proposed to be taken by Government to restore it and to make the programme more effective ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) The following plan provisions for the Supplementary Feeding programmes have been made during the year 1974-75 & 1975-76:—

(in crores)

S. No.	Programme	1974-75	1975-76
1.	Special Nutrition Programme	11.18	10.64
2.	Mid-day Meals Programme	4.50	4.01
	Total . . .	15.68	14.65

2. The priority groups to be catered for during the Fifth Plan are the vulnerable groups, i.e. the pregnant women and lactating mothers and children in the age group of 0-6 and school-going children of the weaker sections. The priority areas are tribal areas, urban slum areas and drought prone rural areas.

3. Admittedly there has been some reduction in the outlays in 1975-76 from the level of first Year of the Plan. While restoring the outlays to 1974-75 level may not be immediately possible, with the establishment of State Nutrition Coordination Committees which have been charged with the task of monitoring, evaluation andcoordination of nutrition programmes, it is expected that the programme will be more effectively implemented.

समाचार-पत्र समूहों द्वारा अपनी धनराशियों का अन्य कार्यों में लगाये जाने के बारे में भाबातोष समिति की सिफारिशें

5502. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र समूहों द्वारा अन्य स्तर के कारोबारों में अपनी धनराशियां लगाये जाने के बारे में भाबातोष समिति के प्रतिवेदन में कोई सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) ऐसे कार्यों में कौन-कौन से समाचार पत्र अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(घ) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) समाचार-पत्र अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी तथ्य अन्वेषण समिति ने यह देखा है कि कुछ मुख्य समाचार-पत्र संगठनों ने पर्याप्त राशि ऐसे व्यवसाय में लगाई हुई है जो समाचार-पत्र व्यापार से संबंधित नहीं है जैसे सूत व्यापार, शैयरों के व्यापार तथा अचल सम्पत्ति में।

(ग) तथा (घ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

Suicide by a Harijan Girl Student of Kasturba Balika Vidyalaya, Delhi

5503. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 442 on the 15th November, 1972 and state :

(a) whether a 17 Year old Harijan girl Kumari Prem Lata committed suicide in Karol Bagh, Delhi due to the misdeeds of the Princpial of the Kasturba College Hostel and the police officers and the Principal connived to suppress the case as a result of which a great resentment is prevailing among the local people, as was reported in the Nav Bharat Times on the 6th September, 1972 ; and

(b) if so, the action taken by Government against the guilty officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, in the Department of Personnel and Administrative Reform and in the Department of Parliamentary Affairs. (Shri Om Mehta) (a) & (b) As mentioned in the answer given in this House to Unstarred Question No. 442 on the 15th November 1972, on the completion of investigation of the case arising out of the death of Kumari Prem Lata, a Harijan girl student of the Kasturba Balika Vidyalaya, Ishwarnagar, New Delhi, the police submitted a charge-sheet against the Principal of the vidyalaya under section 305/201 IPC for abetment of suicide. On conclusion of trial in court the accused was acquitted.

भारत सरकार मुद्रणालय को-आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायतें

5504. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत सरकार मुद्रणालय कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, मिन्टो रोड, नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि समिति को सौंपे गये कार्यों की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 32 के अनुसार प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां, दिल्ली प्रशासन के सहकारी सोसायटियों के पंजीयक को सोसायटी की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध एक शिकायत मिली थी।

(ख) शिकायत में उचित प्राधिकार के बिना सदस्यों की अधिकतम ऋण सीमा को घटाने, हिस्सों के लाभांशों को सदस्यों के हिसाब में देरी से जमा करने, वार्षिक लेखा-परीक्षा के बिना लाभों का वितरण करने और बिना उचित मंजूरी के ऋणों और जमा राशियों पर ब्याज की दरें बढ़ाने की बात कही गई है।

(ग) शिकायत में कही गई विभिन्न बातों के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गयी संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबन्ध के बारे में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिवेदन

5505 **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा अधिकार में ली गईं संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के प्रबन्ध तथा राज्य सरकार को देय राशियों की अदायगी के बारे में केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने भविष्य में उपक्रम के प्रबन्ध के विषय में अपनी भूमिका तथा प्रबन्ध अधिग्रहण से पूर्व की अपनी बकाया राशि की सुरक्षा के सम्बन्ध में सुझाव दिये थे। सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं तथा इस प्रकार के सभी मामलों का निपटान संकट-ग्रस्त कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974, तथा सरकार की समग्रनीति के ढांचे के अन्तर्गत किया जाना है।

कांग्रेस दल द्वारा चुनावों के दौरान किराया-खरीद आधार पर प्राप्त की गईं जीपों की पुनः बिक्री

5506. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 नवम्बर, 1974 को उन्होंने इस बात से इन्कार किया था कि कांग्रेस दल द्वारा चुनावों के दौरान किराया-खरीद आधार पर प्राप्त की गई जीपों को दोबारा रंग करके नई जीपों के रूप में पुनः बेच दिया गया था;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में मुख्य मंत्री, श्री सेठी के चुनाव में प्रयोग में लाई गई जीप को दोबारा रंग करके नई जीप के रूप में वहां पर एक सहकारी बैंक को बेच दिया गया है;

(ग) इस बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इसी प्रकार ठीक करके अन्य कितनी जीपें नई जीपों के रूप में बेची गईं है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जीपों की बिक्री पुनः बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जीपों की बिक्री अथवा पुनः बिक्री के लिये किसी सरकारी अभिकरण की कोई विशिष्ट अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

करोल बाग पुलिस थाने की फाइलें एवं चालान पुस्तकें

5507 **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोल बाग पुलिस थाने की महत्वपूर्ण पुलिस फाइलें एवं चालान पुस्तकें जनवरी, 1975 में पश्चिमी दिल्ली की एक कालोनी, कृष्णा पार्क के बस स्टाप के पास बिखरी पायी गई थी;

(ख) तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या असावधानी के इस मामले की कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमन्। 10-1-1975 को एस० डी० पी० ओ० पंजाबी बाग ने धौली प्याऊ के पास पड़ी थाना करोल बाग की आठ पुलिस फाइलें पकड़ीं। मामले में पूछताछ की जा रही है और पूछताछ पूरी होने के बाद गलती करने वाले अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

तमिलनाडु में ध्वज का प्रयोग

5508. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस के महानिरीक्षक के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर तमिल नाडु सरकार के मन्दिर के चिन्ह वाला एक नया नीला ध्वज फहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पुलिस के महानिरीक्षक के कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की प्रथा समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज केवल महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों पर ही फहराया जाना चाहिये। राष्ट्रीय ध्वज के फहराने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुये 1958 में राज्यों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पूछताछ किये जाने पर जनवरी, 1975 में स्थिति को दोहराया गया था और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को पुलिस महानिरीक्षकों के कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज को न फहराये जाने की सलाह दी गई थी।

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने मद्रास में पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पर राज्य पुलिस ध्वज फहराना आरम्भ कर दिया है।

एच०एम०टी० की तरुण और सोना घड़ियां

5509. **श्री अमर सिंह चौधरी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कलाई पर बांधने की कितनी 'तरुण' घड़ियों का प्रतिवर्ष निर्माण किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 'तरुण' एवं 'सोना' घड़ियों की दिल्ली में बहुत अधिक मांग है परन्तु वे सुगमता से अपलब्ध नहीं होती हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि लोगों को घड़ियों की खरीद के लिये महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो सप्लाई में वृद्धि के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने वर्ष 1974-75 में 'तरुन' मेक की 3265 कलाई घड़ियों का उत्पादन किया।

(ख) से (घ) सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का उत्पादन इस प्रकार की घड़ियों की मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। उत्पादन को कई चरणों में बढ़ाकर एक वर्ष में 50 लाख तक कर देने के लिये कदम उठाये गये हैं।

पंजाब में लघु तथा मध्यस्तरीय उद्योग

5510. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पंजाब के लघु उद्योगों के सम्मुख आ रही कठिनाइयों का जनवरी-फरवरी, 1975 में मौके पर अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के लघु तथा मध्यस्तरीय उद्योगों के विकास की सहायता के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली को प्रदत्त सुविधाओं को वापिस लेने का प्रस्ताव

5511. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना निम्न वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों को सहायता देने हेतु की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस समिति को अनेक सुविधायें दी थीं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब इन सुविधाओं को वापिस लेने का है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार ने समिति को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की हैं :—

(1) थोक तथा प्राथमिक स्टोरों को नाममात्र किराये पर उपयुक्त आवास;

(2) उच्चतर स्टाक के वेतन और भत्तों के व्यय को पूरा करने के लिये राज-सहायता;

(3) समिति की शेयर पूंजी में 50 प्रतिशत तक पूंजी का निवेश;

(4) स्टेट बैंक आफ इंडिया से 12 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि लिये जाने के लिये समर्थक (कोलेटरल) गारन्टी;

(5) भारतीय खाद्य निगम से 3 लाख रुपये तक की साख सुविधायें प्राप्त करने की गारन्टी।

इनके अतिरिक्त, वर्ष 1963-65 के दौरान समिति को 30 लाख रुपये की धनराशि का ऋण व्याज सहित दिया गया था, जिसमें से 22 लाख रुपये की धन-राशि अभी समिति की ओर बाकी हैं।

(ग) समिति को दी गई सुविधाओं को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

छोटे कम्प्यूटरों का निर्माण

5512. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये हाल ही में बारह पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या है और वे कहां कहां-पर स्थित हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

पश्चिम बंगाल में क्षेत्र प्रचार कार्यालय और प्रदर्शनियों का आयोजन

5513. **श्री टुना उरांव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्र प्रचार कार्यालयों का विवरण क्या है, वे कहां-कहां पर स्थित है, उनमें किस-किस श्रेणी के कर्मचारी हैं, और उनके क्रिया-कलाप क्या हैं;

(ख) क्या इन कार्यालयों ने प्रदर्शनियों का आयोजन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों मे आयोजित प्रदर्शनियों को तारीख-वार और कार्यालय-वार मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या क्षेत्र प्रचार कार्यालयों द्वारा आयोजित इन प्रदर्शनियों के जनता पर पड़े प्रभाव का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण (परिशिष्ट-1) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9386/75]**

(ख) तथा (ग) योजनाबद्ध विकास तथा राष्ट्रीय एकता के विषयों को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिये क्षेत्रीय प्रचार एककों ने छोटे पैमाने पर फोटो प्रदर्शनियां आयोजित कीं। क्षेत्रीय प्रदर्शनी कार्यालयों द्वारा आयोजित की गईं प्रदर्शनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण (परिशिष्ट-2) में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9386/75]**

(घ) तथा (ङ) कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं। तथापि, एककों के कार्यभारी अधिकारी जिन प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं वे निश्चित रूप से उनके प्रति जनता की प्रतिक्रिया तथा दर्शकों के भाग लेने के बारे में मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन से प्रदर्शनियों को नई वस्तुओं के आयोजन तथा उनके प्रदर्शन में सहायता मिली है ।

दिल्ली नगर निगम का करोल बाग जोन

5514. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन में किये गये कुछ अपराधों के सम्बन्ध में मुकदमें दायर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का सारांश क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के आधार पर 12-11-74 को चीफ मैट्रोपोलिटन दिल्ली के मजिसट्रेट न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182/420 के अन्तर्गत श्री भूषण प्रकाश पर मुकदमा चलाने के लिये शिकायत दर्ज की गई है। श्री जे० आर० सैनी कार्यकारी अभियन्ता, दिल्ली नगर निगम के दामाद श्री भूषण प्रकाश ने श्री जे० आर० सैनी जो उस समय निगम में सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहे थे के साथ अपने सम्बन्ध के तथ्य को जानबूझ कर छिपा कर 1971 के दौरान एक ठेकेदार के रूप में पंजीकरण प्राप्त करके नगर निगम को धोखा दिया था और उक्त तथ्य को प्रकट करने से वह पंजीकरण प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होता।

मदुरै के निकट एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाने का कारखाना स्थापित करना

5516. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम्** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मदुरै के निकट एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाने के लिये 50 लाख रुपये की लागत पर एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक विदेशी फर्म के साथ सहयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले का निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार के एक उपक्रम मैं० तमिलनाडु फलोरीन एंड एलाइड केमिकल्स लि० ने अल्यूमिनियम फ्लोराइड का निर्माण करने के लिये विदेशी सहयोग के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सहयोग प्रस्ताव पर सरकार की सहमति अब कम्पनी को बता दी गई है।

नारियल जटा उद्योग का विकास

5517. **श्री सी० जनार्दनन** :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के अध्यक्ष ने नारियल जटा उद्योग का विकास करने के लिए कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) क्वायर बोर्ड ने 19-10-1974 को हुई बोर्ड की बैठक में पारित निम्नलिखित प्रस्ताव पर सरकार से उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है :—

"क्वायर रेशों की कमी को, जो पिछले कुछ महीनों से बराबर बढ़ती जा रही है, स्वीकार करते हुये क्वायर बोर्ड राज्य और केन्द्र सरकार से (केरल राज्यन कयर उद्योग के) विद्यमान संकट को हल करने के लिये अविलम्ब चार अभ्युपाय करने के लिए सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है।

1. हस्क की कुटाई करने वाली मशीन पर लगे प्रतिबन्ध को स्थाई तौर पर हटाना तथा हस्क लाने जाने ले सम्बन्ध में हस्क नियंत्रण आदेश में ढील देना।

2. केरल राज्य से प्राप्य कुल हस्क को प्राप्त करके उसका उचित वितरण करना।

3. हस्क जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कारवाई करना;

4. केन्द्र द्वारा क्लायर उद्योग के विलम्ब पुनस्थापन के लिये राज्य सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना।"

क्वायर बोर्ड के अध्यक्ष ने इसके बाद उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार से अनुवर्ती पहल भी जारी रखी।

केरल राज्य सरकार से पूरी स्थिति की संवीक्षा करने तथा स्थिति को सुधारने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने को कहा गया है। केन्द्र सरकार ने भी केरल राज्य सरकार को राज्य में क्वायर सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिये दो करोड़ रुपये दिये हैं। यह राशि क्वायर उद्योग के विकास के लिये राज्य योजना परिव्यय में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त है।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में उत्पादन

5518. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने इस वर्ष के आरम्भ से दो पहियों वाले स्कूटरों का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा अप्रैल, 1975 तक दो पहियों वाले कुल कितने स्कूटर बनाये जाने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 1400 नग।

1975-76 में दो पहियों वाले स्कटरों का उत्पादन 60,000 नग तक होने की आशा है।

Theft In Government Higher Secondary Co-Education School, Badarpur, New Delhi

5519. **Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a case of theft of a television set and twenty ceiling fans from the Government Higher Secondary Co-education School, Badarpur, New Delhi has been registered with the Badarpur Police Post, Kalkaji Police Station, New Delhi ; and

(b) if so, the action taken by the police to trace the thieves ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) Yes, Sir, The following two cases of thefts were registered at P.S. Kalkaji :—

(i) Case FIR No. 867 dated 28-10-74 U/s 457/380 IPC P.S. Kalkaji, regarding the theft of a T.V. Set.

(ii) Case FIR No. 169 dated 25-2-75 U/s 380 IPC P.S. Kalkaji regarding the theft of 20 Ceiling Fans.

No clues of the thefts have been found so far. The investigation of both the cases is continuing

मेघालय के लिए प्रथक राज्यपाल की मांग

5520. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय के लिये पृथक राज्यपाल की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत सरकार को ऐसी मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खान प्राधिकरण की गतिविधियों का विविधीकरण

5521. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड ने अपनी गतिविधियों में विविधता लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण ने रानीगंज में एक निम्नतापीय कार्बनीकरण संयंत्र तथा केडला (हजारीबाग) में बीहाइव कोक ओवन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। उसने भंडारा में विस्फोटक संयंत्र की स्थापना में सहयोग करने का भी प्रस्ताव किया है। ये प्रस्ताव विचाराधीन है।

6 मार्च, 1975 को बोट क्लब पर हुई सार्वजनिक सभा में एकत्रित जनसमूह का अनुमान

5522. **श्री बाल कृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 मार्च 1975 को बोट क्लब पर हुई सार्वजनिक सभा में एकत्रित जनसमूह के बारे में सरकारी अनुमान क्या है; और

(ख) क्या वर्ष 1971 के बाद बोट क्लब पर एकत्रित हुआ यह सबसे बड़ा जनसमूह था?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) लगभग 80,000।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

समाज विरोधी तत्वों द्वारा सीमावर्ती जिलों में बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रयोग

5523. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज विरोधी तत्वों द्वारा देश के पूर्व और पश्चिम सीमावर्ती जिलों में बिना लाइसेंस वाले हथियारों के प्रयोग किये जाने के भय ने गम्भीर रूप ग्रहण कर लिया है;

(ख) क्या कुछ विदेशियों को ऐसे बिना लाइसेंस वाले हथियार पाकिस्तान से भारत लाते हुये गिरफ्तार किया गया था; और उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) क्या उक्त हथियार देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के पास पहुंच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1973 और 1974 में कितनी मात्रा में अनधिकृत हथियार पकड़े गये और इस भय को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) हाल ही में दो विदेशी गिरफ्तार किये गये थे और उनके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) यह सुझाव देने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है कि पाकिस्तान स हथियारों की तस्करी करके उन्हें विश्वविद्यालयों में ले जाया गया है।

(घ) सम्पूर्ण देश से 1973 के दौरान निम्नलिखित हथियार बरामद किये गये हैं :—

राइफल—373, शाटगन—1613,

रिवाल्वर—342, पिस्तौल—1636

अन्य प्रकार के हथियार—512

1974 के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रखी जायगी। राज्य सरकारों की ओर से सतर्कता बरतने के अतिरिक्त बिना

लाइसेंस के हथियारों का पता लगाने तथा बरामद करने के लिये प्रबन्ध करने पर केन्द्रीय सरकार लगातार समीक्षा कर रही है।

सेटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेन्ट में 'पंचतन्त्र' से कहानियां प्रदर्शित करना

5524. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट में 'पंचतन्त्र' से कहानियां प्रदर्शित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे टैलीविजन सेटों की योजना भी बनाई है जो सीधे सेटेलाइट से कार्यक्रम पकड़ सकेंगे; और

(घ) यदि हां, तो स्थानों के बारे में राज्यवार, ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां

(ख) पंचतन्त्र से कहानियों, जातक कथाओं और अन्य लोक कथाओं का मूल मानवीय मूल्यों से संबंधित साधारण सन्देशों को भेजने तथा उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग में सम्मिलित टेलीविजन साक्षरता संवर्धन कार्यक्रमों में नये शब्दों का प्रयोग करने हेतु उपयोग किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। कार्यक्रम सीधे ग्रहण करने वाले लगभग 2400 सैट चुने हुये ग्राम कलस्टरों में अर्थात आन्ध्र प्रदेश में कुर्नूल, महबूबनगर, हैदराबाद और मैडक, बिहार में चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा, कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्ग और रायचुर; मध्य प्रदेश में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग; राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा और उड़ीसा में सम्बलपुर धनकानल और बौद्ध में लगाये जा रहे हैं।

कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की विद्युत परियोजना की स्वीकृति

5525. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की विद्युत प्रजनन में वृद्धि करने के लिये 100 करोड़ रुपये वाली परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

Levy on Cinema Tickets to help artists with Unsatisfactory Financial position

5526. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a portion of the fund to be collected by way of a levy of five paise on each cinema ticket is proposed to be spent on those eminent artists ; and technicians whose financial position is not satisfactory ; and

(b) if so, the total collection of funds up-to-date and the amount spent on eminent artists and technicians out of it so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A scheme to create a Film Development Fund through the levy of a cess of 5 paise per cinema ticket is under consideration of the Government. The details of the scheme have yet to be finalised.

(d) Does not arise.

महाराष्ट्र में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत बड़े गृहों को लाइसेंस जारी करना

5527. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन बड़े गृहों के नाम क्या हैं जिनको गत तीन वर्षों में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) लाइसेंसों का उपयोग करने और एकक स्थापित करने के लिये राज्य ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वर्ष 1972 और 1973-74 में क्रमशः निम्नलिखित बड़े गृहों (एल०पी०आई०सी० वर्गीकरण) और एम०आर० टी०पी० गृहों को महाराष्ट्र में कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे ।

बड़े गृह (एल० पी० आई० सी० वर्गीकरण) : 1972 बिरला, खटाऊ, मफतलाल, थापर, टाटा और वालचन्द एल०आर० टी० पी० गृह (1973-74) : बजाज, बिरला, एलो. गोदरेज, गैस्ट कीन बिलियम्स, जारडीन हैन्डरसन, जे० के० सिंघानिया, कपाडिया, किर्लोस्कर, खटाऊ, लारसन एण्ड ट्यूब्रो, मफतलाल, मोहिन्द्रा एंड मोहिन्द्रा, मोदी, फिलिप्स, रैलिस, साराभाई, थापर, टाटा, यूनाईटिड ब्रेवरीज, बालचन्द एंड इन्डिपैन्डन्ट ।

(ख) परियोजनायें स्थापित करने और चालू करने के लिये लाइसेंसधारी को 2 वर्षों का समय दिया जाता है । यह अवधि एक एक वर्ष की दो किश्तों में बढ़ायी जा सकती है । आवश्यकता वाले मामलों में 4 वर्षों से अधिक के लिये भी यह अवधि बढ़ायी जा सकती है । पिछले तीन वर्षों में उपक्रम स्थापित करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

केरल में शिक्षित बेरोजगार आदिवासियों और हरिजनों के लिए रोजगार

5529. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार आदिवासियों और हरिजनों को राज्य में लाभप्रद रोजगार देने के लिये केरल राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) यह सहायता कितनी एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है; और

(ग) इससे कुल कितने आदिवासियों और हरिजनों को लाभ हुआ है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम (1973-74) और रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम (1974-75) के लिये बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों, जिन्हें केरल के साथ-साथ राज्यों को भेजा गया था, में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों का वांछित ध्यान रखा जाये। आदिम जातियों और हरिजनों सहित समाज के सभी वर्गों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 में राज्य सरकार को कुल 338.67 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। 13.056 लाख रुपये के परिव्यय द्वारा केवल हरिजनों और जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्था करने के लिये 5 स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आदिवासियों और हरिजनों सहित शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सुलभ करने के लिये, रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को 165 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है।

(ख) केरल रोजगार संवर्धन निगम और हरिजन विकास निगम के द्वारा कतिपय स्वरोजगार स्कीमों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा कतिपय प्रशिक्षण और अन्य स्कीमों के लिये राज्यों को उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग सम्बद्ध विभागों के माध्यम से किया गया और कई मामलों में सहकारी समितियों आदि के माध्यम से।

(ग) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये जो स्कीमें बनाई गई थीं उन से इन वर्गों के 511 शिक्षित बेरोजगारों को लाभ पहुंचा। इसके अलावा इन जातियों के लोगों को अन्य सामान्य स्कीमों के अन्तर्गत भी रोजगार दिया गया। सामान्य स्कीमों से लाभान्वित होने वाले लोगों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

परमाणु बिजलीघरों की 'रेडियो एक्टिव वेस्ट' के निपटान के लिए स्थान

5530. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे स्थलों का पता लगाने सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जहां परमाणु बिजलीघरों के 'रेडियो एक्टिव वैस्ट' को डाला जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु बिजलीघर में उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का प्रबन्ध करने की एक सुरक्षित एवम् सफल प्रणाली का तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होना उन महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिनका ध्यान किसी परमाणु बिजलीघर का डिजाइन बनाते समय एवं उसके लिये निर्माणस्थल का निर्धारण करते समय रखा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वायुमंडल किसी भी प्रकार से संदूषित न हों, निरन्तर निगरानी रखी जाती है। इस समय, ट्राम्बे, तारापुर तथा कोटा में निम्नस्तर तथा माध्यमिक स्तर की रेडियो-सक्रियता वाले अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने के स्थल विद्यमान हैं। कलपक्कम तथा नरोरा में भी इसी प्रकार के स्थल तैयार किये जा रहे हैं। शुष्क, स्थिर तथा पृथक भू-वैज्ञानिक वातावरण में अपशिष्ट पदार्थों को लम्बे समय तक भंडारित करने की सुविधायें, जिसकी लगभग 30 वर्षों के पश्चात् आवश्यकता पड़ेगी, स्वीकार्य स्थानों का चयन करने के पश्चात् स्थापित की जायेगी।

बैंगल उद्योगों द्वारा बेकार फिल्मों का आयात

5531. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन बैंगल उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें 1974 में बेकार फिल्मों के आयात के लिये परमिट दिये गये ।

(ख) 1974 में प्रत्येक बैंगल उद्योग ने देशवार कुल कितनी फिल्मों का आयात किया ;

(ग) देश में इन बैंगल उद्योगों पर सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या नियंत्रण रखती है कि इन उद्योगों द्वारा आयातित बेकार फिल्मों का नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये दुरुपयोग न किया जाये ।

(घ) क्या कुछ ऐसी बैंगल उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है जिन पर उनके द्वारा आयातित बेकार फिल्मों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) पुनरीक्षित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में रही फिल्म वस्तु के नाम से अलग वर्गीकरण नहीं किया गया है जिसके आधार पर वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा आयात के आंकड़े रखे जाते हों । फिर भी, वर्ष 1973-74 और 1974-75 (अक्तूबर 1974 तक) की अवधि में बेकार सेल्युलोज़ प्लास्टिक का देशवार आयात बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

चूंकि समूचे देश के लिये वस्तुतः आयात की जाने वाली वस्तु के आंकड़े रखे जाते हैं, अतएव चूड़ी उद्योग तथा अन्य उद्योगों द्वारा आयात के अलग अलग आंकड़े दे सकना संभव नहीं है ।

(ग) से (ङ) वास्तविक उपयोग कर्ताओं की अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शर्तों पर आयात के लाइसेंस जारी किये गये हैं :—

> "लाइसेंस इस शर्त पर जारी किया जाता है कि लाइसेंस उसके अन्तर्गत आयात किये गये सभी माल का इस्तेमाल आवेदन पत्र में बताये गये पते पर केवल लाइसेंस धारी के कारखाने में ही किया जायेगा; और उसी काम में उसका उपयोग किया जायेगा जिसके लिये लाइसेंस जारी किया गया है अथवा निर्माण करने वाले अन्य कारखाने में उसको परिष्कृत किया जा सकता है परन्तु उसका कोई भी हिस्सा न तो किसी अन्य पार्टी को बेचा जायेगा, न उपयोग किया जायेगा अथवा और किसी भी प्रकार से उसका उपयोग करने की अनुमति ही दी जायेगी । फिर भी, लाइसेंसधारी की निर्माण प्रक्रिया में दूसरे कारखाने में परिष्कृत किये माल का उपयोग किया जा सकेगा । लाइसेंसधारी आयात किये गये माल की खपत और उपयोग का सही सही और निर्दिष्ट ढंग से हिसाब रखेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकरण प्रायोजक-प्राधिकरण अथवा अन्य कोई प्राधिकरण को ऐसे प्राधिकारी द्वारा बताये गये समय के भीतर उसके समक्ष हिसाब प्रस्तुत करेगा ।"

यदि कोई लाइसेंसधारी आयात के लाइसेंस में दी गयी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे फिर और सहायता नहीं दी जाती है । इसके साथ ही आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 और आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 यथा संशोधित के अधीन लाइसेंसधारी के विरुद्ध

अन्य कोई कार्रवाई भी की जा सकती ह । आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को जानकारी जब भी ऐसा कोई उदाहरण लाया जाता है तो उस मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

देश	परिमाण हजार किलोग्राम में / मूल्य रुपयों में			
	1973-74 परिमाण/मूल्य		1974-75 (अक्तूबर तक) परिमाण/मूल्य	
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	15	18	--	—
फ्रांस	98	226	15	38
हंगरी	14	28	10	22
जापान	42	329	5	17
यू०के०	99	188	35	101
यू०एस०ए०	102	206	119	302
युगोस्लाविया	26	50	—	--
बुल्गारिया	246	557	107	251
बंगला देश	—	--	30	152
अन्य देशों सहित योग	666	1,792	351	1,071

नोटः—आंकड़े अनन्तिम हैं एवं उनका पुनरीक्षण हो सकता है।

स्रोत :—मन्थली स्टेटिस्टिक्स आव फारेन ट्रेड आफ इंडिया-—वाल्यूम (II) इम्पोर्टर्स वाणिज्यिक और सूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता के महानिदेशक द्वारा प्रकाशित ।

Appreciation Allowance to Employees of Khadi Gramodyog Bhavan

5532. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the employees of Khadi Gramodyog Bhavan work during odd hours on the occasion of Gandhi Jayanti when there is large sale and they have been getting appreciation allowance therefor for the last 15 years;

(b) if so, whether these employees have been given this allowance for their services in October-November 1974 also ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बचत अभियान के परिणामस्वरुप डाक व तार विभाग द्वारा बचतें

5533. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग ने बचत अभियान के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में 4.37 करोड़ रुपये की बचत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बचत में से 2.5 करोड़ रुपये की राशि केवल समयोपरि भत्ते के रूप में बचाई गई है ;

(ग) क्या समयोपरि भत्ते के रूप में उक्त 2.5 करोड़ रुपये की बचत के अतिरिक्त कुछ चुने हुए मामलों में, समयोपरि भत्ते की अदायगी भी की गई है ;

(घ) यदि हां, तो बचत के अलावा कितनी राशि का समयोपरि भत्ता दिया गया; और

(ङ) इस बचत अभियान के दौरान अन्य किन-किन मदों के अन्तर्गत बचत की गई ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान चलाये गये बचत अभियान के परिणामस्वरूप डाक-तार विभाग ने नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 3.50 करोड़ रुपये की बचत की है ।

(ख) उपर्युक्त रकम में समयोपरि भत्ते की मद में की गई बचत 85 लाख रुपये है ।

(ग) जहां भी आवश्यक समझा गया, समयोपरि भत्ते की मंजूरी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दी गई थी।

(घ) 13.50 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट अनुमान के मुकाबले में समयोपरि भत्ते पर 12.65 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 85 लाख रुपये की बचत हुई ।

(ङ) बचत की दूसरे मदें ये हैं :—

(i) चिकित्सा प्रतिपूर्ति 2.40 करोड़ रुपये।

(ii) आकस्मिक व्यय और यात्राभत्ता 25 लाख रुपये।

उष्मसह उत्पादों में आत्म निर्भरता

5534. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊष्मसह उत्पादों में भारत आत्म निर्भर है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन उत्पादों के निर्माण के लिये कितने प्रतिशत आवश्यक सामग्री का आयात किया जाता है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1973-74 में ऊष्मसह उत्पादों (रिफ्रेक्टरियों) का मूल्य की दृष्टि से करीब 10 प्रतिशत का तथा मात्रा की दृष्टि से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आयात किया गया ।

H.M.T. Watches to M.Ps.

5535. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Panna Lal Barupal :

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether H.M.T. watches for the Members of Parliament are sold to others ;

(b) if so, the number of watches received in H.M.T. office, Parliament Street, New Delhi this year and the number of watches given to the Members of Parliament ;

(c) whether the staff of H.M.T. at New Delhi shows carelessness and misbehaves while giving watches to the bearers of letters from M.Ps. ; and

(d) if so, the action proposed to be taken against the staff ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George): (a) to (d) There is no specific quota of H.M.T. watches earmarked for Members of Parliament. These watches are sold through various co-operative organisations and their own sales centres on 'first come first serve basis'. During the year 1974-75, about 55,420 numbers of watches have been sold by Delhi Sales Office of HMT. Government have received no information about the carelessness and misbehaviour of the staff of HMT towards either the bearers of letters from M.Ps. or the general public.

केन्द्रीय मंत्री को उसके दौरे के दौरान चिकित्सा सहायता

5536. **श्री डी०पी० जदेजा :**

श्री एन० ग्रार० वेकारिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री मंडलीय मंत्री को देश में या देश से बाहर दौरे के दौरान चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई प्रावधान दिया गया है ; ग्रौर

(ख) केन्द्रीय मंत्री मंडलीय मंत्री को उसके दौरे के दौरान ग्रावश्यकता के समय सामान्य चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व किस का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) नियमों के ग्रनुसार भारत में दौरे पर एक मंत्री को प्राधिकृत चिकित्सक सरकारी ग्रस्पताल से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का हक है ग्रौर कुछ परिस्थितियों में वह प्राधिकृत चिकित्सक के ग्रलावा चिकित्सा ग्रधिकारी से इसे प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार विदेश में दौरे के समय मंत्री के लिये चिकित्सा सामान्यतया "ठेके ग्रनुमोदित" डाक्टर के क्लीनिक से मिलती है किन्तु विशेष परिस्थितियों में मंत्री उस निवास पर जहां वह ठहरे हों चिकित्सा ग्रौर ग्रन्य ग्राकस्मिक इलाज करा सकते हैं ।

तकनीकी संस्थानों, ग्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों ग्रौर ग्रनुसंधान प्रयोगशालाग्रों में समन्वय

5537. **श्री के०एम० मधुकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तकनीकी जानकारी पर व्यय निर्भर रहने के लिये सरकार तकनीकी संस्थानों,

औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में निकट का समन्वय तथा सहयोग स्थापित करने के लिये एक नई योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) देश में प्रौद्योगिकी के विकास और आयात संबंधी जांच करने के लिये भारत सरकार ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की है । तकनीकी विकास के सचिव इस समिति में चेयरमैन के रूप में और सी०एस०आई०आर०, डी० जी० टी०डी०, एन०आर०डी०सी० और डी० एस० टी० संस्थानों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में होंगे । जब कभी आवश्यक होगा प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं और स्तर का मूल्यांकन करने के लिये अन्य मंत्रालयों/विभागों/उद्योगों/इंजीनियरिंग परामर्शीय फर्मों से भी प्रतिनिधियों को समिति आमंत्रित करेगी।

(ख) और (ग) देश में भविष्य की जरूरत के लिये प्रौद्योगिकी के किस्म की आवश्यकताओं संबंधी समस्याओं, उद्योग की क्षमता के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, स्वदेशी अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ आयातित प्रौद्योगिकी का अन्तः संबंध करने के लिये व्यवस्था और देश की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अन्तर को पूरा करने संबंधी तत्कालिक कार्यवाही का श्रीगणेश करना-- ऐसे समस्त कार्य इस समिति के होंगे । विभिन्न विभागों और अभिकरणों के साथ इस अन्तः कार्यवाही के माध्यम से समिति संबंधित अधिकारियों को एक पक्षीय तकनीकी विचार प्रदान करने का प्रयास करेगी ।

Making Available Data Regarding Cost of Power Generation and Transmission to Madhya Pradesh by Orissa

5538. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Energy** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1288 on 26th February, 1975 regarding supply of power to Madhya Pradesh from Hirakud Project and state: whether Orissa has made available to Madhya Pradesh data in respect of the cost worked out in regard to power generation and transmission on agreed basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : No, Sir.

भारत-श्रीलंका सूक्ष्म तरंग सम्पर्क

5539. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका में सूक्ष्म तरंग सम्पर्क स्थापित करने के लिये परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सरकार ने श्रीलंका को 2.75 करोड़ रुपया देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच दूरसंचार व्यवस्था के सुधार के लिये भारत सरकार और श्रीलंका सरकार ने कोलम्बो और मदुरै के बीच श्रीलंका में अनुराधापुर और मन्नार और भारत में रामेश्वरम के रास्ते से एक माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने का निर्णय किया है । इस काम के लिये भारत सरकार ने श्रीलंका को 274.68 लाख रुपये के भारतीय उपस्कर सप्लाई करने के लिये सहमति प्रकट की है । भवन निर्माण और दूसरे सिविल निर्माण, कार्य, उपस्करों की स्थापना और उन का परीक्षण, जहां तक उनका संबंध श्रीलंका के क्षेत्र से है, श्रीलंका सरकार अपनी लागत से करेगी ।

भारत-श्रीलंका माइक्रोवेव लिंक के भारतीय भाग, अर्थात् रामेश्वरम से मदुरै तक की स्थापना मद्रास, सेलम, कोईम्बतूर, मदुरै आदि को जोड़ने वाले एक मुख्य माइक्रोवेव प्रोजैक्ट के रूप में भारत का डाक तार विभाग करेगा ।

जब यह लिंक स्थापित हो जायेगा तो इस से कोलम्बो-मद्रास, कोलम्बो-बम्बई आदि के बीच उच्च ग्रेड के और भरोसे के सर्किट पर्याप्त संख्या में मिल जायेंगे । इससे श्री लंका के कुछ महत्वपूर्ण नगर भी, जैसे जफना, अनुराधापुरा, गन्नार आदि कोलम्बो से परस्पर जुड़ जायेंगे और तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय ट्रांसमिशन जाल से जुड़ जायेंगे । इससे बम्बई के समीप अरबी के भू-स्टेशन और कोलम्बो के पास के प्रस्तावित भू-स्टेशन के बीच प्रभावी अन्तर्संचार संबंध संभव हो जायेगा ।

कर्नाटक को विद्युत परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

5540. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के लिये केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कौन-कौन सी विद्युत् परियोजनायें हैं ;

(ख) कर्नाटक सरकार को गत दो वर्षों के दौरान उसके द्वारा मांगी गई राशि की तुलना में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य को कितनी राशि की सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) कर्नाटक के लिये विद्युत् परियोजनाओं के नाम, जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, नीचे दिये गये हैं :--

1. वराही जल-विद्युत् परियोजना	2 × 115 मेगावाट
2. बेड्थी जल-विद्युत् परियोजना	2 × 105 मेगावाट
3. कालीनदी जल-विद्युत चरण-दो	2 × 25 मेगावाट + 3 × 32 मेगावाट + 2 × 35 मेगावाट
4. शरावती टेल रेस	6 × 40 मेगावाट
5. चक्र व्यपवर्तन स्कीम . . .	केवल ऊर्जा

(ख) 1973-74 और 1974-75 वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता तथा कर्नाटक सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि नीचे सारणी में दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

	1973-74		1974-75	
	दी गई धनराशि	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि	दी गई धनराशि	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि
	(1)	(2)	(3)	(4)
राज्य योजना के लिये ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता .	35.46	43.36	35.46	64.00

	(1)	(2)	(3)	(4)
राज्य योजना के लिये दी गई विशेष योजना सहायता	9.46	9.46	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कालीनदी जल-विद्युत् परियोजना के लिये दिये गये गैर-योजना ऋण	14.89	25.00	कुछ नहीं	25.00
कुल : . . .	59.81	77.82	35.46	89.00

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 1975-76 के लिये केन्द्रीय सहायता को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों तथा आपरेटरों के लिये सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण

5541. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने ऐसी कोई मांग की है कि वैज्ञानिकों तथा आपरेटरों के लिये सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण के एक समेकित कार्यक्रम का होना जरूरी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इस प्रकार की कोई मांग नहीं की गई है। नथापि, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण देना रिऐक्टर संचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करता है । अर्जित अनुभव को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम में समय-समय पर संशोधन किये गये हैं ।

पणजी में एक नया ध्वज फहराया जाना

5542. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 1975 को पणजी में पुलिस महा निरीक्षक के कार्यालय तथा कई अन्य पुलिस स्टेशनों पर समारोह पूर्वक एक नया दौरंगा ध्वज लगाया तथा फहराया गया था;

(ख) या 13 मार्च, 1974 तक पुलिस विभाग राष्ट्रीय ध्वज को ही उपयोग में ला रहा था;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत में यह तीसरा राज्य-संघ राज्य क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय ध्वज को बदला गया है ;

(घ) क्या कुछ अन्य राज्यों ने इसके लिये अनुमति मांगी है ;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) इस संबंध में संवैधानिक स्थिति क्या है और क्या इस बारे में संविधान में कोई संशोधन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) से (च) ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज केवल महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों पर ही फहराया जाना चाहिये। राष्ट्रीय ध्वज के फहराने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए 1958 में राज्यों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पूछताछ किये जाने पर जनवरी, 1975 में स्थिति को दोहराया गया था और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को पुलिस महानिरीक्षकों के कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज को न फहराये जाने की सलाह दी गई थी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार तमिल नाडु सरकार, गोवा, दमन व दीव प्रशासन में हाल के पुलिस महानिरीक्षकों के कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वजों का फहराना बन्द कर दिया है। इन कार्यालयों पर अब पुलिस ध्वज फहराया जाता है।

पुलिस महानिरीक्षकों के कार्यालयों पर पुलिस के ध्वज फहराने में कोई संवैधानिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा

5543. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर जिले को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ कर असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निश्चित कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ग) राज्यों के बीच यदि कोई विवाद था तो क्या वह हल हो गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा का सीमांकन कार्यक्रम भारतीय सर्वेक्षण के परामर्श से असम राज्य सरकार तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच परस्पर तय किया गया है। भारत सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार असम के लखीमपुर जिले तथा अरूणाचल प्रदेश के साथ सीमा को एक भाग का सीमांकन कर दिया गया है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, अरूणाचल प्रदेश के तिरप जिले तथा असम के बीच सीमा को प्राथमिकता दी गई है और उस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और भारतीय सर्वेक्षण के अधिकारी सीमा के सीमांकन के बारे में समस्याओं के समाधान के लिये समय समय पर मिलते रहे हैं।

Newspaper Finance Corporation

5544. Shri Chandra Shailani : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Newspaper Finance Corporation ;

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ; and

(c) the categories of the newspapers which are likely to get financial assistance from this corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) to (c) Yes, Sir. The detailed working of the proposed Corporation are under examination and no date of its being set up can yet be indicated.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मामले

5545. **श्री बी०के० दासचौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा पश्चिम बंगाल के सतर्कता आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों तथा चाय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध प्रथम मामला बनाया है जो कि भूमि के उस भाग के संबंध में मुआवजा की अधिक राशि देने से संबंधित है जो वर्ष 1964 में दार्जिलिंग जिले में रोहिणी चाय बागान से सैनिक प्राधिकारियों के लिए अधिगृहीत की गई थी तथा यह चाय बागान तत्कालीन मालिकों ने वर्ष 1960 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से 4.41 लाख रुपयों में खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भुगतान की मुआवजा की अधिक राशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की कोई जांच-पड़ताल नहीं की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि राज्य सतर्कता आयुक्त ने भी मामले की कोई जांच-पड़ताल नहीं की है । किन्तु राज्य सरकार द्वारा राजस्व बोर्ड, पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सदस्य को मामले की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया गया था । राज्य सरकार ने राजस्व बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है कि भुगतान करने में सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से कोई बेईमानी की नीयत नहीं थी ।

(ग) अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 के अधीन दिए जाने वाले मुआवजे का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी निर्धारण किया जाना बाकी है । अधिक भुगतान की मात्रा यदि कोई होगी, तो उसका पता केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा देय मुआवजे के निर्धारण के बाद ही चलेगा ।

सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट के लिये सम्पर्कों की व्यवस्था करना

5546. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग सेटेलाईट इंस्टक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट के स्थान के लिए परमावश्यक सम्पर्कों की व्यवस्था कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं,

(ग) क्या डाक व तार विभाग द्वारा स्थापित किये जा रहे दूरसंचार सम्पर्क दिल्ली तथा अहमदाबाद स्थित सेटेलाईट भू-स्टेशनों के साथ टेलीविजन स्टूडियों और ट्रांस्मीटरों का संबंध जोड़ देंगे; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य संभवतः कब तक चालू हो जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (घ) डाक-तार विभाग सेटेलाईट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लिये टेरेस्ट्रियल टी० वी० एंडलिंक्स की व्यवस्था कर रहा है ।

ये लिंक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (अंतरिक्ष विभाग) की प्रार्थना पर निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं

(i) अहमदाबाद भू-स्टेशन से नादिवाड टी०वी० ट्रांसमिटिंग स्टेशन को।

(ii) दिल्ली भूस्टेशन से आकाशवाणी टी०वी० स्टूडियो को।

इन लिंकों को स्थापित करने का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और आशा है कि यह कार्य अप्रैल, 1975 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

पूर्वी क्षेत्र में अनधिकृत कोयला-खनन

5547. **श्री बसन्त साठे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी क्षेत्र में खनन तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ से हो रहे अनधिकृत कोयला खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को सूचना मिली है कि कुछ-गैर सरकारी पार्टियों द्वारा विहार में खास कर हजारीबाग और गिरीडीह जिलों में कोयले का खनन किया जा रहा है। कुछ लोगों के पास वैध्य खनन पटटे तो हैं किन्तु उन्होंने अन्य कानूनों की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। अवैध और अनधिकृत कोयला खनन की समस्या को कारगर ढंग से हल करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

चालू वर्ष के दौरान तापीय विद्युत् प्रजनन के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य

5548. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तापीय विद्युत प्रजनन के लिये चालू वर्ष के दौरान नियत किये गये लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जानी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जुलाई, 1974 में आयोजित हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि उन केन्द्रों को छोड़कर जो पहले ही 6000 यूनिट/किलोवाट और उससे अधिक के ऊंचे स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं, प्रत्येक ताप-विद्युत केन्द्र पहले प्राप्त किये उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

ताप-विद्युत् केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) अतिरिक्त पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में अधिप्राप्ति और भंडार बनाना।

(2) बायलरों की अभिकल्प आवश्यकताओं के अनुरूप, अनुकूल किस्म के कोयले की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये कोयला खानों के विद्युत केन्द्रों के साथ उचित लिंकों द्वारा विभिन्न विद्युत केन्द्रों तक कोयले की ढुलाई को युक्तियुक्त बनाना।

(3) ताप-विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और रख-रखाव का बराबर संचालन (मानीटरिंग) करना।

(4) प्रचालन और रख-रखाव कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(5) विद्युत प्रणाली के एंकीकृत प्रचालन को सफल बनाने के लिये पर्याप्त क्षमताओं वाली अन्तराज्यीय पारेषण लाइनों का शीघ्रतापूर्वक निर्माण करना।

(6) लोड की घट-बढ़ को कम करने के लिए लोडों को यथासंभव तथा आवश्यक सीमा तक समयबद्ध करना और बारी-बारी से पूरा करना, क्योंकि इससे ताप-विद्युत उत्पादन यूनिटों के एक-समान उच्च लोड अनुपात पर प्रचलन में मदद मिलती है।

(7) विभिन्न यूनिटों के कार्य निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखने तथा यथा-आवश्यक तुरन्त सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, कोयला विभाग, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके एक स्थायी समिति स्थापित की गई है।

(8) रख-रखाव प्रक्रियायों के आधुनिकीकरण और ताप-विद्युत केन्द्रों की प्रबंध व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इन उपायों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कई विद्युत केन्द्रों ने अक्तूबर, 1974 और मार्च, 1975 की अवधि में लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं।

जियो-स्टेशनरी कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स

5549. **श्री सरजू पांडे** : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विचार आपरेशनल जियो-स्टेशनरी कम्युनिकेशन सेटेलाईटस का निर्माण करने और उन्हें छोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ये उपग्रह संभवतः कब छोड़े जायेंगे?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स, अन्तरिक्ष, योजना तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : 1970-80 की दशाब्दी में अन्तरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के विकास के लिये तैयार की गई रूप रेखा में, दूरदर्शन-व्याप्ति और दूर-संचार सम्पर्कों के लिए, बहुउददेश्यीय उपग्रह का का प्रयोग करते हुए, हमारी अपनी उपग्रह प्रणाली की स्थापना करना सम्मिलित है। पांचवीं योजना में, एक भू-स्थायी (जियो-स्टेशनरी) उपग्रह का प्रयोग करते हुए, दूरदर्शन और दूर-संचार के लिये एक राष्ट्रीय उपग्रह की स्थापना करने का प्रस्ताव था, जिसका दूरदर्शन-कार्यक्रमों के प्रसारण के अतिरिक्त, दूर-संचार के लिये भी उपयोग किया जायेगा। योजना आयोग ने, एक समेकित योजना बनाने के उद्देश्य से एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) का गठन किया था, जिसमें आयोग और विभिन्न प्रयोक्ता मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे, तथा इसकी रिपोर्ट सितम्बर, 1973 में प्रस्तुत की गई। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन ही है।

आदिवासी लोगों के लिये परियोजना स्तर पर सहकारी संघ

5550. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी लोगों को ऋण, विपणन तथा खपत संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परियोजना स्तर पर एक सहकारी संघ स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका संबंध केन्द्रीय आदिवासी विकास ऐजेन्सी के तत्वावधान में क्रियान्वित की जाने वाली आदिवासी विकास परियोजना के साथ जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : आदिवासी विकास परियोजनाओं में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई सहकारी ढांचा सम्बन्धी एक अध्ययन दल (बावा समिति) ने सिंगभूम (बिहार) गन्जम तथा कोरापुट (उड़ीसा) के लिये बड़े आकार की बहुद्देशीय समितियों की और मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के लिए अदिवासी विकास सहकारी संघ की स्थापना की सिफारिश की । ये सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ।

(ख) तथा (ग): केन्द्रीय आदिवासी विकास अधिकरण स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बिरला बन्धुओं के आवासों तथा कंपनी कार्यालयों में मारे गये छापे

5551. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने गत तीन वर्षों में अब तक बिड़ला बंधुओं के आवासों तथा उनकी कंपनियों के कार्यालयों पर कुल कितने छापे मारे ;

(ख) जिन व्यक्तियों (बिड़ला ग्रुप से संबंधित) के घरों पर छापे मारे गये तथा तलाशी ली गई उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक स्थान पर नकद तथा सम्पत्ति के रूप में कुल कितनी राशि का लेखा बाह्य धन पाया गया अथवा पकड़ा गया ;

(घ) इस संबंध में कुल कितने मामले दायर किये गये तथा जिन व्यक्तियों पर मुकदमें चलायें गये उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(ङ) जिन व्यक्तियों के घरों पर छापे मारे गये उनके विरुद्ध क्या-क्या विशिष्ट आरोप हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान चलाये गये मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) से (च) बिड़ला बन्धुओं के स्वामित्व अथवा उनके नियंत्रण में बहुत सी कम्पनियां/प्रतिष्ठान हो सकते हैं और बिड़ला ग्रुप से सम्बन्धित भी अनेक व्यक्ति होंगे । इसलिए यदि उन विशेष व्यक्तियों, कम्पनियों अथवा प्रतिष्ठानों के नामों का उल्लेख कर दिया जाए, जिनके विषय में सूचना आवश्यक है तो अपेक्षित सूचना एकत्रित करके दी जा सकती है ।

(ग) लेखा बाह्य धन का पता लगाने का काम वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आय-कर प्राधिकारियों से सम्बन्धित है ।

Film not allowed to be Screened by Film Censor Board

5552. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of films which were not allowed to be screened due to obscenity and the number of films in which alternations were suggested by the Film Censor Board during the last one year ; and

(b) the name of those films and the language of each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) :(a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण उद्योग में संकट

5553. **श्री रानेन सेन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माण उद्योग भीषण संकट का सामना कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा मामले को सही दृष्टिकोण से ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे किसी निश्चित समय में वैगनों के आर्डर रेलवे के अर्थोपायों पर निर्भर न रहें। इस प्रक्रिया में वैगन उद्योग की कठिनाइयां काफी मात्रा में कम हो गई होती ।

"गन रनिंग मिनी बस वैनिशिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5554. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1975 के "ब्लिट्ज" में--"गन रनिंग मिनी बस वनिशिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में की गई विशेष कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 19-12-74 को बाधा में एक जर्मन नागरिक द्वारा चलाई जा रही एक मरसेड्स कार के झूठे तल से एक सौ राइफलें, पांच सौ कारतूस बरामद किये गये थे । मामले की छानबीन की जा रही है । कोई अन्य मामला ध्यान में नहीं आया है ।

पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा चलाई गई परियोजनायें

5555. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा अब तक कौन-कौन सी परियोजनायें चलाई गई हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं की कारगर ढंग से क्रियान्विति के लिये कितनी राशि नियत की गई है और तत्संबंधी विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) स्वीकृति की गई योजनाओं और उनको वित्तीय आवंटन की सूची का विवरण संलग्न है ।

विवरण

उत्तर-पूर्वी परिषद् के लिये स्वीकृत की गई योजनाओं और उनको वित्तीय आवंटन की सूची का विवरण

योजना का नाम	आवंटित धन राशि	(रु० लाखों में)
	1973-74	1974-75
1	2	3
कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां पशु पालन तथा डेरी विकास		
क्षेत्रीय जैसे पशु नस्ल तथा प्रदर्शन फार्म, अरुणांचल प्रदेश .	3.00	21.62
क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, अरुणांचल प्रदेश .	3.70	6.35
क्षेत्रीय भेड़ नस्ल फार्म	0.30	5.10
जैविक उत्पादन केन्द्र का विस्तार, असम	2.50	10.27
गोजात्तीय फेफड़ी नमूनिया तथा ऐंठन ज्वर नियंत्रण, असम .	2.00	6.65
पशु पालन तथा चिकित्सा विज्ञान स्कूल का विस्तार, असम .	2.00	4.42
केन्द्रीय मुर्गी नस्ल फार्म, मेघालय .	3.00	7.05
डैरी विकास योजना, मेघालय .	--	16.67
क्षेत्रीय दोगला पशु नस्ल परियोजना, मेघालय .	--	3.00
क्षेत्रीय सूअर नस्ल फार्म, मिजोरम	5.00	14.97
क्षेत्रीय विदेशी पशु नस्ल फार्म, त्रिपुरा .	1.00	7.00
क्षेत्रीय बतख नस्ल फार्म, त्रिपुरा	2.00	0.50
क्षेत्रीय विदेशी पशु नस्ल फार्म, मणिपुर	0.50	7.85
फसलकृषि		
मऊ में क्षेत्रीय आलू बीज फार्म	1.00	15.00

1	2	3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में महत्वपूर्ण		
कृषि उत्पादनों का विपणन-सर्वेक्षण .	—	0.50
भू-संरक्षण तथा भूमि सुधार		
झूम नियंत्रण और कामेंग नदी अपवाह के जल विभाजक प्रबन्ध के लिये योजना, जिला कामेंग, अरुणांचल प्रदेश . . .	—	6.63
रंगा नदी के अपवाह के लिये भू-संरक्षण योजना, लखीमपुर, जिला असम .	—	14.35
दिदराम (जिनारी) अपर कैचमेंट कंजरवेशन प्रोजैक्ट, मेघालय	—	14.56
इरील नदी अपवाह क्षेत्र के झूम नियंत्रण तथा जलविभाजक संरक्षण, मणिपुर	—	8.45
धालेश्वरी नदी घाटी का झूम नियंत्रण तथा अनुसंधान कार्यक्रम, मिजोराम	—	13.01
हावड़ा अपवाह क्षेत्र में झूमियां लोगों को बसाना, त्रिपुरा	—	3.00
भूमि सर्वेक्षण तथा मिट्टी सर्वेक्षण	-	20.25
परिवहन व संचार		
रेलवे : निम्नलिखित का सर्वेक्षण तथा जांच:—		
(1) रंगापारा—वेलियापारा मालुकपंग . . . (2) टिपलिंग—ईटानगर (अ० प्र०) . . . (3) पंचरत्नधर—दरांगगिरि (मेघालय) . . (4) गौहाटी से बरनी हाट (मेघालय) . . . (5) लालघाट/लालबाजार से सैरांग (मिजोराम) . .	0.50	15.00
रज्जुमार्ग :		
(1) चेरा-शिलांग—गौहाटी रज्जुमार्ग सर्वेक्षण . .	1.50	6.00
(2) प्राथमिक टोह सर्वेक्षण		
असम	—	0.05
मणिपुर	—	0.10
मेघालय	—	0.15
मार्ग :		
निम्नलिखित मार्गों का सर्वेक्षण करना, नये मार्ग बनाना तथा सुधारना :—		
1. अरुणांचल प्रदेश	—	60.00
2. असम	—	70.00
3. मणिपुर	—	35.00

1	2	3
4. मेघालय	—	45.00
5. त्रिपुरा .	—	30.00
6. मिजोराम .	—	60.00
उद्योग तथा खान :		
खान (मावलांग-शैला कोयलाक्षेत्र, मेघालय में प्रमाणित-कोयला भंडारों की खोज)	—	6.00
शैरीकल्चर :		
1. त्रिपुरा, असम में शैरीकल्चर प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार .	—	1.00
2. क्षेत्रीय विदेशी रेस सीड स्टेशन, शिलांग (मेघालय)	—	1.00
3. मणिपुर और मेघालय में दो उप-केन्द्रों के साथ क्षेत्रीय ओक टस्सर बीज केन्द्र . . .	—	2.50
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में ओक टस्सर के लिये सर्वेक्षण तथा परीक्षण करना .	—	1.00
अरुणाचल प्रदेश .	—	0.11
असम . .	—	0.55
मेघालय .	—	0.50
मिजोराम .	—	0.24
त्रिपुरा .	—	0.10
5. हायर एलटीट्यूड्स उत्तर कछार, असम में एक क्षेत्रीय मूंगा बीज केन्द्र की स्थापना . .	—	0.50
क्षेत्रीय सर्वेक्षण और संस्थाएं ;		
1. प्रौद्योगिकी तथा जनशक्ति सर्वेक्षण .	0.10	0.60
2. ठेकेदारी तथा प्रबन्ध संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण .	—	0.15
3. क्षेत्रीय मैडिकल कालेज, इम्फाल	—	62.00
4. डाकूमेंटेशन केन्द्र, शिलांग	—	0.50
बिजली :		
अनुसंधान तथा सर्वेक्षण		
अरुणाचल प्रदेश :		
1. नामचेक थर्मल योजना . . . 2. पंगी हाइडल योजना . . . 3. दाम्वे हाइडल योजना	1.50	2.00

1	2	3
माइक्रो-हाइडल योजनाओं के लिये 5 स्थल . .	—	0.75
हाइडरोलोजिकल आंकड़े एकत्र करने के लिये 6 स्थल .	—	6.00
असम :		
1. वारगोलोई थर्मल योजना .		
2. उमियां—उमखेन हाइडल योजना	1.50	15.00
मेघालय :		
1. गारो पर्वतीय थर्मल पावर योजना		
2. किन्सी हाइडल योजना .	1.50	12.50
3. थान्गलांग हाइडल योजना .		
4. नौंगस्टन हाइडल योजना .		
5. नोगलिन्कियन हाइडल योजना .		
अपर खेरी उमियम उमतु स्टेज IV.	—	6.00
लेस्खा नदी पर हाइड्रोलोजिकल .	—	1.50
आंकड़े एकत्र करना :		
मणिपुर :		
1. तुईवाई हाइडल स्कीम . .	0.50	14.50
2. लोक टक तेलरेस डेवलपमेंट हाइडल स्कीम		
3. सोइट्स फोरमोइक्रो हाइडल स्कशम		0 50
मिजोराम :		
(1) 3 साइट्स फोर माइक्रो हाइडल स्कीम	—	1.00
(2) कोलादिन नदी पर हाइड्रोलोजिकल आंकड़े एकत्रित करना	—	1.00
त्रिपुरा :		
थरमल पावर स्कीम, बारोमुरा	—	5.00
कांपली हाइडल प्राजेक्ट	—	253.95
	33.10	931.95

President's Assent to Bihar Bills

5556. **Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Bihar Vidhan Sabha and the Bihar Vidhan Parishad unanimously passed during their monsoon sessions two important legislations namely the Sahukar Vidheyak (the money-lenders bill) and the Rin Mukti Vidheyak (the redemption of loan bill) ;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto and the reasons why President's assent to them is being delayed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The Bihar Money Lenders Bill, 1974, and the Bihar Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes (Annexure I) and Denotified Tribes Debt Relief Bill, 1974, as passed by the Bihar State Legislature, have already been assesnted to by the President. The former provides, *inter alia*, that it shall not be lawful for a money-lender to realise from a debtor any sum on account of the principal and interest more than double the amount of the loan advanced. The principal amount and all dues in respect of an usufructuary mortgage, whether executed before or after the commencement of this Act, shall be deemed to have been fully satisfied. The latter provides that landless agricultural labourers belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or any other Class mentioned in Schedule I to the Act or any tribe or Tribal Community specified in Schedule II of the Act, owning not more than one acre of land, shall be discharged from the liability of repaying all debts including the amount of interest advanced to them.

सीमेंट का उत्पादन तथा उसका राज्यों को आबंटन

5557. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64 और वर्ष 1973-74 के दौरान सीमेंट के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य क्या था तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उसका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है;

(ग) उसी अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितने कोटे की आवश्यकता थी तथा प्रत्येक राज्य को कितना सीमेंट आवंटित किया गया था तथा आवंटन के लिए मापदंड क्या था; और

(घ) क्या सीमेंट की आवश्यकता के बारे में राज्यों की मांग को पूर्णतः पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) 1963-64 और 1973-74 में सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 94.3 लाख मीट्रिक टन और 146.1 लाख मीट्रिक टन हुआ था।

(ख) चौथी योजना के लिये सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1.80 लाख मी० टन निश्चित किया गया था। विगत तीन वर्षों में हुआ उत्पादन नीचे दिया जाता है :--

1972-73 . . .	15.40 मी० टन
1973-74	24.61 मी० टन
1974-75 . . (फरवरी, 1975 तक)	13.35 मी० टन

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है। (**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9387/75**)

भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी की मिज़ोरम के मुख्य सचिव के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति

5558. **श्री शफकंत जंग :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को मिजोरम के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करने का है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए एक संवर्ग-पद है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सारे देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी इस पद के लिये उपयुक्त नहीं है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री फ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) मिजोरम के विधि व व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से मुख्य सचिव तथा सुरक्षा आयुक्त का अस्थायी संवर्ग वाह्य पद बनाने और मुख्य सचिव के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पद को कुछ समय के लिए स्थगित रखने को कहा गया था। संवर्ग वाह्य पद के लिए भारतीय पुलिस सेवा के एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति स्वीकृत की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मद्रास में आयोजित गोष्ठी

5559. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेन्सियों तथा सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा हाल ही में, मद्रास में आयोजित एक विचार-गोष्ठी में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी को जनता के लिये सुलभ करने के विषय पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में मुख्यतः क्या-क्या विचार प्रकट किये गये और यदि कोई मतैक्य हुआ तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) विचार गोष्ठी में हुई चर्चा के संदर्भ में यदि सरकार ने कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) से (ग) हाल ही में मद्रास में हुई एक विचार गोष्ठी में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी पूंजी में सरकार द्वारा भाग लिये जाने पर चर्चा की गई थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी पूंजी में निजी उद्यमों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में सरकार की विद्यमान नीति औद्योगिक नीति, संकल्प, 1956 द्वारा विनियमित है। उपयुक्त मामलों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अथवा निजी पार्टियों के अपने निगमों के माध्यम से इक्विटी में हिस्सा बटाया है। संयुक्त क्षेत्र के एकक की किस्म एक ऐसा तरीका है जिसे विशिष्ट मामलों में योजना के निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को ध्यान में रख कर अपनाया जा सकता हैं। इस प्रकार का संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के प्रत्येक प्रस्ताव की जाँच और तत्संबंधी निर्णय सरकार के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। संयुक्त क्षेत्र एक संवर्धनात्मक उपकरण भी होगा उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जहाँ राज्य सरकारें नए और मझौले उद्यमियों के साथ साझा करती हैं वहां उनका उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योग का विकास करने में उनका मार्गदर्शन करना होता है। संयुक्त क्षेत्र विभिन्न प्रकार के सभी एककों में सरकार मार्गदर्शी नीतियों, प्रबन्ध और संचालन तथा प्रत्येक मामलों में उपयुक्त वास्तविकता प्रतिमान और तरीका निश्चित करने में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करने का सुनिश्चय करेगी।

आल इंडिया फेडरेशन आफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज एसोसियेशन द्वारा पेश किया गया ज्ञापन

5560. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को आल इंडिया फेडरेशन आफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज एसोसियेशन की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें उन कर्मचारियों का एक मांग-पत्र था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री को आल इंडिया फेडरेशन आफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज एसोसियेशन की ओर से उनके मांगपत्र का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ मालूम नहीं होता। किन्तु आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज फैडरेशन हैदराबाद के महासचिव का दिनांक 26 अप्रैल, 1974 का एक पत्र प्रधान मंत्री सचिवालय में प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रधान मंत्री से मिलने के लिये अनुरोध किया गया था। इस पत्र में कोई मांग पत्र नहीं था। फैडरेशन के महा-सचिव को सूचित किया गया था कि कार्य मैं बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण, प्रधान मंत्री के लिये फैडरेशन के प्रतिनिधियों से मिलना संभव नहीं हो सकेगा।

Decentralisation of Hindi Teaching Scheme

5561. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Hindi Teaching Scheme had been decentralized into zones throughout the country and is looked after by an officer, in overall charge, of the rank of Joint Secretary, if so, when and the reasons for which this arrangement was started and the expenditure incurred thereon annually ;

(b) whether the Ministry has constituted any review Committee which has recomended abolition of this arrangement and centralization under an officer of lower rank ; and

(c) the outlines of the new arrangement and the annual expenditure involved therein ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Om Mehta) : (a) No Sir. The Hindi Teaching Scheme has never been decentralised as such. The Centres, however, work under the supervision of part-time Officers-in-Overall Charge who are invariably senior Central Government officers belonging to various Ministries. The system is in vogue practically since the Ministry of Home Affairs took over the management of the Hindi Teaching Scheme. These officers are paid honorarium at rates ranging between Rs. 25 to Rs. 80 p.m. The expenditure incurred on the Officers-in-Overall Charge on their honorarium was Rs. 84,230 during the year 1974-75.

(b) and (c) Yes Sir. The Review Committee has recommended that the institution of the Officer-in-Overall Charge should be abolished and the implementation of the Hindi Teaching Scheme should be fully entrusted to the officers of the Hindi Teaching Scheme itself and for this purpose, the work among the supervisory officers should be reallocated. They have, further, recommended that, if necessary, a few Supervisors' posts should be created for the purpose.

The Committee's recommendation in this reagard has been partially accepted and the expected annual expenditure involved in the new arrangement, when implemented, would come to Rs. 74,400.

क्रासवार एक्सचेंज

5562. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश में जब क्रासबार एक्सचेंजों की स्थापना करने का निर्णय किया गया था, तब विश्व के सभी देशों से टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए थे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : विश्व के सभी देशों से टेंडर आमंत्रित किए गए थे।

सामान्य नियंत्रण क्रास बार प्रणाली

5563. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०टी०आई० बंगलौर के अध्यक्ष ने 1971–72 में यह कहा था कि सामान्य नियंत्रण क्रास बार प्रणाली पूरी कुशलता से काम करेगी यह कहना अभी बहुत कठिन है; और

(ख) इसके वर्तमान कार्यकरण संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संचारमंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : : (क) अगस्त, 1972 में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ने कहा था कि क्रासबार प्रणाली की कार्यपद्धति की मुख्य समस्या का पता लगा लिया गया है और भविष्य में तैयार किये जाने वाले उपस्कर में जो परिवर्तन किया जाएगा उससे कार्य-निष्पादन में निश्चित रूप से सुधार होगा। फिर भी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि अभी यह कहना थोड़ा असामयिक होगा कि इस उपस्कर का कार्य पूरी तरह संतोषजनक रहेगा।

(ख) इसके बाद इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में बने क्रासबार उपस्करों में कुछ सुधार कर दिये गए हैं। भावी उत्पादन में, यथावश्यक और सुधार भी किये जाएंगे। सुधारे गए टेलीफोन एक्सचेंज की प्रस्थापना की जा रही है। सुधारों से इन एक्सचेंजों का कार्य-निष्पादन अच्छा होने की आशा है।

कासबार एक्सचेंज

5564. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासबार एक्सचेंज अपनी 100 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह फैसला किया गया है कि समान्यतः किसी भी प्रकार के आटोमेटिक एक्सचेंज की 90 प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल एक्सचेंज के चालू होने के तुरन्त बाद किया जाएगा और एक्सचेंज के आगामी विस्तार के चालू होने की नियत तारीख से लगभग छह महीने पहले से ही 94 प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। टेलीफोन कनेक्शन देने की एक्सचेंज की शेष 6 प्रतिशत क्षमता परीक्षण नंबरों, अस्थायी कनेक्शनों आदि के लिए सुरक्षित रखी जाती है और उसे आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने वालों के एक वर्ग द्वारा "समानन्तर सिनेमा" पर गोष्ठी के दौरान अलग से बैठक आयोजित किया जाना

5565. **श्री मधु दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान "समानान्तर सिनेमा" पर राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित हुई थी;

(ख) क्या इस गोष्ठी में भाग लेने वालों के एक वर्ग ने राष्ट्रीय संग्रहालय के लान पर अलग से बैठक आयोजित की थी;

(ग) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय के लान पर बैठक आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों से कोई अनुमति मांगी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो पृथक बैठक करने वाले आयोजकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) : जी, हां।

(ख) जी, हां। भाग लेने वाले कुछ लोग बाहर चले गये थे और उन्होंने हाल के बाहर कुछ देर एक बैठक की थी, परन्तु कुछ देर के बाद वे गोष्ठी में शामिल हो गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की लड़कियां

5566. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की साक्षर लड़कियों की संख्या कितनी है, तथा कितनी लड़कियां नौकरी कर रही हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयु, लिंग, साक्षरता तथा व्यावसायिक वर्गीकरण के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की जन संख्या का अन्योन्य वर्गीकरण 1971 की जन गणना तथा इससे पहले की जन गणनाओं में नहीं किया गया है।

वैगन निर्माण उद्योग में श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजने की समस्या उत्पन्न होना

5567. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री ज्योतिमय बसु :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वैगन निर्माण उद्योग को श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा मामले को सही दृष्टिकोण से ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे किसी निश्चित समय में वैगनों के आर्डर देना रेलवे के अर्थोपायों पर निर्भर न रहें। यह सच है कि अन्यथा बड़े पैमाने पर जबरी-छुट्टी की आशंका है।

गुजरात में शिशु आहार की कमी

5568. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि गुजरात में शिशु आहार की बहुत कमी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात के लिये शिशु आहार का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) फरवरी, 1975 में गुजरात के कुछ हिस्सों में शिशु आहार की कमी होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) और (ग) शिशु आहार के वितरण पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण नहीं है। फिर भी, शिशु आहार उत्पादकों को प्रभावित क्षेत्र में सम्भरण करने के लिए कहा गया है।

त्रिपुरा की संस्कृति पर वृत्तचित्र का न बनाना

5569. **श्री शक्तिकुमार सरकार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की संस्कृति के किसी भी पहलू पर कोई वृत्तचित्र न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या त्रिपुरा के रियांग आदिवासी नृत्य पर एक चित्र बनाने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आदिवासी नृत्यों सहित त्रिपुरा के लोगों के सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के अभिप्राय से त्रिपुरा पर एक डाकुमेन्ट्री फिल्म प्रभाग द्वारा पहले ही बनाई जा रही है।

(ख) केवल त्रिपुरा के रियांग आदिवासी नृत्य पर ही फिल्म बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

न्यायालयों में मुकदमों को लड़ने के लिये भूमिहीन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आवंटित धन राशि

5570. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973 तथा उसके पश्चात् से प्रत्येक राज्य को गरीबों, भूमिहीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मुकदमों को लड़ने के लिये, यदि उसके साथ कोई बेइन्साफी हुई है, पर्याप्त राशि आवंटित की है;

(ख) वर्ष 1973 से वर्ष 1975 में 27 फरवरी, 1975 तक प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ग) धनराशि का उपयोग करने के बारे में राज्य सरकारों से मिली रिपोर्ट क्या हैं; और

(घ) इस सहायता के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है। जैसे ही वह प्राप्त होगी सभा पटल पर रखी जाएगी।

इंडियन फार्मर्ज फर्टिलाइजर कोआपरेटिव आर्गनाइजेशन द्वारा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

5571. **श्री राजदेव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्ज फर्टिलाइजर कोआपरेटिव आर्गनाइजेशन के पास देश में बड़े उर्वरक संयंत्रों को लगाने और इनका संचालन करने के लिए पर्याप्त तकनीकी जानकारी अथवा संसाधन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में दो उर्वरक संयंत्रों—कलोल संयंत्र और कांडला तथा तीसरा संयंत्र इलाहाबाद जिले में स्थित फूलपुर के अलावा देश में कोई और संयंत्र भी स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) फूलपुर स्थित उर्वरक संयंत्र के लिए किस सामग्री अथवा कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) कलोल और कांडला में तैयार किये जा चुके संयंत्रों के अतिरिक्त इफको का पांचवीं योजना में केवल दो और संयंत्र, एक फूलपुर में और दूसरा फास्फोरिक एसिड संयंत्र कांडला में लगाने का विचार है।

(ग) फूलपुर संयंत्र के लिए फीडस्टाक इधन तेल होगा।

केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड नई दिल्ली, के लिए परामर्शदायी समितियों का गठन

5572. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों की 28 मई, 1974 को आयोजित आम बैठक में राजधानी में उसके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न उपभोक्ता

स्टोरों के लिए परामर्शदायी समितियां गठित करने और इसमें निदेशकों तथा प्रतिनिधियों को शामिल करने के बारे में निर्णय लिया गया था ताकि इन शाखा स्टोरों का कार्य सुचारु रूप से चल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति की स्थापना की गई है और यदि हां, तो कब;

(ग) प्रत्येक शाखा स्टोर के मामले में इन परामर्शदायी समितियों की बैठकें अब तक कितनी वार तथा किस-किस तिथि को हुई थीं तथा इनमें दिए गए सुझावों का कहां तक पालन हुआ है; और

(घ) परामर्शदायी समितियों की बैठकें यदा-कदा आयोजित न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्। बैठक 28 जून, 1974 को हुई थी, न कि 28 मई, 1974 को।

(ख) समिति के 24 शाखा स्टोरों में से 22 स्टोरों के लिए जुलाई, 1974 में परामर्शदायी समितियों की स्थापना की गई थी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पंजाब को सीमेंट का आबंटन

5573. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान पंजाब को सीमेंट का कितना आबंटन हुआ है; और

(ख) इस अवधि के दौरान वास्तव में कितना सीमेंट सप्लाई किया गया?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) वर्ष 1974-75 में 'राज्य कोटा' के अधीन पंजाब को 4.72 लाख मी०टन सीमेंट का आवंटन किया गया था। अप्रैल, 1974 से फरवरी, 1975 की अवधि वास्तव में उठाई गई मात्रा 3.09 लाख मी०टन थी। मार्च, 1975 में उठाई गई वास्तविक मात्रा की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में उद्योगों और कृषि के लिये विद्युत् में की गई कटौती के कारण हानि

5574. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तिमाही के दौरान पंजाब में उद्योगों और कृषि के लिये विद्युत में कितने प्रतिशत कटौती की गई; और

(ख) बिजली की इस कटौती के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित सूचना दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अकेले विद्युत् की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि का मूल्यांकन करना संभव नहीं है क्योंकि इसमें और भी कई कारण निहित हैं।

विवरण

जनवरी 1975 से मार्च 1975 के दौरान पंजाब में लागू विद्युत् कटौती को दिखाने वाला विवरण

जनवरी, 1975		फरवरी, 1975		मार्च, 1975	
उद्योग	कृषि	उद्योग	कृषि	उद्योग	कृषि
12.5% से 5%	दिन में 4 घंटे सप्लाई	10% से 50%	दिन में 6 घंटे सप्लाई	10% से 50%	दिन में 7 घंटे सप्लाई

उड़ीसा में विकास परियोजनाओं की स्थापना

5575. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासौर तथा मयूरभंज के लिये किसी बाढ़ नियंत्रण परियोजना को पांचवीं योजना में सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या किसी बड़े उद्योग को भी सम्मिलित किया गया है; और

(ग) पांचवीं योजना में उड़ीसा के लिए कौन सी प्रमुख विकास परियोजना और उद्योग शामिल किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) उड़ीसा सहित राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। बहरहाल सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, विद्युत् तथा उद्योग क्षेत्रों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। इन परियोजनाओं को अनन्तिम रूप से उड़ीसा की पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है।

विवरण

सिंचाई

1. महानदी डेल्टा
2. सलण्डी
3. आनन्दपुर बराज

बाढ़-नियंत्रण

1. रेंगाली बहुउद्देश्यीय परियोजना

विद्युत् उत्पादन परियोजनाएं जारी हैं

1. बाली मेला बांध
2. बाली मेला विद्युत् परियोजना

नई

3. तलचर थर्मल विस्तार स्टेशन
4. रेंगाली
5. ऊपरी कोलाब

उद्योग

1. हीरा सीमेंट वर्क्स
2. कलिंग आईरन वर्कस्—स्पन पाइप प्लांट ऐण्डकाउन्ड्री
3. पिण्ड ढलाई संयंत्र, हीराकुंड
4. प्रोपोरजी प्लांट, हीराकुंड
5. क्रोम केमिकल्स
6. केलसियम कारबाइड प्लांट
7. टायर एण्ड ट्यूब फैक्ट्री
8. फेरो-वनाडियम
9. जूट मिल
10. कागज मिल
11. सहकारी कताई मिल

खनिज विकास

1. दैतारी लौह अयस्क परियोजना
2. गंधमरदन लौह अयस्क परियोजना
3. सुकिण्डा निकल परियोजना
4. सरगीपल्ली सीसा परियोजना

Appointment of Post Masters in Uttar Pradesh

5576. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will** the Minister of **Communications** be pleased to state:—

(a) whether such persons have been appointed to the posts of branch Post Masters in Uttar Pradesh as have undergone imprisonment under Section 379 of I.P.C.;

(b) if so, districtwise number thereof and whether complaint has been received in regard to the Postmaster of branch Post Office of District Etah ; and

(c) if so, the facts thereof and the action taken in this regard ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) & (b) No such case has come to notice. However, in one case of EDBPM, Dholna (Etah District), a complaint about his conviction after his appointment under Section 379 I.P.C. was received.

(c) The EDBPM Dholna was provisionally appointed on 3-4-72. On receipt of a complaint in November, 1974 from the Honourable Member, the Divisional Superintendent made inquiries which revealed that the EDBPM, Dholna was convicted along with 18 others, on 6-3-74 under Section 379 I.P.C. The EDBPM was put off duty pending decision of the Appellate Court.

विदेशी सिगरेट कम्पनियों में पूंजी निवेश

5577. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी विदेशी स्वामित्व वाली (जिनकी 26 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी है) सिगरेट निर्माण करने वाली कंपनियों की विदेशी मुद्रा में वास्तविक साम्य पूंजी और वर्तमान साम्य पूंजी क्या है; और

(ख) संसाधनों से और अधिक राशि से अथवा अन्य स्रोतों से बोनस शेयर जारी करके कितनी राशि को पूंजी में बदला गया है तथा ऐसा किन-किन वर्षों में किया गया है तथा इस पूंजी में से कितनी पूंजी विदेशी शेयर होल्डरों के पास गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित सिगरेटों की बिक्री

5578. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट निर्माता कंपनियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों वाली सिगरेटों की वर्ष 1972--74 में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की बिक्री हुई; और

(ख) वर्ष 1972--74 में प्रत्येक सिगरेट कंपनी की सिगरेटों की कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की कुल बिक्री हुई और देश की सिगरेटों की कुल बिक्री में उनमें से प्रत्येक कंपनी की कितने प्रतिशत बिक्री हुई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) इसके बारे में इस मंत्रालय में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

सिगरेट पैकटों पर मानचित्र का छपना

5579. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इंडिया किंग" नाम के हर सिगरेट पैकट पर भारत का मानचित्र छापा जाता है;

(ख) क्या खाली सिगरेट पैकटों को इधर-उधर फैंकने, पैर के नीचे कुचलने तथा फाड़ने से देश के मानचित्र के प्रति बुरा व्यवहार होता है; और

(ग) देश के मानचित्र तथा नाम को इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं पर छापे जाने से रोकने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

सिगरेट बनाने वाली विदेशी कंपनियों की पूंजी

5580. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अधिकांश विदेशी शेयर वाली प्रमुख सिगरेट कंपनियों में से प्रत्येक कम्पनी की 1970, 1973 और 1974 के वर्षों में प्रदत्त पूंजी विदेशी और भारतीय आरक्षित और अधिक पूंजी सार्वजनिक ऋण/शेयरहोल्डरों के लिये गये सावधिक जमा, भारत के बैंकों से ऋण, अन्य असुरक्षित ऋण, डिबेंचर संयंत्र और मशीनरी का वास्तविक वही मूल्य तथा अन्य अचल परिसंपत्तियां (अलग अलग), उत्पादन कर देने से पूर्व और कर देने के बाद हुए लाभ क्या हैं;

(ख) इन विदेशी कंपनियों की परिसंपत्तियों में वृद्धि होने से देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सरकार का विचार इन कंपनियों द्वारा भविष्य में धनराशि बाहर भेजने के बारे में देश की वर्तमान और भावी दायित्व को किस प्रकार कम करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी०पी० मौर्य) : संबंधित कम्पनियों द्वारा प्रकाशित 1970, 1973 और 1974 की वार्षिक रिपोर्टों में अपेक्षित सूचना उपलब्ध है ।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कंपनियों के कार्यकलाप की संवीक्षा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश को विद्युत् की सप्लाई

5581. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा रिहंद विद्युत् केन्द्र से मध्य प्रदेश को विद्युत् की सप्लाई के बारे में 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को हाल ही में दो जनरेटरों के बेकार हो जाने के कारण विद्युत् की भारी कमी का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1974 के दौरान अमरकंटक विद्युत् केन्द्र का एक टर्बाइन जबरन तौर पर बन्द रहा, जिसके कारण व्यस्ततम (पीक) समय में लोड शेडिंग करना पड़ा । यूनिट को फरवरी, 1975 में पुनः चालू कर दिया गया है ।

विदेशी सिगरेट निर्माता कम्पनियों के मुनाफों पर प्रतिबन्ध

5583. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिगरेट कंपनियों की लागत और मुनाफा का अध्ययन किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लागत तथा मूल्य ढांचा ब्यूरो के माध्यम से जनता के शोषण की रोकथाम हेतु विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रति 10 सिगरेट एक रुपये से अधिक विक्रय मूल्य की सिगरेटों के ब्रांडों के मुनाफे की गुंजाइश का गहन अध्ययन करने का है; और

(ग) भारत स्थित विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट निर्माता कंपनियों के मुनाफों पर प्रतिबंध लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कंपनियों के कार्यकलाप की संवीक्षा की जा रही है ।

सिगरेट कम्पनियों द्वारा अन्तर्देशीय बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का प्रयोग

5584. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सिगरेट कंपनियां अपने पैकटों पर अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का ऐसा पाठ मुद्रित करती हैं जिससे प्रतीत होता है कि पैकटों के अन्दर जो वस्तुएं हैं वे विदेशी मूल कंपनियों या उनके उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति हैं;

(ख) सिगरेट निर्माता कंपनियों द्वारा अन्तर्देशीय बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों के प्रयोग के संबंध में उनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली सिगरेट कंपनियों ने नई वस्तुओं, सिगरेटों के नये ब्रांडों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत बाजार में लाने के लिये लाइसेंस समिति से अनुमति ली है; और

(घ) क्या सिगरेटों जैसे गैर आवश्यक उद्योग को अन्तर्देशीय बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों के ट्रेड मार्क की अनुमति देना आवश्यक है; यदि नहीं, तो सरकार का विचार उन्हें बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) कुछ लोक प्रिय ब्रांड के सिगरेट पैकटों में बेचे जाते हैं जिन पर मुद्रित संदर्भ से यह प्रतीत होता है कि उनमें भरी हुई वस्तु विदेशी नामधारी कंपनी के उत्तराधिकारियों का माल है । इस प्रकार का अंकन दोषपूर्ण नहीं है क्योंकि इससे सही तथ्य प्रकट होता है ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 (1)(ग) जिसको वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, में यह व्यवस्था है कि विदेशी कंपनी की

किसी शाखा अथवा 40% से अधिक अन्यत्रवासी धारिता वाली कंपनी के लिए अपने व्यापार चिन्ह का किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्य के लिए प्रयोग करने की अनुमति देने हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि जिन मामलों में इस के लागू होने अर्थात् 1 जनवरी 1974 के पहले इस प्रकार व्यापार चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी उनमें एक निर्धारित अवधि के भीतर व्यापार चिन्ह का इस्तेमाल करते रहने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दिया जाना चाहिये। अधिनियम के इन उपबन्धों के अनुसरण में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों में उत्पादों के विपणन के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। किन्तु 26% से अधिक विदेशी इक्विटी वाली सिगरेट उत्पादक कंपनियों ने या तो पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है अथवा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सिगरेट और नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर रखा है।

(घ) विदेशी स्वामित्व वाले अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का उपयोग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1)(ग) और (3) के उपबन्धों तथा ट्रेड एंड मर्केण्डाइज चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 48 और 49 से विनियमित है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अलावा ट्रेड एंड मर्केन्डाइज चिन्ह अधिनियम 1958 में ट्रेड मार्क के लाइसेंस धारियों का पंजीयित उपयोक्ता के रूप में पंजीयन कराने की व्यवस्था है। ट्रेड मार्क के लाइसेंस धारियों का इसके पंजीयित उपयोक्ता के रूप में पंजीयन आम जनता के हितों, उद्योग तथा देशी व्यवसाय अथवा व्यापार के देशी साधनों से विकास पर विचार कर लेने के बाद ही किया जाता है। विदेशी सहयोग के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय एक शर्त हमेशा रखी जाती है कि भारतीय उत्पादनकर्ता देशी बाजार में बिक्री के लिए तैयार की गई वस्तुओं पर विदेशी व्यापार चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा।

वजीर सुल्तान टोबेको लिमिटेड की पूंजी

5585. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-74 के दौरान विभिन्न सिगरेट कंपनियों को कच्चे माल, फालतू पुर्जे, मशीनरी और अन्य वस्तुओं के लिये कितने और कितने मूल्य के आयात लाइसेंसों की सिफारिश की गई ;

(ख) इंडिया टोबेको कंपनी लिमिटेड और वजीर सुल्तान टोबेको कंपनी लिमिटेड, जो प्रमुख शेयर होल्डर हैं की प्रदत्त शेयर पूंजी और उनकी शेयर होल्डिंग कितनी हैं;

(ग) अधिकांश विदेशी स्वामित्व वाली तीन सिगरेट कंपनियों की 1957, 1965 और 1974 में (मूल लागत पर) कुल कितनी आस्तियां थी;

(घ) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी वृद्धि की अनुमति दी थी; और

(ङ) क्या 1957-1964 के बीच अधिकांश विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के कुल मुनाफों में 400 प्रतिशत वृद्धि हुई है, यदि हां, तो उन्हें सीमाओं में रखने और इन कंपनियों द्वारा जनता का शोषण रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 की अपेक्षित जानकारी संलग्न अनुबन्ध में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9388/75]** ।

(ख) 1 जनवरी, 1974 को इंडिया टोबेको कंपनी लि० की चुकता पूंजी 18,95,00,000 रु० थी जो दस दस रुपये के 1,89,50,000 के साधारण अंशों में बंटी हुई है । कंपनी के मुख्य अंशधारी और 1-1-74 को उनकी धारिता निम्न प्रकार थी ।

नाम	धारण किये गये शेयरों की संख्या
टोबेको मेन्यूफेक्चरर्स (इंडिया) लि० यू०के०	1,03,21,894
टोबेको इन्वेस्टमेंटस लि० यू०के०	33,01,086
रोथमेंन्स इण्टरनेशनल लि० यू०के०	5,37,020

1-1-74 को वजीर सुल्तान टोबेको कंपनी की चुकता पूंजी 2,00,00,000 रु० थी जो दस दस रुपये के 20,00 000 साधारण अंशों में बंटी हुई है । कंपनी के प्रमुख अंशधारी और 1-1-74 को उनकी धारिता निम्न प्रकार थी :

नाम	धारण किए गए शेयरों की संख्या
रेले इन्वेस्टमेंट कंपनी लि० यू०के०	8,83,892
टोबेको मेन्युफेक्चरर्स (इंडिया) लि० यू०के०	3,12,242
दी गवर्नर आन्ध्र प्रदेश	1,76,636
भारत का जीवन बीमा निगम	1,38,128
टोबेको इन्वेस्टमेंटस लि० यू०के०	99,860

(ग) मंत्रालय में इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

(ङ) 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी धारिता वाली सभी कंपनियों के कार्य-कलापों की विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा संवीक्षा की जा रही है ।

पांचवीं योजना में पर्वतीय राज्य क्षेत्रों में 'फील्ड' प्रचार एककों की स्थापना

5586. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के अभाव को ध्यान में रखते हुए उन राज्यों/क्षेत्रों में पांचवी पंचवर्षीय योजना में 'फील्ड' प्रचार एकक स्थापित करने को कोई प्राथमिकता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों/क्षेत्रों में कौन-कौन से 'फील्ड' प्रचार स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ नई यूनिटों की स्थापना की मंजूरी दी है। नई यूनिटें स्थापित करते समय प्राथमिकता पर्वतीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों को दी जाती है।

(ख) नई यूनिटों के स्थानों की उपरोक्त बात और धनराशि की उलिब्धता को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जायेगा।

पांचवीं योजना में पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन स्थापित करना

5587. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के अभाव को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पचंवर्षीय योजना में उन राज्यों/क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की प्राथमिकता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों/क्षेत्रों में कौन-कौन से रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में प्रसारण की व्यवस्था करने को बहुत महत्व देती है। लेह, श्रीनगर, जम्मू, शिमला, शिलांग, कोहिमा, इम्फ़ाल, तवांग, तेजू, पासीघाट, और एजवाल में रेडियो स्टेशन पहले ही चालू हैं।

गढ़वाल और कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए नजीबाबाद में उच्च शक्ति वाला रेडियो स्टेशन स्थापित करने और एजवाल, श्रीनगर और शिलांग के ट्रांसमिटरों की शक्ति बढ़ाने का काम कार्यान्वियन किया जा रहा है। अरूणाचल प्रदेश की राजधानी में उच्च शक्ति वाले रेडियो स्टेशन की स्थापना की मंजूरी हो गई है। तथापि, इसका कार्यान्वियन राजधानी के विकास की प्रगति पर निर्भर करेगा।

हिमाचल प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों में बेतार तारघरों को खोलना

5588. **श्री नारायण चंद पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के डाक और तार सलाहकार समिति ने शिमला में जून, 1974 में हुई अपनी बैठक में वर्ष 1974-75, वर्ष 1975-76 के दौरान राज्य के दूरवर्ती क्षेत्रों में चार गांवों के लिए बेतार-तारघरों को खोलने की स्वीकृति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश के चम्बा और लाहौल स्पीति जिलों के दो गांवों के लिये बेतार-तारघरों को इस बीच खोल दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो ये बेतार तारघर वहां पर सम्भवयता कब तक खोल दिये जायेंगे;

(घ) क्या हमीरपुर जिले में जंगल बेरी और बिलासपुर जिले में भारोली कलां के लिये बेतार-तारघरों को खोलने की इस बीच मंजूरी दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ये बेतारघर वहां पर सम्भवयता कब तक खोल दिये जायेंगे ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि, शिमला में डाक तार सलाह-कार समिति की जून 1974 में जब बैठक हुई थी तो विभाग की तरफ से यह बताया गया था कि बेतार के आंकड़े एकत्र करने के लिए भारोली कलां, धर्मशाला, बरोट, नाहर, शिलाई और उदयपुर नाम के छह स्टेशन चुने गए हैं ताकि वहां बेतार के तारघर स्थापित करने की संभाव्यता को निश्चित किया जा सके।

(ख) राज्य सरकार की तरफ से भवन की व्यवस्था कर देने पर शीघ्र ही चम्बा जिले के उदयपुर स्टेशन पर बेतार के उपस्कर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बाकी पांच स्टेशनों में से कोई भी स्टेशन लाहौल स्पिती जिले या चम्बा जिले में नहीं पड़ता।

(ग) आशा है कि उदयपुर में बेतार का टेलीग्राफ स्टेशन मार्च 1976 में खुल जाएगा।

(घ) जंगल बेरी और भारोली कलां के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं और इन की शीघ्र ही मंजूरी दे देने की संभावना है।

(ङ) आशा है कि जंगल बेरी और भारोली कलां के दोनों स्टेशन सितम्बर, 1976 तक खुल जाएंगे।

सुन्दर नगर-नंगल और मंडी-शिमला तार लाइनें

5589. **श्री नारायण चंद पराशर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सुन्दर नगर-नंगल और मंडी-शिमला तार लाइनों के खराब हो जाने के बारे में कोई शिकायत सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(ख) इन लाइनों के खराब हो जाने के क्या कारण हैं तथा इन लाइनों के खराब हो जाने से सेवा किस अवधि से असंतोषजनक हो गई है; और

(ग) इन लाइनों के नियमित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और जो कदम उठाये गये हैं वे क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सड़कें चौड़ी करने के लिए चट्टानों को बारूद से उड़ाने के परिणाम स्वरूप पत्थर के जो टुकड़े उड़े उनसे टेलीग्राफ लाइनें ठप्प हो गई थीं। लाइनों पर जो व्यवधान आए, वे इस प्रकार थे :—

(1) सुन्दर नगर-नागल टेलीग्राफ लाइन पर मार्च, 1975 की 4 से 7 तारीख तक, 14 से 16 तारीख तक और 23, 24, 26 और 27 तारीख को व्यवधान रहा।

(2) शिमला-मंडी टेलीग्राफ लाइन पर 3, 6, 7, 12, 14 और 15 मार्च, 1975 को रोजाना 5 से 6 घंटों तक व्यवधान रहा।

(ग) रख-रखाव करने वाले संबद्ध कर्मचारियों से कहा गया है कि वे लाइनों के कार्य-चालन पर कड़ी निगरानी रखें और व्यवधान पड़ने पर संचार-व्यवस्था ठीक करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें।

ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स द्वारा वेक्स फैक्टरी की स्थापना के लिये लाइसेंस

5590. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड उद्योग मंडल ने 1970 में क्लोरीनेटेड पैराफ़िन वेक्स फैक्टरी की स्थापना के लिये औद्यौगिक लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त आवेदन-पत्र पर कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) से (ग) रिकार्ड से पता चलता है कि 1970 में मैसर्स ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड उद्योग मंडल द्वारा क्लोरीनेटेड परौकिन वैक्स बनाने के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया । हां फर्म ने दिसम्बर, 1969 में एक आवेदन किया था जिसे वापिस ले लिया गया मान लिया गया था ।

Telephone line Connecting Burhanpur with Bhopal and Indore

†**5591. Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether telephone line connecting Burhanpur with Bhopal and Indore (Madhya Pradesh) generally remains out of order ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) and (b) (1) Burhanpur Bhopal telephone line has been functioning satisfactorily.

(2) Burhanpur-Indore telephone line gets interrupted mainly due to copper wire thefts.

O.Y.T. Applications in East Nimar District

†**5592. Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications under consideration under O.Y.T. and Non-O.Y.T Schemes in East Nimar District in Madhya Pradesh as on 31st December, 1974 ;

(b) the action proposed to be taken by Government to provide telephone connections to all the applicants up to 31st March, 1975 ; and

(c) whether subscribers are facing inconvenience as a result of late supply of parts and ancillary parts of telephones in East Nimar District Circle ?

Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) O.Y.T.———8

Non- O.Y.T. 167

(b) It has been planned to increase the exchange capacity of Khandwa Exchange by 100 lines and of Burhanpur Exchange by 200 lines. The pending demands for telephone connections will be met to the maximum possible extent as early as possible on receipt of the required additional exchange equipment.

(c) No, Sir.

Setting up of Industry in Mahakoshal Region (M.P.)

5593. **Shri G.C. Dixit : Will the Ministry of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have since considered the proposal to set up any industry in Mahakoshal region (Madhya Pradesh) ; and

(b) if so, the location thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) :

(a) and (b) While information about setting up industries specifically in Mahakoshal region is not available, the names of Central industrial and mineral projects which are included in the Draft Fifth Plan and are proposed to be set up in Madhya Pradesh are given below along with their locations :—

Name of the Project	Location
1. Bhilai Expansion	Bhilai
2. Korba Aluminium Project	Korba
3. Bailadilla Iron Ore Project and Pelletisation Plant	Bailadilla
4. Mandhar Cement Project .	Mandhar
5. Cement Project at Neemuch	Neemuch
6. NEPA Mills-expansion and effluent treatment Plant	Nepa Nagar
7. Korba Fertiliser Project . .	Korba
8. Heavy Electrical Project	Bhopal
9. Security Paper Mill-mould cover manufacturing plant	Hoshangabad
10. Bank Note Press	Devas
11. Jabalpur Vehicle Factory expansion including Grey Iron Foundry	Jabalpur

Relation between employees and management of Nepa Mills

5594. **Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the relations between the management and recognised labour union of the NEPA mills are fast deteriorating as a result of which the situation has become explosive;

(b) whether the union has sent a complaint to Government in this regard; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) :
(a) & (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Use of Hindi in Correspondence and Notes by Department under Ministry of Information and Broadcasting

5595. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of departments of the Ministry which still send their letters, circulars, memoranda to the offices under them in English;

(b) the number of officers and employees in these departments who write their notes on the files in English;

(c) whether any instructions have been given to these officers and employees by Government for use of Hindi in all their work;

(d) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard; and

(e) further steps proposed to be taken so that Hindi is used in writing notes in all correspondence in these departments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) to (e) The required information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Inspection of Offices to see extent of work done in Hindi

5596. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether officers of Ministry, while on inspection of the offices under them, also see that all the work in Hindi is carried out in these offices according to Government's policy in this regard;

(b) the number of officers who carried out such inspections during the last year and the number of the offices inspected;

(c) the position in general, as revealed in the inspection reports; and

(d) the steps taken to improve the position in the case of the office where Hindi is not being used even now ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) to (d) The required information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

Unauthorised arms and ammunition factories unearthed in 1974

5597. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the approximate number of unauthorised arms and ammunition factories unearthed in country-wide raids conducted during 1974;

(b) the number of arrests made in this connection, State-wise; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a), (b) & (c) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

केरल सर्किल द्वारा खुले बाजार से दूर संचार उपकरणों की खरीद

5598. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सर्किल द्वारा खुले बाजार में दूर-संचार के कौन-कौन से उपकरण खरीदे जा रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस नीति के कारण सामान की सप्लाई में काफी विलम्ब हो रहा है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) भंडार डिपो से सप्लाई कम आने के कारण केरल सर्किल लकड़ी के खम्भे, जस्ती लोहे के तार और कुछ खम्भे के लाइन हार्डवेयर जैसे कि यू-वैक तनाव पेच और कुछ दूसरी विविध मदें स्थानीय बाजार से खरीदता रहता है ताकि प्राथमिकता वाले काम पूरे किये जा सकें।

(ख) स्थानीय खरीद का काम सिर्फ इस लिए ही नहीं किया जाता कि विलम्ब न हो बल्कि प्राथमिकता वाले कामों को शीघ्र पूरा करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार की खरीद के कारण सप्लाई में विलम्ब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

Loss suffered by Cooperative Sugar Mill Ltd., Kailaras

†5599. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the annual loss suffered by the Cooperative Sugar Mill Ltd., Kailaras, District Morena, Madhya Pradesh in its production now and the reasons for the loss;

(b) the scheme formulated by Government to ensure that the Mill does not run in loss in the coming years;

(c) whether infructuous spending by the Management, excessive expenditure on travelling allowances, non-availability of required quantity of sugarcane and over-staffing are the cause of loss; and

(d) if so, the remedial measures taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry & Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) to (d) The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and would be placed on the table of the Sabha, when received.

राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के बीच 'विद्युत' संबंधी विवाद

5600. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के बीच 'विद्युत' संबंधी विवादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जोनल गोष्ठी में कौन–कौन से मामलों पर विचार किया गया और प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच मुख्य विद्युत विवाद निम्नलिखित से संबंधित हैं –

(1) भाखड़ा नांगल संमिश्र से विद्युत् का बटवारा ।

(2) आनन्दपुर साहिब जल-विद्युत् स्कीम ।

(3) अपर बारी दोआरा नहर जल-विद्युत् स्कीम ।

(4) मुकेरियां जल-विद्युत् स्कीम; और

(5) छीन बांध परियोजना ।

इनमें से उपर्युक्त मद्द (2) पर जुलाई, 1972 में हुई उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में विचार किया गया था । इसके अतिरिक्त, अन्य मद्द जिस पर विचार-विमर्श किया गया था, वह थी––केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं (बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्र और राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत संयंत्र) की विद्युत में हरियाणा का हिस्सा । विभिन्न विवादों को आपसी विचार-विमर्श द्वारा सुलझाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Priority to Village Industry Sector for Exports

5601. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an assurance given by Shri Mohan Dharia as published in a Bombay news magazine "Jagriti" dated the 16th February, 1975 to the effect that village industry sector would be given priority in matter of exports; and

(b) if so, the extent to which Government plan to accord priority to this sector ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma) : (a) The report published in the 16th February, 1975 issue of Jagriti does not indicate any assurance;

(b) Does not arise.

Grant of pardon to prisoners sentenced to death

5602. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of those prisoners who were sentenced to death and granted pardon so far since the Presidential tenure of former President, Shri V. V. Giri;

(b) whether the name of Amrit Bhushan Gupta, a young engineer of Delhi is also under consideration for granting him pardon;

(c) whether a decision was given by Shri Sikri, former Chief Justice of Supreme Court that the death sentence ordei becomes null and void of a priod of five years has elapsed after the death sentence was given and the culprit could not be hanged for some reasons; and

(d) whether this decision is applicable to Amrit Bhushan Gupta's case ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The death sentence of 181 prisoners has been commuted to that of imprisonment for life, and in one case sentence of death has been remitted since Presidential tenure of former President, Shri V. V. Giri.

(b) Yes, Sir.

(c) Apparently, the reference is to the judgement of the Supreme Court in the case of Vivian Rodrick Versus State of West Bengal (AIR 1971 Supreme Court 1584) in which the Court held that extremely excessive delay in the disposal of the case of accused—appellant would by itself the sufficient for imposing a lesser sentence of imprisonment for life and the matter should not be left for a mercy decision of State Government under Section 402 Cr. P.C. The Court did not hold that a sentence would become null and void after the lapse of five years.

(d) In view of the answer given to (c) above, this does not arise.

Crimes by persons in guise of beggars

5603. **Shri Maha Deepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** bc pleased to state :

(a) whether many persons commit crimes in India in the guise of beggars; and

(b) if so, the steps taken by Government to check it ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) Stray cases may occasionally occur of crim being committed under cover of begging. Appropriate legal action against the offenders is taken by the police.

बहराइच (उत्तर प्रदेश) में कागज उद्योग

5604. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) को कागज बनाने वाला उद्योग स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान समझा जा रहा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश क बन मंत्री ने इस आशय का एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि यह उद्योग वहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या इस उद्योग की स्थापना में केन्द्रीय सरकार बाधक बन रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) बहराइच जिले में कागज का कारखाना लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Police Assistance from various states for peoples' march in Delhi

5605. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States from which police assistance was sought in connection with the peoples' march in Delhi on 6th March, 1975: and

(b) the total expenditure incurred on the police on account of this march ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Police Assistance was sought from the States of Hryana and Rajasthan.

(b) The actual figures of expenditure will become known only when the debits are raised by the State Governments concerned.

सिंगापुर के आजाद हिन्द फौज के स्मारक के अवशेष

5606. **श्री समर गुह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा आरंभ किये गये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की बलि देने वाले शहीदों की स्मृति में सिंगापुर में स्थित आजाद हिन्द फौज के स्मारक के, अवशेष, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने नष्ट कर दिया था, भारत लाने के लिये नये सिरे से प्रयास किये जायेंगे ;

(ख) क्या श्री शाहनवाज खां इस विध्वंसित स्मारक के अवशेष लाये थे और उन्हें अपने रावलपिंडी स्थित घर पर छोड़ दिया था;

(ग) क्या उक्त विध्वंसित स्मारक के अवशेष समेकित भारत के सभी सम्प्रदायों के संयुक्त संघर्ष और सामूहिक संकट तथा बलिदान के द्योतक हैं;

(घ) क्या शहीदों द्वारा उठाई गई कठिनाइयों, उनके बलिदान, उनके समर्पण तथा उनकी भावात्मक एकता को अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री अनुरक्षण के लिये भारत लाई जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ङ) जैसा कि 20 मार्च, 1974 को दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 3939 के उत्तर में कहा गया है, श्री शाह नवाज खां ने सूचित किया है कि आजाद हिन्द फौज के शहीद स्मारक के स्मृति पट्ट का एक छोटा टुकड़ा, जिसकी 1945 में किसी समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा आधार शिला रखी गई थी, 1946 में उनके अधिकार में आया था और उन्होंने रावलपिंडी में अपने परिवार के सदस्यों के पास स्मृति पट्ट का यह भाग छोड़ दिया था । बाद में उनके परिवार के सदस्यों को भारत आना पड़ा । स्मृति शेष की तलाश करने तथा इसे भारत वापस लाने के प्रयास पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध होने के बाद ही किये जायेंगे ।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग

5607. **श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के टेलीफोनों की कार्य कुशलता को सुधारने की दृष्टि से कलकत्ता टेलीफोन विभाग ने अपने प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करना शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों की स्थापना करने और कल-पुर्जे की सप्लाई करने तथा कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं देने के बारे में दिये गये बचनों को पूरा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन बचनों को पूरा करने सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रचालन और रख-रखाव संबंधी कामों के लिए कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली को 4 बड़े और 2 छोटे क्षेत्रों में विकेन्द्रित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का इंचार्ज एक क्षेत्रीय प्रबन्धक है। प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबन्धक का मुख्यालय संबंधित इलाके में स्थित है। वे आंतरिक और बाह्य दोनों ही संयंत्रों के पूरे रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं। वे कुछ वाणिज्यिक और प्रशासनिक कामों के लिए भी उत्तरदायी हैं, जो कि पहले मुख्यालय के कार्यालय में केन्द्रित थे।

पुनर्गठन को अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। फिर भी अभी तक जो परिवर्तन हुए हैं उनका पहले ही यह परिणाम हुआ है कि उपभोक्ताओं की शिकायतें अधिक शिघ्रता से दूर की जाने लगी हैं, शिकायतों की संख्या कम हुई हैं और प्रभावी कालों की संख्या बढ़ गई है।

(ग) और (घ)

(i) **अतिरिक्त टेलीफोन लाइनें लगाना** : कलकत्ता टेलीफोन्स में वर्ष 1974-75 के दौरान 1,500 लाइनें चालू करने का प्रस्ताव था, जिनमें से इस अवधि के दौरान 9500 लाइनें चालू कर दी गई हैं और बाकी को शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। आगे के वर्षों के लिए विस्तार कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है।

(ii) **फालतू पुर्जों की सप्लाई** : एक्सचेंज उपस्कर टेलीफोन उपकरणों, और पी० बी० एक्स व मैनुअल बोर्डों के फालतू पुर्जों की सप्लाई की स्थिति में, कुछ मदों को छोड़कर, सुधार हुआ है। सप्लाई में सुधार लाने के लिए सप्लाई करने वालों के साथ लिखा-पढ़ी की गई है।

(iii) **रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों की कमी** : रख-रखाव करने वाले और प्रचालन कर्मचारियों के विभिन काडरों में कुछ कमी है। आंशिक तौर पर इसका कारण वित्तीय कठिनाई है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल तथा बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के गर्म पानी के चश्मों को बिजली उत्पादन के लिये उपयोग में लाना

5608. **श्री समर गुह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र के गर्म पानी के चश्मों को बिजली उत्पादन के लिये तापीय ऊर्जा जुटाने हेतु उपयोग में लाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में प्राकृतिक गर्म पानी के चश्मों की तापीय ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भू-तापीय विद्युत् के विकास का कार्यक्रम अभी भी अधिकांशतः अनुसंधान तथा अभिकल्प की स्थिति में है। इस कार्यक्रम के एक

भाग के रूप में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण क्षेत्र में तथा भारत के पश्चिमी समुद्रतट के घाटों पर अनुसंधान करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त लद्दाख की पुग्गा घाटी में भी अनुसंधान किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र सर्वाधिक आशाजनक दिखाई दिए थे। पश्चिम बंगाल तथा बिहार में भी भू-ताप ऊर्जा के विकास के लिए संभाव्य स्थल विद्यमान हैं और जिन स्थलों पर पहले ही कार्य प्रारंभ किया जा चुका है वहां प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, इन स्थलों पर जांच कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

भारत सरकार मुद्रणालय कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी के कोषाध्यक्ष के पद के लिये निर्वाचन

5609. **श्री विजयपाल सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 31(5) में बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लगातार दो बार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से, सोसाइटी की समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष के पद पर रह चुका हो वह समिति के इन पदों के लिये फिर चुनाव में प्रत्याशी होने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार मुद्रणालय कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी के कोषाध्यक्ष का 6 मार्च, 1973 के पश्चात् क्रमशः तीसरा कार्यकाल माना जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में सोसाइटी को कोई निर्देश दिये गये हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हाँ।

(ख) सोसायटी के कोषाध्यक्ष के रूप में 1-3-73 को निर्वाचित किये गये व्यक्ति को 28-9-73 और 28-10-1974 को हुए बाद के निर्वाचनों में उसी पद के लिए पुनः निर्वाचन किया गया था। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 28-10-1974 को हुए निर्वाचन में की गई कथित अनियमितताओं के बारे में मिली शिकायत की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में किसानों से मूंगफली के स्टाक बरामद करने के लिये छापे मारना

5610. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी०पी० जदेजा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के स्टाक बरामद करने के लिये गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के किसानों के घरों पर कोई छापे मारे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किसान के यहां से कितनी-कितनी मात्रा में मूंगफली बरामद हुई; और

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 941 छापे मारे गये; कुल मिलाकर 20,134.74 क्विंटल मूंगफली का स्टाक बरामद किया गया और 578 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र

5611. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री आशय पत्र/लाइसेंस प्राप्त करने के लिये मध्य प्रदेश के अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों के बारे में 26 फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने 26 लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं, लाइसेंस किस उद्देश्य के लिये मांगे गये हैं, उद्योग किन स्थानों पर स्थापित किये जाने हैं और इस मंत्रालय में आवेदन-पत्र प्राप्त होने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है और प्रत्येक मामले में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 26 फरवरी, 1975 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं० 136 में बताए गये 26 आवेदनों में से 16 आवेदन अभी अनिर्णीत हैं । अनिर्णीत आवेदनों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9389/75]**

(ख) आवेदन-पत्रों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है तथा इन आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में एल्यूमिनियम परियोजनाओं को विद्युत् की सप्लाई

5612. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक को एल्यूमिनियम परियोजनाओं को विद्युत् की सप्लाई दरों के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में 'बाल्को' को विद्युत् सप्लाई करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के कोर्बा प्रगालक (स्मेल्टर) की प्रथम पौटलाइन को चालू करने के लिए अप्रैल, 1975 से 55 मेगावाट विद्युत् सप्लाई करने पर सहमत हो गई है ।

बस्तर, मध्य प्रदेश में इन्द्रावती नदी पर पनबिजली विद्युत् परियोजना की स्थापना करना

5613. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर जिले में इन्द्रावती नदी पर 240 मेगावाट की

अधिष्ठापित क्षमता वाले एक पनबिजली विद्युत् परियोजना की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ।

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया था; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे देगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रस्ताव अगस्त, 1970 में प्राप्त हुआ था । इसकी केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में जांच की गई थी और राज्य सरकार से उपयुक्त परिवर्तन करने तथा एक संशोधित स्कीम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

उड़ीसा के पिछड़े जिलों में विकास केन्द्र

5614. **श्री गजाधर माझी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रत्येक पिछड़े हुए जिले में एक विकास केन्द्र बनाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों को राज सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विनियोजन सम्बन्धी आर्थिक सहायता की केन्द्रीय योजना के अधीन सहायता प्राप्त करने के पात्र के रूप में चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योग ही विनियोजन सम्बन्धी आर्थिक सहायता पाने के पात्र हैं ।

गुजरात में एस० टी० डी० सेवा का कार्यकरण

5615. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात के कितने शहरों में एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध है और इसका किन-किन स्थानों से सम्पर्क है;

(ख) क्या ये सेवायें उचित ढंग से तथा कुशलता पूर्वक कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या वर्ष 1975-76 में उक्त सेवाओं का कोई विस्तार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) गुजरात राज्य के पांच शहरों में, अर्थात् अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में इस समय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा है । इन शहरों

19 LSS/75—7

से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग पर जो स्टेशन मिल सकते हैं उनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

स्टेशन	मिलने वाले स्टेशन
(i) पूरे समय के लिए	
अहमदाबाद	गांधी नगर, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, बम्बई, पूना और दिल्ली
गांधी नगर	अहमदाबाद, सूरत, बम्बई और पूना
सूरत	अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, बम्बई और पूना
बड़ौदा	अहमदाबाद और सूरत
राजकोट	अहमदाबाद
(ii) प्रायोगिक आधार पर सिर्फ सप्ताह के दिनों में रियायती अवधि में 19.00 बजे से 08.00 बजे के बीच और छुट्टियों के दिनों में पूरे समय के लिये :	
अहमदाबाद	जयपुर, आगरा, चण्डीगढ़, जालंधर,
गांधी नगर	मद्रास, कोइम्बतूर, बंगलूर,
सूरत	मदुरै, नागौर (सिर्फ एक तरफ) के साथ जुड़े होते हैं।

(ख) ट्रैफिक सर्किटों की क्षमता से अधिक है। सेवा के स्तर में सुधार लाना है और इसके लिए अहमदाबाद-बम्बई कोएक्सियल प्रणाली में विकास करने की योजना बनाई गई है। दिल्ली-बम्बई माइक्रोवेव प्रणाली के पूरा हो जाने के बाद अतिरिक्त क्षमता भी उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) और (घ) कुछ मौजूदा मार्गों का अर्थात् गांधीनगर-अहमदाबाद और अहमदाबाद-राजकोट का वर्ष 1975-76 में विस्तार किया जाएगा। दिल्ली-बम्बई माइक्रोवव प्रणाली के पूरा होने और अहमदाबाद-बम्बई मार्ग के वर्ष 1976-77 में विस्तार होने पर उत्तरोत्तर दूसरे मार्गों में राहत मिल जाएगी।

वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित नए मार्ग चालू करने का प्रस्ताव है:

गांधी नगर—राजकोट

अहमदाबाद—नदियाद

अहमदाबाद—मेहसाना

इससे गुजरात राज्य के उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा वाले स्टशनों की सूची में नदियाद और मेहसाना नगर भी शामिल हो जाएंगे।

Telephone facility in various cities of Mandsaur district

5616. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is no telephone facility in several big cities of Mandsaur district (Madhya Pradesh); and

(b) if so, the names of the places for which demands for P.C.Os. and exchanges have been made and the reasons for delay in accepting to the demands ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) In Mandsaur District all Tehsil and Block Headquarters and places with a population of more than 5000 have already been provided with telephone facilities.

(b) Does not arise.

Telephone Exchange, Jaora

*5617. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether there is no supervisor in the Telephone Exchange, Jaora (District Ratlam).

(b) whether this post is sanctioned for the said exchange; and

(c) if so, the reasons for not making appointment ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) There is no supervisor in the Telephone Exchange, Jaora.

(b) No post is sanctioned for this Exchange.

(c) In view of (b) above, this does not arise.

Allocation for M.P. and Rajasthan

5619. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the amounts allocated for Madhya Pradesh and Rajasthan by the Planning Commission for the first year of the Fifth Five Year Plan; and

(b) the amount sanctioned by the respective State Governments for the aforesaid plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) The outlays and financing in respect of the State Annual Plans 1974-75 of Madhya Predesh and Rajasthan as approved by the Planning Commission are indicated below :

(Rs. crores)

	Madhya Pradesh	Rajasthan
Central assistance	53.32	57.30
State own resources	98.93	38.26
Total approved Plan outlay	152.25	95.56

पश्चिम बंगाल में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां

5620. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्तियां इसके कलकत्ता कार्यालय द्वारा पश्चिम बंगाल

से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक समाचारपत्रों एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों को जारी की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन दैनिक समाचार-पत्रों एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों की पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्तियां प्राप्त हो रही है और कौन-कौन से समाचार पत्र उन विज्ञप्तियों का उपयोग कर करहे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण जिसमें पत्र सूचना कार्यालय से सामग्री प्राप्त करने वाले दैनिकों और साप्ताहिकों के नाम दिये गए है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9390/75]** सामग्री उन सभी पत्रों/नियतकालिक पत्रों को भेजी जाती है जो इसकी मांग करते हैं और इसका अधिकांश प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। कोई अलग सूची नहीं रखी जाती ।

त्रिपुरा के दैनिक समाचार-पत्र "सम्वाद" की अखबारी कागज की आवश्यकताएं

5621. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के प्रमुख दैनिक समाचारपत्र "सम्वाद" ने अपना आकार बढ़ा लिया है और उसके पश्चात् अपेक्षित अखबारी कागज के लिये आवेदन पत्र दिया गया था;

(ख) क्या उन्हें अपेक्षित अखबारी कागज अभी सप्लाई नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। प्रकाशक ने बर्धित आकार के आधार पर अखबारी कागज के आबंटन हेतु आवेदन पत्र भेजा है।

(ख) संशोधित पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर अखबारी कागज का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) प्रकाशक को सलाह दी गई है कि वह अखबारी कागज आवंटन संबंधी नीति के अन्तर्गत 1 अक्तूबर 1974 से 31 मार्च, 1975 तक की अवधि से संबंधित चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित खपत के विवरण भेजे। इस प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर उसके आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

कछार के लोगों को राजनीतिक पेंशन

5622. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार, आसाम के कुछ लोगों ने झूठे प्रमाणपत्रों का प्रयोग कर राजनीतिक पेंशन के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) कछार जिले के अब तक राजनीतिक पेंशन लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक आवेदन के सत्यापन के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख), (ग) तथा (घ) अब तक पेंशन स्वीकृत करने के लिये लगभग 1982 मामलों का अनुमोदन किया गया है। 280 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम प्रस्तुत करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा।

केवल वही आवेदन पत्र जहां आवेदक अपने दावों के समर्थन में कोई लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं होते हैं राज्य/जिला स्तर समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के ब्यौरे का सत्यापन करने तथा पेंशन स्वीकृत करने के लिये मामले पर विचार करके अपनी रिपोर्ट/सिफारिश प्रस्तुत करने हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

मैसर्स बोम्बे डाईंग लिमिटेड द्वारा अनियमितताएं

5623. **श्री सतपाल कपूर**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बोम्बे डाइंग लिमिटेड ने गत तीन वर्षों में कितनी तथा किस प्रकार की अनियमिततायें की हैं; और

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार आफ कंपनीज के रिकार्ड के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई भी अनियमितता बरती गयी नहीं जान पड़ती है।

वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि टेक्सटाइल कमिश्नर को यह बता दिया गया था कि उपक्रम ने निर्यात करने के लिये निन्धम चेक फैब्रिक तैयार किया था जब कि यह वस्तु हाथ करघा क्षेत्र के लिये आरक्षित कर दी गयी थी और मित्रों द्वारा इसका निर्यात किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। वाणिज्य मंत्रालय इस मामले पर उपयुक्त कार्रवाही कर रहा है।

नागाओं द्वारा आसाम में अतिक्रमण

5624. **श्री राम सहाय पांडे** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैकड़ों नागाओं ने आसाम में तिरू पहाड़ियों में और शिव सागर जिले में देसाई आरक्षित बन के सुदूर पूर्व में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) तिरू पहाड़ी रिजर्व बन और देसाई घाटी रिजर्व वन में नागाओं द्वारा अतिक्रमण की कुछ शिकायतें हुई हैं। इस संबंध में असम सरकार, नागालैण्ड सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए है।

सीमेन्ट कारखानों को पर्याप्त बिजली की सप्लाई

5625. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट के ऐसे कारखानों को, जिनके उत्पादन का निर्यात हो रहा है, पर्याप्त बिजली उपलब्ध करने के लिये सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1975 में इस बात पर सहमति हुई थी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, अगले आठ सप्ताहों में तमिलनाडु को लगभग 3.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा सप्लाई करेगा ताकि सीमेंट कारखाने अपने निर्यात आर्डरों को पूरा कर सकें। इस मामले पर तमिलनाडु सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों को काम देने के लिये बड़े उद्योगों के निकट गौण उद्योगों की स्थापना करना

5626. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने लोग बेरोजगार हैं; और

(ख) शिक्षित बेरोजगारों और विशेष रूप से तकनीकि प्रशिक्षितों को रोजगार देने के लिये राजस्थान में प्रत्येक बड़े उद्योग के निकट गौण उद्योगों की स्थापना करने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर के अनुसार राजस्थान में 30 जून, 1974 को रोजगार चाहने वालों की संख्या 1.75 लाख थी।

(ख) राजस्थान राज्य सरकार के पांचवीं योजना प्रारूप के अनुसार, राजस्थान औद्योगिक और खनिज विकास निगम, स्कूटर परियोजना जिसमें 1974-75 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ किये जाने की संभावना है, के सहायक एककों के लिये एक बस्ती सहित, 5 संचालनात्मक औद्योगिक बस्तियों का काम आरम्भ करेगा।

इंस्टरूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा इन सहायक एककों से पहले से ही अनेक उपस्कर खरीद रहा है।

केन्द्रीय लघु उद्योग विकास निगम, अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों (जयपुर के एक एकक सहित) के तंत्र द्वारा राज्य सरकारों और बड़े उद्योगों को तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों, तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था, राज्य सहायक उद्योग समितियां के गठन, सेमीनारों और प्रदर्शिनियों आदि के गठन की व्यवस्था कर, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पास-पड़ोस के सहायक उद्योगों की स्थापना में सहायता दे रहा है। लघु उद्योग एककों को बड़े एककों के साथ संबंध स्थापित करने और सहायक संबंध स्थापित करने में सहायता देने के लिये, एक उप-ठेका विनिमय (सब-कण्ट्रैक्टिंग एक्सचेंज) की स्थापना लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में की जा रही है।

वर्ष 1973-74 में आरम्भ किये गये पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम के अन्तर्गत, तकनीकी दृष्टि से योग्य बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना सहित विभिन्न स्कीमों के लिये 207.27 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता राजस्थान सरकार को दी गई है।

रोजगार संवर्धन कार्यक्रम 1974-75 के अन्तर्गत, 85 लाख रुपये के कुल परिव्यय की स्कीमें स्वीकार की गई हैं, ये शिक्षित बेरोजगारों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना, जिसमें तकनीकी दृष्टि से योग्यता प्राप्त व्यक्ति भी आते हैं और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से संबंधित है।

महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों में गांवों का विद्युतीकरण

5627. **श्री शंकर राव सावन्त:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्तीय सहायता के साथ गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष में कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया और इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण कार्य को धीमा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की सहायता से विद्युतीकरण किये गये गांवों की संख्या और निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को आवंटित की गई धनराशियां नीचे दी गई हैं:—

वर्ष	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आबंटित की गई धनराशि
		(करोड़ रुपये)
1972-73	476	4.64
1973-74	714	5.20
1974-75	545*	6.05

*फरवरी, 1975 के अन्त तक।

(ख) और (ग): महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण की गति धीमी नहीं हुई है। राज्य में 35,851 गांव हैं। 31-3-1974 तक 16,933 गांव विद्युतीकृत किये जा चुके थे। अप्रैल, 1974 से जनवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान 1,510 अतिरिक्त गांव विद्युतीकृत किये गये थे। प्रगति संतोषजनक रही है।

भारी जल का उत्पादन और उसका आयात

5628. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी जल की कितनी मात्रा का देश में उत्पादन होता है और कितनी मात्रा का आयात किया जाता है;

(ख) किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया जाता है;

(ग) क्या कनाडा ने भारत को भारी जल सप्लाई करना बन्द कर दिया है और यदि हां,' तो कब से; और

(घ) अन्य स्रोतों से भारी जल प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) देश में उत्पादित	137.770 मीटरिक टन (31 मार्च, 1975 तक)
आयातित	198 मीटरिक टन
(ख) कनाडा	118 मीटरिक टन
रूस	80 मीटरिक टन

(ग) तथा (घ) कनाडा ने हमारे नाभिकीय ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम के लिये आवश्यक उपकरण/ सामग्री का निर्यात हाल ही में निलंबित कर दिया है। नाभकीय ऊर्जा संबंधीं कार्यक्रम में फिर से सहयोग करने के उद्देश्य से कनाडा के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है।

किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन के निर्धारण की कसौटी

5629. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **योजना** मंत्री राज्यों के भीतर आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण की कसौटी के बारे में दिनांक 12 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतल सिंचाई और सभी ऋतुओं के लिये उपयोगी सड़कों की सुविधाएं इस कसौटी में सम्मिलित नहीं की जाती ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) राज्य सरकारों को उनके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिये सुझाई गई 15 कसौटियां के सेट में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

"(1) शुद्ध बीजाये गए क्षेत्र की तुलना में संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का प्रकाशित,

(2) पक्की सड़कों की लम्बाई—

(क) प्रति हजार वर्गमील में, तथा

(ख) प्रति लाख आवादी में।"

इन कसौटियों में भूतल सिंचाई तथा बारह-मासी सड़कों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मानसून तथा बर्फ के जल से चलने वाली पन-बिजली परियोजनाएं

5630. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पन-बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो वर्षा के जल तथा बर्फ के जल पर आधारित हैं;

(ख) प्रत्येक की ऊर्जा उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) कौन-कौन सी पन-बिजली परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कौन-कौन सी अभी अपूर्ण हैं; और

(घ) कौन-कौन सी पन-बिजली परियोजनाएं, ऊर्जा सप्लाई करने और सिंचाई-दोनों उद्देश्य पूरे करती हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाले तीन विवरण संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखे गये / देखिए संख्या एल० टी० 9391/75]

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध ज्ञापन

5631 **श्री झारखण्डे राय** :

श्री वयालार रवि :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को आल इण्डिया इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसिटीलीन एम्पलाइज फेडरेशन से 1 मई, 1974 और 18 जनवरी, 1975 के कोई ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिनमें इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के प्रबन्धकों के अनियमित कार्यों और गतिविधियों के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) फेडरेशन द्वारा भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को सम्बोधित 1 मई, 1974 के ज्ञापन और प्रधान मंत्री को संबोधित 18 जनवरी, 1975 के दूसरे ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं।

(ख) ज्ञापन में की गई मुख्य मांग यह है कि कम्पनी के प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ में ले ले और उसका राष्ट्रीयकरण किया जाये फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा प्रत्यावर्तित धनराशि

5632. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड ने उस समझौते के परिणामस्वरूप जो 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त हो गया था अनुसंधान और विकास फीस के संबंध में जो धनराशि प्रत्यावर्तित की है उसके लिये सरकार द्वारा यथोचित अनुमति प्रदान की गई थी;

(ख) क्या इण्डियन ग्राक्सीजन लिमिटेड द्वारा कलकत्ता में स्थापित विकास ग्रौर प्रौद्योगिकी के नये डिवीजन को सरकार द्वारा ग्रनुमति दी गई थी; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रौर (ग) फर्म ने कलकत्ता स्थित ग्रपनी ग्रनुसंधान व विकास प्रयोगशाला को मान्यता दिये जाने के लिये ग्रभी तक कोई ग्रावेदन पत्र नहीं दिया है।

सोवियत संघ के ग्रायोजकों की भारत यात्रा

5633. **श्री झारखण्डे राय :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन :

श्री सरजू पांडे :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के ग्रायोजकों का एक दल हाल ही में भारत ग्राया था; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं, ग्रौर उसका क्या परिणाम निकला है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त ग्रायोजन दल के उद्देश्यों का ग्रनुसरण करते हुए निम्नांकित विषयों पर सूचना ग्रौर ग्रनुभव का ग्रादान-प्रदान किया गया :—

(1) वार्षिक, मध्यावधि ग्रौर दीर्घावधि ग्रायोजन की पद्धतियां ग्रौर तकनीकें;

(2) ग्रायोजन ग्रौर योजना लेखा के लिये सांख्यिकीय ग्राधार का संगठन;

(3) ईंधन ग्रौर विद्युत संतुलन की संरचना का ग्रायोजन;

(4) भारत ग्रौर रूस (यू०एस०एस०ग्रार०) के मध्य उत्पादन सहयोग की संभावनाग्रों का मूल्यांकन करने की प्रणालियां ग्रौर सिद्धांत।

भूतपर्व शासक सिन्धिया परिवार द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरण

5635. **श्री शशि भूषण :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर के भूतपूर्व शासक सिन्धिया परिवार ने कुछ ग्रनाधिकृत सम्पत्ति 'सिन्धिया धर्मार्थ न्यास' को हस्तान्तरित कर दी है तथा न्यास का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया है ताकि मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के ग्रन्तर्गत उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही से बचा जा सके; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में ग्वालियर के भूतपूर्व शासक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ग्रथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ग्वालियर के भूतपूर्व शासक ने 14 जून, 1952 को सिन्धिया देवस्थान न्यास बनाया और भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत न्यास विलेख पंजीकृत किया। राज्य के विलय के समय लिखी गई भूतपूर्व शासक की निजी सम्पत्ति भी स्व० श्री जीवाजी राव सिन्धिया द्वारा न्यास को हस्तान्तरित कर दी गई थी। मध्य प्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 मध्य भारत क्षेत्र में 1960 में प्रस्तुत हुआ। 4 जलाई, 1968 को राज्य सरकार ने इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन पंजीकरण से छूट सहित अधिनियम के सभी उपबन्धों से न्यास को छूट दी। 1969 में महुरकार का बाड़ा नाम से ज्ञात एक अन्य मूल्यवान सम्पत्ति अनधिकृत रूप से न्यास को हस्तान्तरित कर दी गई थी। 18 मार्च, 1971 को राज्य सरकार ने अधिनियम के उपबन्धों से छूट संबंधी आदेश रद्द कर दिया। न्यासियों ने उस आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जो 1973 में खारिज कर दी गई थी। इसके बाद न्यास का मुख्यालय मध्य प्रदेश में पंजीकरण को टालने के लिये बदल कर दिल्ली में कर दिया गया था। राज्य सरकार न्यास का मुख्यालय बदलने, मध्य प्रदेश में इसका पंजीकरण न कराने के विरुद्ध और भूतपूर्व शासक द्वारा अवैध रूप से न्यास को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति से न्यास को बेदखल करने के लिये उचित कार्यवाही करने हेतु कानूनी सलाह ले रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली के निदेशकों के लिए सुविधाएं

5636. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के गैर-सरकारी निदेशकों के कर्त्तव्य तथा कार्य क्या हैं।

(ख) प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार निर्वाचित निदेशकों को क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(ग) प्रतिनिधियों को क्या सुविधायें दी गई हैं अथवा देने का विचार है ताकि वे अपने क्षेत्रों की बेहतर सेवा कर सकें ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) समिति के उप-नियमों में निदेशकों, बोर्ड की शक्तियों और उसके कर्त्तव्यों को विस्तार से निर्धारित किया गया है। बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीति निदेशक और निर्वाचित निदेशक दोनों ही शामिल हैं। गैर-सरकारी निदेशकों अर्थात् निर्वाचित निदेशकों के कर्त्तव्य और कार्य अलग-अलग निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) निर्वाचित निदेशकों को कोई विशेष सुविधायें नहीं दी गई हैं।

(ग) प्रतिनिधियों को न तो कोई सुविधायें ही दी गई हैं और न ही कोई सुविधायें दिये जाने का प्रस्ताव है।

पूर्वी भारत में परमाणु बिजलीघर की स्थापना

5637. **श्री एन० ई० होरो :**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वी भारत में परमाणु बिजलीघर की स्थापना करने के प्रस्ताव को त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) पूर्वी क्षेत्र में कोयले की सुलभता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिये ऐसे अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जिनमें इस प्रकार के साधन नहीं हैं। तथापि, यदि भविष्य में निम्नलिखित बातों के आधार पर इस क्षेत्र में बिजलीघर का लगाया जाना आवश्यक पाया गया तो इस मामले पर यथासमय फिर से गौर किया जा सकता है :—

(i) राष्ट्र की समग्र बिजली सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली प्राथमिकता ।

(ii) इस क्षेत्र की बिजली संबंधी दीर्घकालीन आवश्यकताओं का प्रस्तुतीकरण ।

(iii) किसी निर्धारित अवधि के लिये इस क्षेत्र की बिजली संबंधी मांग की पूर्ति श्रेष्ठतम तरीके से करने वाली ताप, जल एवं परमाणु ऊर्जा से चालित बिजलीघरों की समन्वित प्रणाली ।

Cement Factory in Beawar, Rajasthan

5638. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether Central Government had issued a licence to Sahu Jain Industries for setting up a cement factory in Beawar on the recommendation of Rajasthan Government;

(b) whether limestone mines were also given on lease by Government in the same area but as the cement factory was not set up, the licence was cancelled;

(c) whether the said firm extracted limestone in large quantity from those mines and sold it and earned lakhs of rupees; and

(d) if so, the facts in this regard and the action taken by Government against the guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) On the recommendation of the Government of Rajasthan, a 'Carrying on business' licence was issued on 5-10-1971 to Jaipur Udyog Ltd., which belongs to the Sahu Jain group, fo setting up a cement factory at Beawar.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The information is being collected from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the House.

Supply of Coal to M.Ps. at South Avenue Stores, New Delhi

5639. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the coal and charcoal being supplied to the Members of Parliament at the South Avenue Stores, New Delhi, is soaked with water to make the same more weighty and the reasons given was that it was so because of dew; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) No such complaint about supply of wet soft coke (domestic coal) has been received by the Commissioner of Food & Supplies, Delhi Administration. As regards supply of charcoal is concerned, there is no control on the distribution, sale or purchase of charcoal.

(b) Does not arise.

पंजाब में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र

5640. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1975 को पंजाब में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की, श्रेणी-वार संख्या कितनी थी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) पंजाब में 1-3-1975 को नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में श्रेणी-वार अर्जियों की संख्या इस प्रकार है :—

ओ० वाई० टी०	विशेष	सामान्य	योग
2848	2827	17510	23,185

पंजाब में डाक तथा तार घरों का खोला जाना

5641. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में पंजाब में कितने डाक तथा तार घर खोले जाने का विचार है और पंजाब में उन स्थानों के नाम और संख्या क्या हैं जहां पर राज्य सरकार ने डाक तथा तार घर खोलने का अनुरोध किया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : कितनी संख्या में और किन स्थानों पर डाकघर खोले जाएंगे, यह डाकघर खोलने की सामान्य नीति के अनुसार प्रत्येक मामले के औचित्य पर निर्भर करेगा । इस नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है । डाकघर या तारघर खोलने के लिए राज्य सरकार की कोई भी प्रार्थना विचाराधीन नहीं है ।

प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक्टरों का आवंटन

5642. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

चौधरी राम प्रकाश :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक्टरों के आवंटन करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां । सरकार ने देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर कृषि ट्रैक्टरों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने की एक योजना बनाई है ।

(ख) उपर्युक्त योजना निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होती है :—

(1) भारतीय राष्ट्रिक जो विदेशों से वापिस आये हैं ;

(2) विदेश रहने वाले भारतीयों के संबंधी जब उन्होंने ट्रैक्टर खरीदने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों से विदेशी मुद्रा की प्रेषित राशि प्राप्त कर ली हो ।

आवेदकों ने जिन अन्य शर्तों को पूरा करना है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) कोई व्यक्ति 40 अश्व शक्ति तक के ट्रैक्टर के लिए कम से कम 45,000 रुपये के बराबर और 40 अश्व शक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिए कम से कम 55,000 रुपये तक के बराबर विदेशी मुद्रा लाया हो या विदेशी मुद्रा प्राप्त की हो । किन्तु वह डीलर को ट्रैक्टर की वास्तविक कीमत ही देगा । केवल एक ट्रैक्टर के लिए ही आवेदन किया जा सकता है । उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत इस समय निम्नलिखित मेकों के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं :—

(1) मैसी फर्गुसन–1035	35 अ०श०
(2) इन्टरनेशनल–275/276	35 अ०श०
(3) इन्टरनेशनल–434	44 अ०श०
(4) एस्कोर्टस–335 और 3036	35 अ०श०
(5) फोर्ड–3000	46 अ०श०
(6) एच०एम०टी०–जीटर–25	25 अ०श०

(2) व्यक्ति अपने साथ बाहर से कोई ट्रैक्टर न लाया हो।

(3) आवेदक ने ट्रैक्टर की सप्लाई के लिए भारत में किसी भी डीलर के पास कोई आर्डर बुक न किया हो । यदि उसने ऐसा किया है तो उसे आर्डर रद्द करवाना चाहिए और डीलर से प्राप्त रद्द करने का प्रमाण पत्र, उपर्युक्त योजना के अधीन ट्रैक्टर के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र भेजा जाये ।

(4) आवेदक ने गत चार वर्षों के दौरान भारत में किसी भी स्त्रोत से नये ट्रैक्टर की डिलिवरी न ली हो ।

(5) आवेदक को एक वचनपत्र देना होगा कि वह दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले ट्रैक्टर की पुनः बिक्री नहीं करेगा ।

(6) इस योजना के अन्तर्गत 'अपरिवर्तनीय खाते' में जमा की गई विदेशी मुद्रा की विदेशों को पुनः स्थानान्तरण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

आवेदकों को अपेक्षित विदेशी मुद्रा एक 'अपरिवर्तनीय खाते' में भेजनी चाहिए जिसे विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने वाले किसी भी अनुसूचित बैंक में खोला जा सकता है और ट्रैक्टर के आवंटन हेतु बैंक के पास अपना आवेदन भेजना चाहिए । बैंक प्राथमिकता के आधार पर रीलीज आर्डर जारी करने के लिए आवेदनों को भारी उद्योग विभाग के पास भेजेगा । भारी उद्योग विभाग द्वारा रीलीज आर्डर रजिस्टर्ड डाक से सीधे आवेदकों को भेजे जायेंगे । इच्छुक आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन का फार्म और बैंक में खाता खोलने की पद्धति के लिए देश में किसी भी अनुसूचित बैंक से सम्पर्क स्थापित करें ।

उपर्युक्त योजना 1 फरवरी, 1975 से लागू हुई ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस द्वारा पोलियस्टर पर आधारित मेडिकल एक्स-रे फिल्म का उत्पादन

5643. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस ने मशीन प्रोसेसिंग के लिये हाल ही में आदिरूप (प्रोटोटाइप) पोलियस्टर पर आधारित मेडिकल एक्स-रे फिल्म का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन किये जाने के बाद कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) जब तक कि वाणिज्यिक उत्पादन सुस्थिर न हो जाये तब तक विदेशी मुद्रा बचत को आंकना समयपूर्व होगा ।

पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों का विकास

5644. **श्री टुना उरांव** :

श्री गदाधर साहा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में आदिवासी क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिये कोई योजनाएं बनाई है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गई उप-योजना में आदिवासी लोगों के शोषण को समाप्त करने पर पर्याप्त ध्यान देने का प्रस्ताव है । भूमि के हस्तान्तरण, ऋणग्रस्तता तथा कृषि तथा वन के उत्पाद के विनिमय में अनाचार को रोकने के लिये कार्यवाही की जायेगी । आर्थिक विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों पर आधारित होगा । उपयोजना-क्षेत्र में बार-बार सूखा पड़ता रहता है, अतः वहां जल संसाधनों के विकास तथा शुष्क भूमि पर होने वाली फसलों की पैदावार के लिये अधिकतम प्रयास किए जाएंगे । कृषि कार्यक्रम को इस प्रकार अभिमुख किया जाएगा जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हो सके । उनको परम्परागत कृषि के तरीकों में परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किऐ जाएंगे । सोयाबीन, काटन, अलसी, पपइया और आलू आदि नई फसलों को उगाने की संभावना का पता लगाया जायेगा । कृषि और छोटे वन पर आधारित कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मुर्गीपालन, बत्तख और बकरी पालन को बढ़ावा देते हुए अतिरिक्त रोजगार क्षमता के निर्माण पर जोर दिया जायेगा । पशुधन की उन्नति और अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग के विकास के लिए भी पग उठाये जायेंगे । इन गतिविधियों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सहायता की जायेगी । विद्यमान ऋण एवं विपणन संगठन को सुदृढ़ किया जायेगा । ग्राम शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और पेयजल की पूर्ति के कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जायेगा । जनजाति क्षेत्रों में जनजाति लोगों की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से प्रशासकीय संगठन को उपयुक्त ढंग से सुधारा और सुदृढ़ किया जायेगा

(ग) वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना पर चर्चा के समय योजना आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रकाश में उप-योजना को संशोधित किया जा रहा है ।

अध्यादेशों का जारी किया जाना

5645. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोकतंत्र के 25 वर्षों में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा अध्यादेश बनाने के अधिकार का प्रयोग करने के बारे में पुनरीक्षण किया है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) विभिन्न राज्यों में राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा मार्च, 1971 के बाद कुल कितने अध्यादेश जारी किये गये ;

(घ) उनमें से कितने अध्यादेश विधान सभाओं के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किये गये और कितने अध्यादेशों को व्यपगत होने की अनुमति दी गई ; और

(ङ) इनमें से कितने अध्यादेशों को पुनः जारी किया गया और प्रत्येक को कितने समय के लिये जारी किया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जिससे ऐसे पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़े ।

(ग) से (ङ) अप्रैल, 1971 और मार्च, 1975 के बीच की अवधि में राष्ट्रपति ने 50 अध्यादेश उद्घोषित किये । इन अध्यादेशों में से केवल दो अध्यादेश व्यपगत हुए हैं और शेष अधिनियम प्रतिस्थापित किए गए ।

राज्यपालों द्वारा उद्घोषित अध्यादेशों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

सरवण पुलिस स्टेशन, संथाल परगना, बिहार के अन्तर्गत तिलम्बातार में हरिजन बालिकाओं के साथ मारपीट

5646. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रधान मंत्री को सरवण पुलिस स्टेशन, संथाल परगना, बिहार के अन्तर्गत तिलम्बातार में दो व्यक्तियों द्वारा, जिनमें एक पुलिसमैन था, दो अल्पवयस्क हरिजन बालिकाओं के साथ मारपीट किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस अथवा किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक अथवा अन्य कार्यवाही क्या की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख), (ग) तथा (घ) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक

5647. **श्री मधु लिमये:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974 के 12 महीनों में प्रत्येक महीने में गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में औद्योगिक सूचकांक क्या था; और

(ख) क्या वर्ष 1975 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वृद्धि होने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) वर्ष 1973 के बारह महीनों और 1974 के उन्हीं महीनों के औद्योगिक उत्पादन (1960 और 1970 को आधार वर्ष मानकर) के मूल्य के सामान्य सूचकांक संलग्न सारणी में बताये गए हैं। इनका संकलन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया गया था।

(ख) अनेक प्रमुख क्षेत्रों जैसे बिजली, कोयला, इस्पात आदि में हुए वर्तमान उत्पादन की प्रवृत्ति से पता चलता है कि 1975 के औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक 1974 की अपेक्षा अधिक होगा। फिर भी, विद्यमान वर्ष में सूचकांक की यथार्थ स्थिति अनेक बातों अर्थात् कृषि के कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसके बारे में इस समय निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक

महीने	सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100)		पुनरीक्षित सूचकांक (आधार 1970-100)	
	1973	1974(*)	1973	1974(*)
जनवरी	207.4	206.0	118.8	117.3
फरवरी	191.8	196.2	112.3	113.5
मार्च	211.3	210.3	120.9	122.1
अप्रैल	188.6	191.3	107.3	108.6
मई	190.7	202.6	109 5	111.7
जून	192.z	202.4	110.1	113.7
जुलाई	199.1	203.5	114.3	117.9
अगस्त	204.9	उपलब्ध नहीं	115.8	115.2
सितम्बर	199.3	उपलब्ध नहीं	112.7	114.1
अक्तूबर	194.2		110.9	
नवम्बर	206.8		118.4	
दिसम्बर	222.0		123.5	

स्रोत:—केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन योजना मंत्रालय

*अनन्तिम

दिल्ली में औद्योगिक एककों को बिजली की सप्लाई

5648. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में औद्योगिक एककों को सप्लाई की जाने वाली बिजली में हाल ही में कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद,) : (क) और (ख) पड़ौसी राज्यों, जो विद्युत की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, की सहायता करने के उद्देश्य से राजधानी में उन सभी औद्योगिक यूनिटों पर 15 प्रतिशत विद्युत की कटौती लागू की गई है, जिनका स्वीकृत लोड 50 किलोवाट से अधिक है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत-आस्ट्रेलिया करार

5649. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिये आस्ट्रेलिया के साथ एक पांच वर्षीय करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हां, भारत सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पंचवर्षीय करार पर 26 फरवरी, 1975 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) करार में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना, प्रलेखीकरण के आदान-प्रदान, वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में जुटे हुए दूसरे कार्मिकों के आदान-प्रदान, और आपसी हित की समस्याओं से संबंधित संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं । करार में दोनों देशों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठनों के बीच सहयोग के लिए सीधे संपर्क स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है ।

Funds received through Film Stars Cricket Match for Prime Minister's Relief Fund and sale of Bogus Tickets

5650. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the funds raised for Prime Minister's Relief Fund by organising Film Stars Cricket Test Match in National Stadium on the 13th October, 1974; and

(b) the action taken against the persons caught selling bogus tickets ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The gross amount collected by sale of tickets is Rs. 2,83,535.00. After deducting an expenditure of Rs. 17,491.08 incurred for making arrangements at the Stadium, printing and stationery, conveyance and transport and miscellaneous items, a sum of Rs. 2,66,043.92 has been credited to the Prime Minister's National Relief Fund.

(b) Police investigation is in progress. A report from the Central Forensic Science Laboratory is awaited.

Charges against S.I. of Tilak Nagar Police Station

5651. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Lt. Governor of Delhi has recently received a complaint charging the Police Sub-Inspector of Talik Nagar Police Station, with the murder of one Shri Bodh Raj in Vishnu Garden, New Delhi, in collusion with some undesirable elements in the month of October; and

(b) if so, the action being taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) A complaint addressed to the Lt. Governor of Delhi was received. It pertained to case F.I.R. No. 864 dated 7-10-74 u/s 302/147/148/149 IPC Police Station, Tilak Nagar regarding the murder of Shri Bodh Raj. A Sub-Divisional Magistrate has been deputed to enquire into the matter.

डाक-घरों का बन्द होना

5652. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने लाभ न होने के आधार पर देश में बहुत बड़ी संख्या में डाक-घरों को बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) जब तक कोई डाक घर अपने खर्च के बराबर आय देने में समर्थ होता है, उसे बन्द नहीं किया जाता । वास्तव में डाकघर घाटा उठा कर भी खोले जाते हैं और उन्हें चालू रखा जाता है, बशर्ते कि वे मौजूदा डाकघर से दूरी की और डाक-घर से सेवा पाने वाली जनसंख्या की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हों ।

मौजूदा नीति के अनुसार साधारण देहाती इलाकों में 500 रुपये और 750 रुपये तक का वार्षिक घाटा उठाया जा सकता है और पिछड़े पहाड़ी व आदिवासी इलाकों में 1000 रुपये तक का वार्षिक घाटा उठाया जा सकता है । 10 वर्ष की प्रायोगिक अवधि के समाप्त होने पर यदि उनका वार्षिक घाटा नजदीक के डाकघर को उनकी दूरी के आधार पर, 240 रुपये, 360 रुपये या 500 रुपये हो तो उन्हें स्थायी घोषित कर दिया जाता है ।

यदि यह घाटा निर्धारित अधिकतम सीमाओं से ज्यादा भी हो, और कोई इच्छुक पार्टी उस अधिक रकम को चन्दे के तौर पर जमा कराने को तैयार हो तो डाकघरों को बन्द नहीं किया जाता । अलबत्ता, इस समूची नीति पर पुर्नविचार किया जा रहा है ।

पांचवीं योजना में टेलीविजन केन्द्र खोलना और काम कर रहे टेलीविजन सैट और सामुदायिक टेलीविजनों की संख्या

5653. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितने टेलीविजन केन्द्र खोलने का कार्यक्रम है ।

(ख) इस समय देश में कितने टेलीविजन सैट काम कर रहे हैं; और

(ग) उनमें सामुदायिक सैटों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस समय दिल्ली, बम्बई (पूना में रिले केन्द्र सहित) और श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र तथा अमृतसर में एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन चालू है । आशा है कि पांचवीं योजना की अवधि के दौरान दिल्ली के कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिये मंसूरी में एक रिले केन्द्र तथा कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ (कानपुर में रिले केन्द्र सहित) तथा जलंधर (कसौली में रिले केन्द्र सहित) में टेलीविजन केन्द्र चालू हो जायेंगे । उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग के अंग के रूप में चालू टेलीविजन सेवाओं को जारी रखने के लिये स्त्रोतों की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए पटना में ट्रांसमिशन सुविधाओं सहित एक निर्माण केन्द्र स्थापित करने तथा कटक और हैदराबाद में वर्तमान कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं में वृद्धि करने तथा उनसे संबद्ध कुछ रिले केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

(ख) 30-9-1974 को टेलीविजन लाइसेंसों की संख्या 235,861 थी ।

(ग) 1,670 टेलीविजन सैट ।

पांचवीं योजना का पुनरीक्षण

5654. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :**

श्री पी० जी० मावलंकर

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित योजना कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप वर्ष 1972-73 की कीमतों के सन्दर्भ में और उस समय विद्यमान आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया था । तब से देश के अन्दर कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है । कच्चे तेल की अन्तरा-राष्ट्रीय कीमतों में चार गुना बढ़ोत्तरी हुई। आयातित विभिन्न कच्चे माल और निवेशों की कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ी है । इन घटनाक्रमों ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किये गये वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को विभिन्न अंशों में प्रभावित किया है । अतः यह आवश्यक हो गया है कि संसाधनों का पुर्नमूल्यांकन और पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के ढांचे के अन्दर अन्तरक्षेत्रीय प्राथमिकताओं को पुर्नव्यवस्थित किया जाय । इस समय योजना आयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक अभ्यास करने में व्यस्त है ।

(ख) इस समय किये जा रहे अभ्यासों के पूरा हो जाने पर पांचवी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देकर प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

परमाणु बिजली घरों द्वारा स्वयं उत्पादित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का उपयोग

5655. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक**: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1975 के 'नेशनल हेराल्ड' में "डु ऐटोमिक पावर

स्टेशन्स यूज अप मोर एनर्जी देन दे प्रोड्यूस ?" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रॉनिक्स मंत्री अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस लेख का वस्तु-विषय मुख्यतः बिजली तथा उसके साधनों का हिसाब रखने के सही तरीकों से सम्बन्धित है । उस लेख में "उत्पादित ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा की खपत करने वाले परमाणु बिजलीघरों" का उल्लेख सम्भवतः इस सन्दर्भ में किया गया है कि बिजली का उत्पादन करने के कोयले और तेल पर आधारित तरीकों के एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में परमाणु बिजलीघरों का विस्तार तेजी से किया जाना चाहिए । लेख में यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादन के खपत से कम प्रतीत होने का "कारण यह है कि तैयार की गई परियोजनाओं के अनुसार आवश्यक बिजली की भारी कमी को पूरा करने के वास्ते तैयार किए गए परमाणु बिजली कार्यक्रम को उसकी समुचित गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होता है कि नये बिजलीघरों की स्थापना भी बहुत ही तेज गति के साथ की जाएं तथा उसका परिमाण यह निकलता है कि जो बिजलीघर चालू किए जा चुके हैं उनसे प्राप्त होने वाली बिजली की मात्रा कभी भी इतनी पर्याप्त नहीं रहने पाती कि वह नये बिजलीघर लगाने के चालू कार्यक्रम की निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं एवम् अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके" तथापि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी एक परमाणु विजलीघर अपने जीवनकाल में जो बिजली तैयार करेगा उसकी मात्रा उस बिजलीघर के निर्माण तथा संचालन के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा से कम होगी । तथ्य तो यह है कि किसी परमाणु विजलीघर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों एवम् उपकरणों का उत्पादन करने, तथा उसमें प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम ईंधन के लिए धातुक निकालने, उस ईंधन को तैयार करने तथा उसका पुनर्संसाधन करने कें लिए आवश्यक बिजली की मात्रा, उस बिजलीघर द्वारा अपने जीवनकाल में तैयार की जाने वाली कुल बिजली की मात्रा का एक छोटा सा भाग ही होती है । अमरीका में इस सम्बन्ध में जो अध्ययन किए गए हैं उनसे यह बात सामने आई है कि कोई भी परमाणु बिजलीघर (जिसमें समृद्ध यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता हो), यदि केवल दो से तीन महीने की अवधि तक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे तो उसमें उत्पादित बिजली की मात्रा किसी बिजलीघर की स्थापना तथा संचालन के लिए आवश्यक बिजली की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त होती है। हमारा परमाणु बिजली कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है तथा उसके लिए आवश्यक बिजली की मात्रा समृद्ध यूरेनियम पर आधारित कार्यक्रम के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा से बहुत कम होती है, और इस प्रकार से हमारे मामले में स्थिति कहीं बेहतर प्रतीत होती है ।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

5656 **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की कोई योजना भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(घ) योजना पर कितना खर्च आएगा ?

उर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में 112,624 गांव हैं । 31-1-1975 तक 30,434 गांव विद्युतीकृत हो चुके थे ।

(ख) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिसकी केन्द्रीय सैक्टर में स्थापना की गई है, राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाता है । ऐसी योजनाएं राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्वयं बनाई जाती हैं । निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को सहायता दी जाती है, जो उस राज्य द्वारा प्रायोजित स्कीमों की संख्या तथा निगम द्वारा इस विषय में निर्धारित मानदण्डों और निर्देशों के अनुसार उनकी स्वीकृति पर निर्भर करती है ।

कोयले के गैसीकरण के लिए संयंत्र की स्थापना

5657. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के गैसीकरण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) सरकार निम्नतापीय कार्बनीकरण संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, उनमें से कुछ में कोक और गैस का उत्पादन होगा । इस समय रानीगंज कोयले पर आधारित एक संयंत्र पश्चिमी बंगाल में स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का कार्यकरण

5658. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ की स्थापना करने के बाद इसके कार्यकरण के बारे में इस बीच जांच की हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसके कार्यकरण के बारे में कोई अनियमिततायें पायी हैं; और

(ग) इसकी कमियों को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) स्कूटर्स इंडिया का कार्य हमेशा पूर्ण रूप से संतोषजनक रहा है। इसलिए मंत्रालय द्वारा कार्य और प्रगति की समय-समय पर की जाने वाली सामान्य समीक्षा के अलावा इस एकक के कार्य की कोई विशेष जांच करने का आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय अन्तरिक्ष उपग्रह को सोवियत संघ से छोड़ना

5659. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष उपग्रह छोड़े जाने के लिये सोवियत संघ भेजा गया है;

(ख) क्या उपग्रह को वास्तव में छोड़ने का कार्य भारतीय अन्तरिक्ष इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा अथवा सोवियत अन्तरिक्ष इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा; और

(ग) क्या उपग्रह पूरी तरह भारतीय इंजीनियरों ने देश में उपलब्ध सामग्री से तैयार किया था और यदि हां, तो वर्ष 1975-76 में ऐसे उपग्रहों के निर्माण के कार्यक्रम की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी जहां।

(ख) उपग्रह को छोड़ने का वास्तविक कार्य रूसी इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा लेकिन उस कार्य में हमारे इंजीनियर सहयोगी होंगे।

(ग) जी, हां। उपग्रह का पूर्ण ब्यौरा, इसके निर्माण और इसके संभावित भावी कार्यक्रम, अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1973-74 और 1974-75 की वार्षिक रिपोर्टों में दे दिये गये हैं, जिनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कम्प्रेशरों का उत्पादन

5660. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स भारत पंप्स कम्प्रेशर्स लिमिटेड द्वारा कुल कितनी कीमत के कम्प्रेशरों की बिक्री की गई और इन कम्प्रेशरों में कुल कितनी आयातित सामग्री लगी थी;

(ख) आयातित कम्प्रेशरों और मैसर्स भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कम्प्रेशरों के मूल्य में कितना अन्तर है; और

(ग) क्या देश में किसी अन्य कम्पनी को तीन अथवा अधिक अवस्था (स्टेज) वाले कम्प्रेशर बनाने का लाइसेंस दिया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत पंप्स कम्प्रेशर्स लिमिटेड ने मार्च, 1975 तक 126 लाख रुपये मूल्य के 11 कम्प्रेशरों में से केवल एक एयर कम्प्रेशर ऐसा था, जो कि 4.42 लाख रुपये में बेचा गया था। इस एयर कम्प्रेशर में 4.16 लाख रुपये का आयातित अंश था।

(ख) इस समय भारत पम्प कम्प्रेशर्स लि० केवल अपने सहयोगकर्ताओं से पूर्ण रुपेण खुले हुए अथवा आंशिक खुले हुए आयातित कम्प्रेशरों को जोड़कर तैयार करने और उनके परीक्षण का कार्य कर रहा है। भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि० द्वारा जोड़कर बनाये गये कम्प्रेशरों का मूल्य लगभग उनके सहयोगकर्ताओं द्वारा तैयार किये गये कम्प्रेशरों के मूल्य के बराबर है।

(ग) जी, हां। तीन या इससे अधिक प्रकार के कम्प्रेशरों का निर्माण करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में दो और सरकारी क्षेत्र में एक एकक को लाईसेंस दिया गया है।

स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा ढाकली, अकोला, जिला महाराष्ट्र के नव बुद्ध हरिजनों पर अत्याचार

5661. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को महाराष्ट्र के अकोला जिले के धाकाली के नव बुद्ध हरिजनों पर स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा किये गये अत्याचार के बारे में एक संसद सदस्य से 19 दिसबर, 1974 को कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अत्याचार के लिये दोषी अथवा अत्याचार भड़काने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री को इस विषय पर माननीय सदस्य से एक पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 को प्राप्त हुआ है। इस पत्र में बताया गया है कि बौद्ध संप्रदाय के दो भाई, गोपाल और बब्रूवाहन गवाई महाराष्ट्र के जिला अकोला के गांव ढाकली के निवासी हैं। बब्रूवाहन और उसकी पत्नी गांव में तुकाराम पाटिल के फार्म पर काम करते थे। गोपाल गवाई की गिनियान बाई नामक लड़की, जो अपने चाचा बब्रूवाहन के साथ रह रही थी, भी कभी कभी तुकाराम पाटिल के फार्म पर काम करती थी। तुकाराम के पुत्र उद्धव का इस लड़की के साथ प्रेम हो गया और जब वह गर्भवती हो गई, तो गोपाल और बब्रूवाहन तुकाराम के घर गये और उससे अपने लड़के से लड़की की शादी करने को कहा। उनकी प्रार्थना मानने के बजाय तुकाराम पाटिल ने बौद्ध भाइयों और लड़की के विरुद्ध अतिक्रमण का झूठा मुकदमा दायर कर दिया। किन्तु मुकदमे का निर्णय भाइयों के पक्ष में हुआ। तुकाराम पाटिल का इन भाइयों से वैमनस्य हो गया और अपने अनुचर को उन्हें अन्धा करने का निदेश दिया। उसके अनुचर द्वारा 26 सितम्बर, 1974 को उसके आदेशों का पालन किया गया, जब दोनों बौद्धों पर प्रहार किया गया और उन्हें अन्धा कर दिया गया।

(ग) तथा (घ) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार 26 सितम्बर, 1974 को जिला अकोला के गांव ढाकली में एक घटना हुई थी जिसमें दो नव बौद्ध भाई अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ हुई एक झड़प में चोट लगने के कारण अन्धे हो गये थे। इस सम्बन्ध में 9 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था और सभी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और 4 दिसम्बर, 1974 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। बताया जाता है कि मामला न्यायाधीन है। गांव के पुलिस कर्मचारी तथा पुलिस पाटिल जो इस मामले में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह रहे थे उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया है। नव बौद्ध भाईयों में से प्रत्येक को 1,000 रु० की धन राशि दी गई थी जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उनसे मिले थे। राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित को दो हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की है। प्रधान मंत्री ने दो नव बौद्ध भाईयों में से प्रत्येक को राष्ट्रीय सहायता कोष से 5,000 की धन राशि स्वीकृत की है।

ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी, ब्रिटेन के सहयोग से नई कम्पनी आरम्भ करना

5662. **श्री वयालार रवि :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी, ब्रिटेन के सहयोग से भारत में एक नई कम्पनी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा भारतीय सहयोग कर्ताओं के नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी यू०के० से सहयोग करके नयी कम्पनी स्थापित करने के लिए किसी भी भारतीय फर्म का कोई आवेदन पत्र सरकार के पास अनिर्णीत नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेकरी उद्योग का विकास

5663. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोसाइटी आफ़ इंडियन बेकर्स ने बेकरी उद्योग के विकास के लिये योजना आयोग को पांचवीं तथा छठी योजनाओं में एक दस वर्षीय योजना सम्मिलित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बेकरी कार्य में विभिन्न स्वदेशी कच्चे माल के उपयोग के सम्बन्ध में इस उद्योग की तकनीकी की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने के लिये सोसाइटी ने एक बेकरी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) सोसायटी आफ इंडियन बैकर्स ने कृषि मंत्रालय द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में गठित किए गए कृषि-वस्तुओं के मूल्य, विपणन, परिष्करण, भण्डारण और गोदाम से संबंधित कार्यकारी दल के बेकरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के सुझाव का समर्थन किया है।

(ग) पहले ही "सेन्ट्रल फूड टैक्नालाजीकल रिसर्च इंस्टीच्यूट, मैसूर" जैसे राष्ट्रीय संस्थान बेकरी उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। माडर्न बेकरीज़ (इंडिया) लि०, जो कि भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है, ने भी बेकरी उद्योग पर अनुसंधान करने के लिए हाल ही में अपने अन्तर्गत एक प्रभाग खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेकरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव, जिसकी सिफारिश कार्यकारी दल ने की थी, पांचवीं योजना कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया था।

उड़ीसा में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

5664. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के प्रत्येक जिले में निष्पादन हेतु कौन-सी विशिष्ट वस्तुएं चुनी गई हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने किन्हीं ऐसे उपायों का सुझाव दिया है जिनसे निम्नतम स्तर से लोगों को सहयोग प्राप्त हो जायें ताकि हमारी योजना सफल हो सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो उड़ीसा राज्य के वर्तमान वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना का एक अभिन्न किन्तु विशिष्ट अंग है, के व्यापक आकार और विषय-वस्तु को योजना आयोग के साथ हाल में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखकर अन्तिम रूप देने का काम चल रहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार आयोजन प्रक्रिया में जन-सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर सदैव बल देती रही है। इसी बात को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी दोहराया गया है। इस सम्बन्ध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) का प्रारूप खण्ड-1, जिसकी प्रतियां सभा पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं के पृष्ठ 115-116 पर पैराग्राफ 9.184 से 9.187 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Electrification of Villages in Rajasthan

*5665. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state the names of the districts in Rajasthan, along with the number of villages thereunder which are likely to be supplied electricity during the Fifth Plan period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : The Rajasthan State Electricity Board have tentatively programmed to electrify 6,000 villages during Fifth Plan period. Districtwise break-up has so far not been planned.

Economic Self-Sufficiency

5666. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) since when Government have stopped seeking foreign assistance with a view to become self-sufficient from economic point of view and the nature thereof; and

(b) the measures adopted in this matter as also the time when this object will be achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The Government have not stopped seeking foreign assistance. The attainment of economic self-reliance is one of the strategic goals set out in the draft Fifth Plan which visualises that by 1978-79, the maximum amount of our foreign exchange requirements, other than debt service charges, are met from our own resources. The draft Fifth Plan also envisages that by 1985-86, we will be in a position to meet the maximum amount of our foreign exchange requirements, including debt service charges, from our own resources, thus obviating the need for inflow of concessional aid. Inflow of foreign capital on normal commercial terms may, however, still be allowed if necessary. The objective of self-reliance is sought to be achieved through increase in domestic production, vigorous and sustained export effort and import substitution programmes.

Opening of Public Call Offices in Pali District

*5667. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the places in Pali District (Rajasthan) where Public Call Offices have been opened during the last three years and the number of Public Call Offices proposed to be opened in the next Five Year Plan indicating the names of the places where such offices would be opened; and

(b) the criterion for opening a Public Call Office ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Six P.C.Os. have been opened at the following places in Pali district during the period of three years *i.e.*, from 1971 to 1974.

1. Siriyari.
2. Kushalpura.
3. Deoli.
4. Nimaj.
5. Bera.
6. Mundara.

P.C.Os. at the following places in Pali district are approved for opening during the 5th Five Year Plan.

1. Jawali (since opened).
2. Kosalao (since opened).
3. Jojawar.
4. Guda—Ramsinghpur.
5. Ranakpur.
6. Sewari.

(b) A copy of the order enunciating the policy for opening Telegraph Offices and P.C.Os. on loss is placed on the table of the house. [Placed in Library. *See* No. L.T.-9392/75.]

CASES OF RE-EMPLOYMENT SENT TO U.P.S.C.

5668. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the details of the 51 cases of re-employment sent to Union Public Service Commission during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 and the names of the concerned officers; and

(b) the reasons for giving them an opportunity of re-employment and the criterion laid down for re-employment ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel and Administrative reforms and in the department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) A statement is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T.-93/75.]

(b) According to criteria laid down for grant of re-employment beyond the age of superannuation, no such proposal is ordinarily to be considered, save in very rare and exceptional circumstances. The over-riding consideration is that such re-employment

must clearly be in the public interest and in addition, satisfy one of the following two conditions :—

(*i*) That other officers are not ripe enough to take over the job; or

(*ii*) The retiring officer is of out-standing merit.

Further, the first of the two conditions mentioned above can be taken to be satisfied only if there is shortage in a particular specialisation or if it is not possible to find as successo or the officer is engaged on work or project of vital importance which is likely to produce results in a year or two. Further no extension of service or re-employment is to be considered on the ground that a suitable successor is not available unless it is established that action to select a successor has been taken well in advance but the selection could not be finalised in time for justifiable reasons. Moreover, detailed procedures have also been laid down for consideration of each such proposal at a sufficiently high level. As regards the reasons for re-employment in the cases mentioned at (a) above, these can broadly be categorised as follows :—

(*i*) Non-availability of officers in accordance with the modes of recruitment prescribed in the rules.

(*ii*) Exigencies of public interest.

(*iii*) Where the re-employment became necessary due to highly specialised knowledge and experience required for the post.

केरल द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए कावेरी के जल का उपयोग

5669. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार अपनी दो पनबिजली परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिए कावेरी के जल का उपयोग करने के वारे में विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । केरल राज्य ने निम्नलिखित दो स्कीमें भेजी हैं :—

1. मननथोड़ी जल-विद्युत परियोजना

इस परियोजना में मननथोडी नदी के ऊपर 36.27 मीटर ऊंचे एक बांध के निर्माण द्वारा 327 मिलियन घनमीटर कुल धारिता वाले एक जलाशय का निर्माण, मननथोडी जलाशय से निकटवर्ती वलापठनन बेसिन की ओर जल के व्यपवर्तन के लिए एक सुरंग तथा 200 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता वाले एक विद्युत केन्द्र का निर्माण परिकल्पित है।

2. केरल भवानी जल-विद्युत स्कीम

इस स्कीम में विद्युत उत्पादन के लिए भवानी के जल को पश्चिम की ओर मोड़ना परिकल्पित है। इसमें 61 मीटर ऊंचे एक चिनाई बांध तथा 100 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता वाले एक विद्युत केन्द्र का निर्माण परिकल्पित है।

गैस प्लांट के निर्माण के लिये भारत-जर्मनी करार

5670. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्पादक गैस-प्लांट के निर्माण के लिये बर्ड कम्पनी, कलकत्ता और रिरामिस्वे इंडस्ट्रीज बेडार्फस वेस्ट जर्मनी के बीच हाल में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विदेशी सहयोग का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार इस पर समुचित विचार कर रही है ।

जमतारा में सी० आई० ए० की गतिविधियां

5671. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 1975 के पटना से प्रकाशित 'सर्चलाइट' के पृष्ठ 3, कालम 1 से 3 में 'सी०आई०ए० एक्टिव इन जमतारा, ऐलेजिज कांग्रेस एम०एल०ए०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को अपने केन्द्रीय आसूचना विभाग से कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार ने तत्सम्बन्धी समाचार रिपोर्ट देखी है । तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Criteria for providing Television Sets in States and Villages

5672. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the criteria laid down for providing television sets in various States and villages;

(b) whether many States and villages have not been included in the list upto 28th February, 1975; and

(c) if so, the measures proposed to be taken to adopt a uniform policy for all the areas in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) The Indian Space Research Organisation is in the process of locat-

ing 2,400 direct reception sets in villages in six areas for the purpose of Satellite Instructional Television Experiment. The main criteria for the selection of these villages were availability of electricity; linguistic contiguity, etc.

Some normal community viewing sets have also been located within the service area of the existing television stations at Delhi, Srinagar and Bombay. The Community Viewing Scheme visualises the placing of more television sets within the service areas of the stations which are going to be commissioned in the future.

(c) Government places great stress on the Community Viewing Scheme as a means of extending the impact and usefulness of television in the rural areas but its size is restricted by the limited funds available with the Centre and the States.

Middle And High Schools Functioning Under D.V.C.

*5673. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Middle and High Schools are functioning at Panchat, Konar, Tilaiya and Durgapur under the Damodar Valley Corporation;

(b) whether, except Panchat Middle English School, Urdu teachers have not been appointed in the Middle School Konar, Middle and High School, Tilaiya and the Middle and High School, Durgapur for teaching Urdu speaking students;

(c) if so, the reasons there for;

(d) whether the Post-Graduate Teachers of Corporation's schools teaching Hindi, English, Sanskrit, Bengali, Geography, Political Science, Economics, Physics, Chemistry, etc., are given senior scales while junior scales are given to those teaching Urdu; and

(d) if so, the reasons for following this policy of discrimination ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Damodar Valley Corporation run middle and high schools at Panchet and Tilaiya. Durgapur has only high school and Konar only middle school.

(b) There are Urdu teachers both in middle and higher secondary schools at Panchet. Konar middle school also has an Urdu knowing teacher. There is no demand for Urdu teachers in schools at Tilaiya and Durgapur.

(c) Urdu teachers have been appointed by the Corporation wherever required.

(d) The senior scale of pay is continuously being paid to the subject teachers appointed prior to the abolition of the higher secondary system in Bihar and West Bengal. The posts of Urdu teachers and of Sanskrit teacher at Tilaiya have been sanctioned in Graduate's scale of pay after the abolition of the higher secondary system.

(e) No policy of discrimination is being followed.

विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव

5674. **श्री नुरुल हुडा :**
श्री राजदेव सिंह :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1974 में विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग सम्बन्धी कितने प्रस्तावों को अनुमोदित किया;

(ख) कितने प्रस्तावों में विदेशी ईक्विटी भागीदारी निहित है और यह कितनी धनराशि का होगा; और

(ग) उन देशों और प्रमुख फर्मों (विदेशी) के नाम क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वर्ष 1974 के दौरान भारत सरकार द्वारा कुल मिलाकर विदेशी सहयोग के 359 प्रस्तावों पर दी गयी थी।

(ख) 359 मामलों में से 54 मामलों में कुल मिलाकर 669.34 लाख रुपये की विदेशी इक्विटी की साझेदारी थी।

(ग) वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृति भारतीय पार्टी का नाम विदेशी सहयोगी का नाम और देश, बनायी जाने वाली वस्तु तथा क्या विदेशी प्रस्ताव में इक्विटी की साझेदारी भी है या नहीं इसकी जानकारी बताने वाले तिमाही विवरण संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

आसाम में भाषा का प्रयोग

5675. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को गत एक वर्ष के दौरान आसाम में भाषाई अल्प-संख्यकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिस में यह आरोप लगाया गया है कि माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों पर उन की इच्छा तथा सहमति के विरुद्ध बहुसंख्यकों की भाषा अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है तथा आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने में भेद-भाव बरता जाता है जिससे अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रभावित होते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त आरोपों के बारे में आसाम राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें असम के सेकेन्डरी स्कूलों में बहुसंख्यक भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने और स्कूलों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने में भेद-भाव बरतने के आरोप लगाये गये हैं। किन्तु असम सरकार से मालूम हुआ है कि 1974-75 के दौरान पूर्व स्थिति कायम रखी गई है। केन्द्रीय सरकार इस समस्या की कोई सौहार्द पूर्ण समाधान निकालने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

राजधानी में दंगे

5676. **श्री नुरुल हुडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राजधानी में दंगों की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार दंगों में हताहत हुए लोगों की कुल संख्या क्या है और उन में दुकानों और मकानों के लूटने और खसोटने की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों में दिल्ली में दंगों की 1201 घटनाएं हुई। परिणामस्वरूप 38 व्यक्ति मरे और 1650 व्यक्ति जख्मी हुए। 2 मकानों और 10 दुकानों को लूटा गया। घटनाओं मृतकों, घायलों, लुटे गये मकानों व दुकानों के वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	दंगों की घटनाओं की सं०	मरे व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	लूटे गये मकान	लूटी गई दुकानें
1972	453	7	531	—	3
1973	461	8	718	1	1
1974	287	23	401	1	6

श्री मोरारजी देसाई के उपवास के बारे में

Re. Shri Morarji Desai's Fast.

Shri Madhu Limaye (Banka) : We had given notice of an adjournment motion on Mr. Morarji Desai's fast. What happened to that ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्डहार्बर) : मैंने श्री देसाई के अनशन के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। श्री देसाई का वजन पहले ही दो पौण्ड कम हो चुका है।

श्री पी० के० देव : मैंने भी इसी सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

Shri Madhu Limaye : Today is the third day of Sh. Desai's fast. We should know when this matter will be taken up.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सरकार निर्वाचन आयोग के अधिकार अपने हाथ में क्यों ले रही है ? इस बारे में चर्चा होनी चाहिये। देश भर में हजारों व्यक्तियों ने अनशन किया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी लोग बैठ जायें। जब आप सभी बोलने लगते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : हमने अलग-अलग प्रकार की सूचनाएं दी हैं। हमारा अनुरोध है कि कृपया आप यह बता दें कि किस रूप में मामले को उठाने की अनुमति दी जायेगी ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) **:** Sir, it is a very serious matter. House will have to consider this matter. You should admit adjournment motion.

Mr. Speaker : I have not admitted it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री देसाई का वजन दो पौंड गिर चुका है। हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। सरकार हर प्रकार के बहाने बना रही है और सभी प्रचार साधनों का उपयोग कर रही है।

श्री पी० के० देव : सरकार का व्यवहार बहुत गन्दा है।

श्री पी० एम. मेहता (भावनगर) : श्री देसाई हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये अनशन पर है। समूचे सदन के लिये यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :

When all of you speak, I am unable to hear anybody. I had not admitted the adjournment motion on the first day itself. It is not failure of the Government if somebody goes on fast.

श्री पी० के० देव : हमें यह जानकारी चाहिये कि सरकार इस मामले को कैसे सुलझायेगी ?

श्री पीलू मोदी : क्या आप जान-बूझ कर मामले को तोड़-मरोड़ रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। जहां तक अनशन का प्रश्न है यह सरकार की असफलता नहीं है। जहां तक गुजरात में चुनावों का सम्बन्ध है आप को गई अवसर दिये गये और उन पर चर्चा भी हुई। आप चाहें तो इस मामले को किसी और रूप में पेश कर सकते हैं लेकिन स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं।

श्री पी० जी० मावलंकर : हमारी ध्यान आकर्षण सूचनाओं का क्या हुआ ?

Sh. Madhu Limaye : Sir, I want to make one suggestion. You kindly admit Calling Attention Notice and we will see the Government's reply and then you give your decision regarding adjournment motion.

Mr. Speaker : Adjournment Motion can not be admitted. However, I shall try to find some way out.

Shri Atal Bihari Vajpayee : One basic question is linked up with this matter. Who is the judge to decide for the fixation of time for elections ? Will it be decided by the Government keeping in view the interests of their party ?

Mr. Speaker : We have to see to what extent this matter can be raised in this House. This particular matter has been discussed two or three times. It might be raised again in some other form. But how can an adjournment motion be admitted on this matter ?

Sh. Atal Bihari Vajpayee : You provide us an opportunity for a discussion thereon.

Mr. Speaker : If the matter ends with discussion, we shall try to find some way out. He is our leader and we wish him well. We may discuss the matter but we will have to go by the procedure.

Shri S. A. Shamim : Mr. Speaker, Sir, I am just now coming from Shri Morarji's residence. I have delivered him a letter from Sheikh Abdullah. Shekh Sahib has requested him to end his fast. Sheikh Sahib in his letter has said that that was the opportune time to strengthen the democratic institutions. Shri Morarji has replied that he was fasting for that very purpose. So I want that this matter must be discussed in this House so that a dialogue may be started. We all want him to end his fast. We want to help the Government in this matter.

Mr. Speaker : I have made my observation keeping in view this matter.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी गई है, नियम 184 के अन्तर्गत और नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दी गई है और भी कई प्रकार से अनुरोध किये गये हैं। क्या वह सभी नियमों के अन्तर्गत नहीं आते ? क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि यह विषय चर्चा के योग्य ही नहीं है और संसद को इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न किये जाने के कारण बताये हैं। आप कोई रास्ता निकालिये। कल 9 घंटे इस पर बात हो चुकी है। आज हम कुछ और कार्य करें। नियमानुसार इस मामले का हल निकालने के मैं विरुद्ध नहीं हूं। आप नियम 377 के अन्तर्गत इस पर चर्चा उठा सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री पीलू मोदी : तब क्या मैं यह मान लूं कि आप हमारे साथ मिल कर कोई हल निकालेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि कल आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो काफी समय है लेकिन यदि आप ध्यान आकर्षण के माध्यम से मामला उठाते हैं तो उस पर चर्चा अगले सप्ताह ही हो सकेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस सम्बन्ध में चाहे हमारे विचार कुछ भी हों लेकिन यह बात है सार्वजनिक महत्व की। अगले सप्ताह के लिये सभा की कार्यवाही सम्बन्धी मंत्री जी के वक्तव्य के बाद इस मद को लाना ठीक नहीं। कल यह तकनीकी दिक्कत भी है कि अल्प-सूचना प्रश्न भी रखा हुआ है। यह अल्प सूचना प्रश्न श्री साठे के सहयोग से अगले दिन के लिये रखा जा सकता है और आप कल के लिये ध्यान आकर्षण रख सकते हैं।

श्री वसंत साठे : यदि इस पर अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है तो मैं सहयोग के लिये सहमत हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We can find out the solution of Shri Desai's fast if a similar move is made by you.

अध्यक्ष महोदय : कल के लिये निर्धारित अल्प सूचना प्रश्न को स्थगित करने को क्या आप तैयार हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : जी हां। उसे 11 तारीख के लिये स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : तारीख तो मैं स्वयं नियत करूंगा। अभी से मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री ससंत साठे : मेरा अनुरोध केवल यह है कि ध्यान आकर्षण में मेरा नाम भी शामिल कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सौदेबाजी नहीं हो सकती।

Shri Atal Bihari Vajpayee : But then you please relax the rule a little so that we may give notice by 4 P.M. because today we have given notice of an adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : सूचनाएं तो पहले ही दी जा चुकी हैं और उनका बैलट किया जाना है।

श्री पीलू मोदी : एक और भी बात है। कल श्री शरद यादव ने मध्य प्रदेश में दिखाये जा रहे समाचार-दर्शन के कुछ भाग काटे जाने की बात की थी।

अध्यक्ष महोदय : जिस सदस्य का नाम पहले आया है उसे नियम 377 के अधीन मामला उठाने की मैंने अनुमति दे दी है। मेरा विचार है कि यह नाम श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय का है।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) **:** Sir, water is not available. **(Interruption).**

Mr. Speaker : Water is not available at my residence also.

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha) **:** I have to make a submission. Yesterday it was reported about me that after arrest we were taken to some house. That was wrong it was not kept in Gymkhana Hall of Gaikwar, Haveli. On the other hand we were made to sit for 3 hours in the open Gymkhana Court.

Mr. Speaker : You give it to me in writing. I shall take it up with the Minister.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री केशव देव मालवीय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग (विकास) नियम 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 मार्च 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 160 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये एल०टी०-9377/75]।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद सख्या निर्धारण) नौवां और दसवां संशोधन विनियम, 1975 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1975

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम 1975, जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 368 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासंनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1975, जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 369 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 370 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल०टी०-9378/75]।

भारतीय चर्मशोधन तथा जूता निगम लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय चर्मशोधन तथा जूता निगम लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चर्मशोधन तथा जूता निगम लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां : [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये एल० टी० 9379/75]।

दिल्ली नगर निगम (मतदाता सूचियां तैयार करना) नियम, 1975

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 479 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम (मतदाता सूचियां तैयार करना) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 2(30)/73-एल० एस० जी० में प्रकाशित हुय थे। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० 9380/75]

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 और वर्ष 1975-76 के लिये भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार व्यय संबंधी अनुदानों की मांगें

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 362 में प्रकाशित हुय थे। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिय एल० टी० 9381/75] ।

(2) वर्ष 1975-76 के लिये भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० 9382/75] ।

स्थावर सम्पत्ति की अधिग्रहण और अर्जुन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचना

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 885 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० 9383/75]

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान कानपुर के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल० टी० 9384/75] ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री का ध्यान निम्न-लिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें--

"जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने कुलपति को दिनांक 14 अक्तूबर, 1974 को एक ज्ञापन भेजा था, जिसे उन्होंने एक ऐसे दल को भेजा जिसमें छात्र और संकाय के सदस्य शामिल थे, जिसने उस पर विस्तृत सिफारिशें कीं। जब इन सिफारिशो पर शैक्षिक परिषद और अन्य शैक्षिक निकाय विचार कर रहे थे तो संघ का अध्यक्ष बदल गया। नये अध्यक्ष ने कुलपत्ति को 4 मार्च, 1975 को 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। कुलपति ने यह प्रस्ताव संकायाध्यक्ष और छात्रों की एक समिति को भेजे। समिति ने इनमें से दो प्रश्नों पर सिफारिशें नहीं की अर्थात् श्रेणियों के मूल्यांकन करने के लिये सांविधिक निकाय की स्थापना तथा कार्य परिषद में छात्रों का प्रतिनिधित्व, जो पहले से ही शैक्षिक परिषद के विचाराधीन थे। जब इन प्रश्नों पर शैक्षिक परिषद द्वारा 4 अप्रैल, 1975 को विचार किया जा रहा था, छात्र संघ के अध्यक्ष के एक प्रस्ताव पर यह बैठक स्थगित कर दी गई थी ताकि छात्र और संकाय इन पर और आगे विचार विमर्श कर सकें।

इससे पूर्व कि शैक्षिक परिषद की स्थगित की गई बैठक फिर से हो और श्रेणीकरण के प्रश्न की जांच करने के लिये एक सांविधिक निकाय की स्थापना करने के बारे में विचार विमर्श किया जा सके, छात्र संघ के कुछ नेताओं ने पहले ही सीधी कार्रवाई कर दी। 7 अप्रैल, 1975 की प्रातः को यह पता लगा कि छात्रों के एक दल ने विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्यालय में प्रवेश करना रोक दिया है। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के अनुसार, छात्र नेताओं का झगड़ा इस बात पर था कि जब तक उनकी दो मांगे अर्थात् पूर्व उल्लिखित सांविधिक निकाय की स्थापना और 100 रुपये मासिक में अच्छा भोजन मुहैया करना मंजूर न कर ली जायें, प्रशासन को काम नहीं करने दिया जायेगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय को काम नहीं करने दिया जा रहा था, कुलपति ने रेक्टर, स्कूलों के संकायाध्यक्षों तथा छात्रों के संकायाध्यक्ष के परामर्श से विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल तक बन्द करने का निर्णय किया। छात्रों से छात्रावास खाली करने को कह दिया गया है।

कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय को बन्द करने और उठाये गये अन्य कदमों से संबंधित सूचना उन्हीं के द्वारा कार्यकारी परिषद की 7 अप्रैल 1975 को हुई बैठक में दे दी गई थी, जो कि स्थगित हो गई थी। कार्यकारी परिषद ने इस कार्यवाई का सर्वसम्मति से समर्थन किया।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस बात के लिये बहुत उत्सुक हैं कि विश्वविद्यालय के लिये समुचित रूप से कार्य करने हेतु परिस्थितियों के पुनः सामान्य होते ही विश्वविद्यालय दोबारा खोल दिया जाये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के कार्यों में छात्रों के भाग लेने से सम्बन्धित जो प्रयोग आरम्भ किया गया था, उसे छात्र-नेतृत्व के एक वर्ग की अविवेकशील कार्रवाई ने संकट में डाल दिया है। कोई भी विश्वविद्यालय सामान्य रूप से काम नहीं कर सकता जब वाद-विवाद का स्थान धमकी और दलीलों का स्थान दबाब के दावपेंच ले लेते हैं। सरकार को पूरी आशा है कि छात्र-महासंस्था इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि विश्वविद्यालय सामान्य रूप से काम करने लग जाये, अध्यापक वर्ग से सहयोग करेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार छात्रों की दो मांगों, अर्थात् सांविधिक निकाय की स्थापना और 100 रुपये मासिक में अच्छा खाना उपलब्ध किया जाना, पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। जब तक ये मांगें पूरी नहीं की जायेंगी प्रशासन को कार्य नहीं करने दिया जायेगा। अच्छे खाने सम्बन्धी मांग तो बड़ी उचित है, क्योंकि अधिकांश छात्र मध्यम वर्गों के ही हैं। उनकी मांग है कि कुछ सहायता देकर उन्हें 100 रुपये मासिक पर अच्छा खाना दिया जाये। क्या इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता है?

विश्वविद्यालय को बन्द किया जाना खेदजनक बात है यदि छात्रों ने अपनी मांगों पर चर्चा करने और इसके लिये किसी विशेष स्थान पर धरना धरा है तो क्या इससे विश्वविद्यालय को बन्द करना और भोजनालय को बन्द करना क्या उचित कार्यवाही है? छात्रों के अभिभावकों को सूचना दी जा रही है कि वे अपने लड़के/लड़कियों को ले जायें। होस्टल खाली कराने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि होस्टल खाली कराने और भोजनालय आदि को बन्द कराने के लिये पुलिस कार्यवाही न कराई जाये। इससे स्थिति और खराब हो सकती है। छात्र बातचीत करने के लिये सहमत हैं। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को छात्रों के साथ बातचीत आरम्भ करनी चाहिये। भोजनालय बन्द नहीं करने चाहियें। इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिये। उपकुलपति को छात्रों से बातचीत आरम्भ करनी चाहिये पता नहीं इस मामले में ऐसी खेदजनक कार्यवाही क्यों की गई है।

क्या मंत्री महोदय इस मामले में सीधे या उपकुलपति या अधिकारियों के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहते हैं ताकि यह मामला शीघ्र हल हो सके? क्या वह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बन्द रहे या वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि विश्वविद्यालय तुरन्त खोल दिया जाये? क्या वह इस सदन में यह आश्वासन देंगे कि ऐसी कोई कार्यावाही नहीं की जायेगी और छात्रों को यथावत स्थान पर बने रहने दिया जायेगा और भोजनालय खोला रखा जायेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि स्थिति खराब हो? मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे समस्या को हल करें?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० श्री एस० नूरुल हसन) : यह सच है कि यहां मध्यम वर्ग के बहुत छात्र हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अखिल भारतीय गरिमा प्रदान विश्वविद्यालय है और यहां निर्धन वर्गों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा छात्रों को छात्रवृतियां भी दी जाती हैं।

जहां तक अच्छे भोजन का सम्बन्ध है, अप्रत्यक्ष राजसहायता तो दी जा रही है। इसके साथ ही पाकशाला के कर्मचारियों तथा बेयरों को विद्यार्थियों के भोजनालय (मैस) से नहीं अपितु विश्वविद्यालय की ओर से भुगतान किया जाता है जिसकी वजह से ऊपर का खर्चा काफी कम रहता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये राशन की दुकानों से खाद्य पदार्थों की नियमित सप्लाई की भी व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को सुपर बाजार से भी आवश्यक वस्तुयें औसतन 5 से 10 प्रतिशत छूट पर मिलती हैं।

विद्यार्थियों की 'मैंस' समिति तथा छात्र संघ द्वारा जो सूची दी गई है उसे निश्चय ही 100 रुपये के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता। नाश्ते की लागत ही 1.47 रुपये प्रति छात्र आती है। और दोपहर के भोजन की लागत 1.44 रुपये तथा रात्रि के भोजन की लागत 1.85 रुपये प्रति छात्र आती है। इससे एक छात्र का प्रति मास भोजन का खर्चा 147 रुपये आता है। विश्वविद्यालय के अधिकारी इन्हें 100 रुपये के भीतर उपलब्ध होने वाला पोषक आहार देना चाहते हैं। लेकिन दी गई व्यंजन सूची के अनुसार यह असम्भव है विश्वविद्यालय के अधिकारी चाहते हैं कि विद्यार्थी अपना 'मैंस' स्वयं चलायें और उस पर जो खर्चा आये उसे आपस में बांट ले। भोजन बनाने वाले कर्मचारियों के खर्चे के रूप में राजसहायता छात्रों को पहले ही उपलब्ध है। छात्रवृतियां भी बहुत अधिक दी जाती हैं। यदि विश्वविद्यालय का काम ही असंभव बना दिया जायेगा और कुलपति को अपने कार्यालय में ही नहीं जाने दिया जायेगा तब विश्वविद्यालय बन्द करने के अलावा और चारा ही क्या है? विश्वविद्यालय प्रणाली के कुछ मूल्य हैं क्या बातचीत करने की आड़ में उनकी उपेक्षा कर दी जायेगी ?

शिक्षकों का उल्लेख करते हुये मुझे सूचित करना है कि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा कल पास किये गये प्रस्ताव में छात्रों को घेराव उठा लेने को कहा गया है और शिक्षकों तथा प्रशासकों के पुतले जलाने की निन्दा की गई है। अखिल भारतीय छात्र महासंघ की गांगों में घेराव का कोई उल्लेख नहीं है। यदि ऐसे निर्णय छात्र प्रतिनिधित्व वाले विभिन्न निकायों की सहमति के बिना ही लिये जाते हैं तो इस महत्वपूर्ण प्रयोग का क्या लाभ रहा?

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का बन्द होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, परन्तु इसका कारण निर्णय में विलम्ब ही है। छः मास पूर्व छात्र संघ ने एक ज्ञापन दिया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे मामलों में कुलपति आदि को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। गुजरात में भी छात्रों की मांगों पर विचार करने में विलम्ब के कारण ही स्थिति बिगड़ी थी।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने छात्रों के नेता को बातचीत के लिए बुलाया है ताकि कोई समझौता हो सके और कालेज बन्द न रहे ?

प्रो० एस० नरुल हसन : लगता है मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया। भोजन-शुल्क का कोई मामला छः मास से लम्बित नहीं है। अधिकारियों ने 100 रुपये ही स्वीकार करना मान लिया है। वास्तव में मार्च में भोजन-व्यय कम भी हो गया था। विलम्ब के विषय छात्र संकाय समिति तथा अन्य निकायों की राय लेने के बारे में है। 4 अप्रैल को शिक्षा परिषद् की बैठक में छात्र संघ के अध्यक्ष की ओर से ही स्थगन का प्रस्ताव आया था। अन्य प्रश्नों के बारे में सरकार तो यही चाहती है कि अपनी समस्याएं वे स्वयं ही हल करें और सरकार को उनमें हस्तक्षेप न करना पड़े।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्डहार्बर) : एक ओर तो देश में निरक्षरता बढ़ रही है और दूसरी ओर मंत्री महोदय विश्वविद्यालय बन्द कर रहे हैं।

इस विश्वविद्यालय को 1974-75 के लिए दिए गए लगभग 3 करोड़ के अनुदान में से उन्हें 4,04,800 रुपये भोजन में राज सहायता के रूप में मिलने चाहियें जो अधिकारी देने को तैयार नहीं हैं। सरकार इस विश्वविद्यालय के लोकतंत्रीय कार्यचालन के विरुद्ध है और वहां पुलिस बढ़ाने और लोकतंत्रीय आंदोलन दबाने के बारे में गवेषणा होती रही है।

इसके कुलपति पहले रक्षा मंत्रालय में थे। उन्होंने छात्रों द्वारा शांतिपूर्वक और लोकतंत्रीय तरीके से अपनी मांगें रखने के एक घंटे के अन्दर ही विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द करने का आदेश दे दिया। छात्रों ने पथराव नहीं किया फर्नीचर नहीं तोड़ा, किताबें नहीं फेंकी। कुलपति ने शिक्षकों को छात्रों की समस्याएं नहीं बताईं। 2,000 में से 730 छात्र वहीं रहते हैं अब मास के बीच में उन्हें छात्रावास छोड़ देने को कहा गया है जबकि छात्रों के पास अन्यत्र रहने या रेल के टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं।

विश्वविद्यालय बन्द करने का निर्णय राजनीतिक है। सरकार और कुलपति छात्र संघ को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि वह कांग्रेस-विरोधी है।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नौकरशाह हैं। केवल यहीं पर छात्र-परीक्षाओं के अंक उन्हीं के शिक्षक लगाते हैं और छात्र इसके विरुद्ध अपील भी नहीं कर सकते। छात्र अपनी इच्छानुसार विषय भी नहीं चुन सकते। कुलपति कभी भी किसी बैठक में पूरे समय उपस्थित नहीं रहते।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह आज ही बिना पूर्व-शर्त विश्वविद्यालय खोलने का आदेश दें और भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों की जांच की जाये। अध्यक्ष शिक्षकों को हटाया जाये और पुलिस को भी वहां से हटा लिया जाये। यदि आप भी शिक्षक रहे हैं तो पुलिस अधिकारी की तरह आचरण न करें और छात्रों को अपने बच्चे समझ कर वहां दमन-चक्र समाप्त किया जाये।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं भी छात्रों को अपने ही बच्चे मानता हूं परन्तु कठिनाई तब पैदा होती है। जब राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ के लिए उन्हें गुमराह करते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र संघ की एक पुस्तिका में ही इस विवाद को राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। दूसरे यह कहना ठीक नहीं है कि विश्वविद्यालय लोकतंत्रीय ढंग से नहीं चल रहा है क्योंकि वहां सभी स्तरों पर यह प्रयोग किया गया है।

मैं इस बात का खण्डन करता हूं कि सरकार ने इसे बन्द किया है। यह निर्णय प्राधिकारियों का अपना ही था। राज सहायता बढ़ाने के प्रश्न पर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को ध्यान में रख कर विचार करना होगा।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : Sir, I agree with the hon. Minister that most of the trouble is due to politicising the issue. Therefore, all parties have to sit round and decide the extent of political interference into students and their issues. I do not agree with him that Government do not want to interfere in J.N.U. affairs. He should rather use his good offices to avert this crisis.

I would request Shri Bosu and Shri Banerji also to persuade Students to withdraw their Dharna so that tension is eased.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : जहां तक मैं इस मामले को समझ पाया हूं, छात्रों की दो ही मुख्य मांगें हैं—एक तो यह कि कार्यकारी परिषद् में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाये और दूसरी, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः जांचा जाये। स्वयं शिक्षक होने के नाते, मैं समझता हूं कि एक-दो छात्रों की पुस्तिकाओं को तो पुनः जांचा जा सकता है, परन्तु ऐसी मांग उठाए जाने पर सभी छात्रों के मामले में ऐसा करना संभव नहीं है।

गत शनिवार को छात्रों ने शिक्षा परिषद् की बैठक सोमवार तक स्थगित करने की मांग की और सोमवार को छात्र-नेताओं ने जाकर प्रशासकीय भवन में ताले लगा दिए। परीक्षा की जो पद्धति अपनाई जा रही है, अर्थात् सिमेस्टर सिस्टम, इसमें किसी छात्र के साथ भेदभाव आदि की कोई गुंजाइश नहीं है, अतः पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग अनुचित है। कैनटीन मेरे विचार में स्वयं छात्रों को चलाने दी जाये तो बेहतर होगा। मंत्री महोदय को पर्याप्त राज सहायंता देनी चाहिये ताकि भोजन का स्तर बेहतर बनाया जा सके।

प्रो० एस० नूरुल हसन : राज सहायता के बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट कर ही दी है। हम नियमानुसार सभी संभव सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

54 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

57 वां, 58 वां तथा 59 वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 34वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 38वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

(तीन) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 47वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 59वां प्रतिवेदन।

सीमेंट उद्योग संबंधी प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE : GOVERNMENT'S DECISION ON TARIFF COMMISSION'S RECOMMENDATIONS ON CEMENT INDUSTRY

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 1 अगस्त, 1974 को, तत्कालीन औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने सीमेंट उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग द्वारा अप्रैल, 1974 में प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी थी। उन्होंने आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय बताने वाले सरकारी संकल्प की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखी थी। विद्यमान सीमेंट एककों के लिये कारखानों से निकलते समय के नये संधारण मूल्यों की घोषणा की गयी थी। (क) जिन एककों के पास औद्योगिक लाइसेंस/कार्य चालू रखने

(सी०ओ०बी०) के लाइसेंस थे, जो स्थापित किये जा रहे थे तथा जिनमें शीघ्र ही उत्पादन होने की आशा थी और (ख) जिन एककों की पांचवीं योजनावधि के अन्तिम दो वर्षों में भी उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की आशा नहीं थी उनके कारखानों से निकलते समय के संधारण मूल्यों के बारे में यह बताया गया था कि आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं व उनके बारे में निर्णय की घोषणा अलग से कर दी जायेगी। इस विषय में निर्णय लिये जा चुके हैं और आज जारी किये गये सरकारी संकल्प में उनका उल्लेख है जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEES

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

श्री आर० के० सिंहा (फैज़ाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

---

(2) लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा को लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा को लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

---

(3) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Committee on Public Undertakings

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1975 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (सैंतीसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SEVENTH AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

भारतीय समाचार चित्र से 'पीपलज मार्च टु पार्लियामेंट' का निकाला जाना

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : Government has been using the A.I.R., Television and the documents for their party interests and therefore we have for a long time been demanding that bodies like the A.I.R. and Television Centre be converted into a public corporation. There is a recent incident that makes the interests of the Government quite clear. The Nagpur Office of Films Division has issued a letter directing that Item No. 2—"News-in-brief" covering the 'People's March' to Parliament be deleted from I.N.R. 1378. This is a very serious matter because that particular part of the newsreel featured the demonstration which reflected people's feelings. Let the Minister express his regret and explain why this was done.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : हम प्रतिवर्ष अपने समाचार चित्रों में ताजगी लाने के लिये प्रयत्नशील रहे हैं। इस देश की विशालता तथा परिवहन कठिनाइयों के कारण सभी केन्द्रों से समाचार चित्र एकत्र करने तथा उन्हें प्रदर्शित करने के लिये लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। इसके बाद समाचार चित्र देश के हर भाग में भेजा जाता है। यद्यपि हम प्रत्येक चित्र की सौ से अधिक प्रतियां बनाते हैं फिर भी एक समाचार चित्र को सारे देश में प्रदर्शित करने के लिये

लगभग पांच महीने का समय लगता है। उस समय तक समाचार पुराना हो जाता है और अपना महत्व खो बैठता है। इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने फिल्म डिवीजन, बम्बई से बातचीत की तथा उन्हें सलाह दी कि वे समाचार चित्रों में हार्ड न्यूज़ को छोड़ दें तथा समाचार के महत्व के चित्रों की ओर अधिक ध्यान दें। इसका अर्थ यह है कि हमें समाचार पत्रों, रेडियो तथा टेलीविजन के साथ प्रतियोगिता करना छोड़ देना चाहिये और इस प्रकार की घटनाओं अथवा समाचारों की ओर ही अधिक महत्व दें जो पांच महीने के समय में भी पुराने न पड़ जायें। इस महीने के शुरु में ही फिल्म डिविजन को इन निदेशों के बारे में याद दिलायी गयीं और उन्हें कहा गया कि कुछ नये समाचार चित्रों में उनके निदेशों का पालन नहीं किया गया है।

सदन को याद होगा कि यह घटना 6 मार्च की है और समाचार चित्र 14 मार्च से जारी किया गया। उस समय तक इस समाचार के महत्व का कम हो जाना स्वाभाविक ही था।

श्री शरद् यादव (जबलपुर) : मैंने वह समाचार चित्र देखा है। उस अंश को निकाल देने से यह बात स्पष्ट है कि श्री जयप्रकाश नारायण के साथ कांग्रेस सरकार के मतभेतों ने पक्षपात का रूप धारण कर लिया है और उनके साथ जो भी व्यवहार होता है वह उसी पक्षपात से प्रभावित रहता है। सरकार जन भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करना चाहती। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि उस अंश को क्यों निकाला गया और इसके लिये कौन जिम्मेदार था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी।

श्री आई० के० गुजराल : मुख्य प्रश्न यह है कि इस प्रकार के निदेश दिये गये हैं कि केवल उन्हीं समाचार चित्रों को वापस लिया जाये जिनका समाचार की दृष्टि से कोई महत्व न हो। यदि इसमें कोई स्वार्थ वाली बात होती तो यह स्वाभाविक था कि हम जनसंघ के अधिवेशन को भी प्रदर्शित न करते। निदेशों के अनुसार उन्होंने उन अंशों को वापस नहीं लिया। निदेश सारे समाचारों को वापस लेने के बारे में दिये गये थे।

कानपुर में बिजली की कमी के कारण उद्योगों के बन्द होने के बारे में

RE. CLOSURE OF INDUSTRIES IN KANPUR DUE TO SHORTAGE OF POWER

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। कानपुर में आज से आठ दिन के लिए बिजली की कमी के कारण सारे उद्योग बन्द कर दिए गये हैं जिसके फलस्वरूप एक लाख से अधिक औद्योगिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को बिजली की सप्लाई करनी चाहिये क्योंकि वहां बिजली की कमी है। मंत्री महोदय को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[*Mr. Deputy Speaker in the Chair*]

अनुदानों की मांगें, 1975–76–जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—*Contd.*

कृषि और सिंचाई मंत्रालय–जारी

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, वहां के खेतिहरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास कर लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादक काफी कठिनाई में हैं।

पहले यह लोग छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन करते थे बाद में भारत सरकार के निर्देश पर उन्होंने छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन छोड़कर बड़े रेशे वाली कपास का उत्पादन शुरु कर दिया। उस समय सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यदि मूल्य उत्पादन लागत से कम हो जाएगा तो सरकार मंडी में प्रवेश करेगी और उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि करेगी लेकिन आजकल हालत यह है कि किसानों को उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर कपास बेचनी पड़ रही है।

इस वर्ष कपास की फसल 18 लाख गांठों के करीब हुई है। 4 लाख गांठें पिछले स्टाक में से बची पड़ी थी और वर्तमान मांग केवल 8–10 लाख गांठों की है। अतः सरकार या तो अतिरिक्त कपास को मन्डी में से उठा ले या उसका निर्यात कर दे। इसका कुछ न कुछ हल तो होना चाहिए। यह मालूम हुआ है कि भारतीय कपास निगम और सूती कपड़ा मिलों के पास कपास खरीदने के लिए समुचित धन उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस मामले पर शीघ्र ही विचार करना चाहिए। एक सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था प्राप्त करने के लिए हमें अपने खेतिहरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है इस क्षेत्र में बहुत कम कार्य किया गया है। गुजरात के किसानों की समस्याओं का समाधान नर्मदा जल विवाद के हल में निहित है। यदि यह मामला 15–20 साल पहले निपटा लिया जाता तो हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाते। कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं की कीमत 105 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित की है। कीमत निर्धारित करते समय उन्हें उत्पादन लागत को ध्यान में रखना चाहिए था। ऐसी हमें उनसे अपेक्षा थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 105 रुपये प्रति क्विन्टल का मूल्य लाभप्रद नहीं है। गुजरात में किसानों को सिंचाई के लिए कुओं के जल पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः लाभप्रद मूल्य 125 रुपये होनी चाहिए।

जहां तक नर्मदा जल विवाद का सम्बन्ध है, इसे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अब यह न्यायाधिकरण के समक्ष है।

धनाभाव के कारण वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं को बहुत नुकसान हो रहा है। जब हम किसी परियोजना की योजना बनाते हैं तो उसके लिए धन जुटाने के पर्याप्त साधन भी हमें पहले से ही सोच लेने चाहिए।

उर्वरकों का मूल्य काफी ऊंचा है। यह पता चला है कि भारत सरकार उसके मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। लेकिन उसमें एक पैसा भी मूल्य बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। जहां तक कीटनाशक औषधियों का सम्बन्ध है उनकी घटिया किस्म के कारण प्रति एकड़ उपज कम हुई है।

Shri Birender Singh Rao (Mahendragarh) : In view of the performance of the Ministry of Agriculture during the last 28 years of independence, it has to be said that they are the greatest enemy of agriculturists because they have worsened the lot of agriculturists during these years. It is their responsibility to bring about the upliftment of agriculturists and to reduce disparity in rural and urban per capita income, but the present situation is that the standard of living of agriculturists has gone down during these years which is evident from the fact that the purchasing power capacity of an average rural person has come down to 17 per cent by the end of the Fourth Five Year Plan as against 24 per cent in the beginning of the fourth Plan. Thus, the income of agriculturists is going down and it is doubtful whether the Ministry of Agriculture would achieve the purpose for which they have been working so long.

The Department of Community Development, Cooperative Department and even the land Mortgage Banks have become the den of corruption. The Agricultural Prices Commission has become an Appropriation Commission to grab the produce of the farmers and the Food Department has become a department of loot.

The prices of inputs and fertilisers have gone up very high for the last few years. There is no control over the prices of tyres and tubes of tractors. Farmers are not getting diesel and power. They are also not getting high-yielding seeds and adequate water. Therefore, unless farmers are provided with these pre-requisites of agriculture at fair price, there cannot be any marked development of agriculture.

There is great disparity at present in the rural and urban life and the Food Ministry is responsible for it. A villager is given 22 gms. of sugar per head whereas in cities an individual is given 400 gms. Similar is the situation in respect of cloth, Kerosene oil and other essential commodities.

The population of our country has increased by 22 crore during the last 24 years. It is the responsibility of agriculturists to supply food for the nation, but the number of agriculturists is going down. People are giving up this occupation. Therefore, agriculturists must be provided with all those things which are essential for them in order to carry on their vocation. However, the plan allocation for agriculture has been reduced to Rs. 260 crores from Rs. 310 crores in the last year. Anyhow, this amount should be utilised judiciously.

Spraying of pesticides is being done by chartering private aeroplanes. They spray water in the name of pesticides. An amount of Rs. 14/- is being spent on one acre of land. False certificates are being obtained. Bungling of crores of rupees is being done daily.

There must be equitable distribution of land. But at the same time it cannot be tolerated that ceiling is imposed on rural property, while urban property is left free. All laws relating to agriculturists have been put in the Ninth Schedule and thus the rural people have been deprived of their legitimate rights. Uniform laws should be made for both the rural as well as urban property.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : It is an evident fact that 85 per cent of the Indian population lives in villages and the prosperity of the country depends upon the agricultural production. Agriculture has an important role in improving the economic condition of the masses. Therefore, in order to bring about an appreciable increase in agricultural production, adequate water and power should be supplied to farmers. Then some effective steps should be taken to control droughts and floods and water-logging. Further, fertilisers and seeds should be supplied to agriculturists at fair price.

So far as water is concerned, each State has got some irrigation project but the difficulty is that they are lying incomplete. On Kosi project, hundreds of crores of rupees have been spent but it is still incomplete. Therefore, the first thing that should be done is to supply water through village channels. If not, electricity should be supplied so that water can be taken to fields through tubewells.

As regards droughts, a drought control Board should be constituted at the district level and it should be provided with adequate funds to implement drought control measures. This year there have been unprecedented floods in North Bihar but it is not known what steps have been taken to avoid the recurrence of such floods. A barrage should be constructed in Kishanganj area. A comprehensive scheme should be drawn up to control floods. There must be proper coordination in the activities of Ministry of Agriculture and Irrigation.

The procurement price of wheat has been fixed at Rs. 105 per quintal, but in view of the cost of production, it is too inadequate and it should be raised to at least Rs. 125/- per quintal. Farmers should be provided with marketing facilities for disposal of their agricultural produce. About ten to eleven roads are under construction in Kosi Division. At least Rs. 40 to 50 lakhs should be given for the completion of these roads.

Similarly, an allocation of Rs. 25 to 30 lakhs should be made for the repair of a 200 mile long road from Varanasi to Assam, and necessary bridges should be constructed over it.

The work of consolidation of holdings should be immediately taken up. Arrangements should be made for the supply of drinking water in rural areas.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : It has been accepted even by the ruling party that radical land reforms should be introduced so as to make the actual tiller the owner of the land. It is the big landowners who indulge in all sorts of underland dealings, social atrocities and other malpractices such as charging exorbitant interest etc. Arrangements must be made to provide easy and cheap credit to poor agriculturists through cooperative societies. Separate cooperative societies should be formed for marginal, landless farmers. The scheme of preferential rate of interest should be immediately enforced for poor landless agriculturists.

Land ceiling laws have been enacted in 17 states, but they have not been implemented so far. It is estimated that 45 lakhs of acres of land will be available for distribution, but only 20 thousand acres of land has been made available for distribution among landless people. Ceiling laws should be compulsorily enforced in the entire country. Popular committees should be formed to enforce the implementation of ceiling laws.

Government must pay attention to the question of increasing food production. Steps should be taken to ensure regular increase in food production. The procurement price of wheat has been fixed at Rs. 105/- per quintal in Panjab and Haryana. Big people are holding back their stock. They will sell it after 4-6 months at higher rates. Procurement policy must be framed keeping in view the interest of the Nation and the common people. Stocks of big land owners must be procured through graded levy. The entire marketable surplus should be taken through levy; we have no objection if this levy price is kept at Rs.105. But the procurement price for that section of farmers which has to make distress sale must be Rs 125/-

Government must initiate steps for nationalising the sugar industry. 285 M.Ps have given in writing the request for nationalisation of sugar industry. The U.P. and Bihar Vidhan Sabhas have also passed unanimous resolutions in this respect but nothing has been done.

Multipurpose dams should be constructed for controlling floods. The work regarding Rajasthan, Western Kosi and Gandak canals is pending for long due to want of funds. Hence necessary allocations should be made in order to complete them.

Shri Genda Singh (Padrauna) : There are twenty-two agricultural universities in the country and it is necessary to see that they function properly. Unfortunately, I.A.S. officers are being sent to administer these universities. While deploying these officers to these universities, it should be seen whether the officers have some background of agriculture or not. An I.A.S. officer, who was a commissioner, has been posted in Pantnagar University. Nobody knows how he will be useful for this institution.

In U.P. we have the highest number of agricultural schools. But agricultural production there is the lowest. The reason for this is that the student do not get the education which they should get and, therefore, their knowledge of agriculture is of very little use. The Government should take more interest in these matters.

Our scientists are doing fine research work. But not even one per cent of farmers have been benefited by this useful work. The Government should take some steps so that the benefit of research reaches the farmers all over the country.

The statistics prepared are misguiding. It is said that in eastern U.P., 50 per cent of sugarcane is directed towards Khandsari and gur. Everybody knows fully well that in these districts Khandsari and gur are not being prepared. But the Agriculture Prices Commission has taken into consideration these statistics while fixing the price of sugarcane. This is really unfair. In 1949-50 the price of sugarcane was Rs. 2/- per maund, but now it is Rs. 8½ per quintal. However, where the farmers are able to strike a bargain with the mill-owners, they can get Rs. 13/- per quintal.

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्यों के लिये जितना समय नियत है आपको उससे दुगुना समय मिला है। यह काफी है।

Sh. Genda Singh : Sir, Babu Jagjivan Ram had constituted a Commission for sugarcane produces and its report is under consideration but in the meantime Khandsari position has been allowed to become worse.

Gandak Canal has been constructed for giving benefits to the people. It should be ensured that it does not prove to be harmful.

The procurement price of wheat should not be less than Rs. 125/- per quintal. The farmers will be happy and feel encouraged if they get a really remunerative price.

Shri, Chandulal Chandrakar (Durg) : Sir, 75 per cent population of our country live in villages. They are all engaged in agriculture. Some of them are labourers. The Government should make policies in consultation with them. The irrigation facilities are not being fully utilised. The prices of wheat and rice are being fixed arbitrarily by a Commission setting in air-conditioned rooms. How can we expect realistic policy.

Very low prices have been fixed in respect of paddy and wheat. State Government have to start procurement on this price. But farmers are not ready to sell their produce at

such a low rate i.e. paddy at 74 and wheat at 105 rupees. As a result there will be conflict between farmers and State Governments. It is, therefore necessary to consult farmers before fixing prices of such items. This policy will prove successful and yield good results.

Huge army of people are engaged in 5123 Community Development Blocks in the Country. These 98,000 people are doing nothing. Infact they should demonstrate new techniques to the farmers for increasing production but they were not doing that. All these development blocks should be disbanded and for every ten lakh poeple a multi-purpose agricultural demonstrations farm should be set up. These farms should be complete. They should provide all sort of assistance to the farmers particularly credit facilities should be made available.

Similarly for every ten lakh people, an industrial training centre should be set up to provide training to the educated youth in rural areas. After training the trained person should be able to procure machinery and tools from these centres so that production may be started immediately. He should be provided with credit facilities also. The Country will benefit a lot if five or six hundred such centres are opened in the country. This will check the tendency of running to cities.

Very little attention is being paid towards cattle these days. Although funds are being allotted for this purpose but they are not being utilised fully.

Something should be done for animal husbandry. Cows of good breed are being sent to Calcutta and other big cities. The calves are killed. So there is scarcity of good bullocks. In the multi-purpose farms, a provision should be made for Cattle breeding also. We must improve cattle wealth.

Foodgrains are being imported every year and much higher prices have been paid. It would have been far better if this amount would have been spent on improving our own agriculture. Why should we not give better prices to our own farmers so that they may be encouraged for more productions.

More rice research centres should be opened in the country. One such Centre should be set up in Madhya Pradesh because it is bordering seven states. Whatever research is carried out, it should be passed on to all the States.

In my State Madhya Pradesh famine conditions are prevailing but the State Government are unable to meet-the situation due to paucity of funds. More funds should be made available to Madhya Pradesh. More attention should be paid for providing irrigation facilities. River water disputes should be settled quickly and amicably. This will help in increasing the production.

Shri Tula Ram (Ghatampur): I support the Demands for Grants in respect of Ministry of Agriculture and Irrigations.

Before Independence, the farmer was disappointed and dejected. After we became Independent, many steps have been taken to solve the difficulties experienced by the farmer. We have abolished Zamindari and now the actual tiller is the owner of land. Consolidation of holdings has done much good to the farmer. Now the farmer can utilise irrigation facilities much more effectively. He can use new teachniques with all advantages. As a result of all this production has gone up.

Procurement price of wheat has been fixed at Rs. 105/- per quintal. This is unfair. Cost of production has gone up considerably, price of urea has increased, power rates have increased. Procurement price should have been fixed keeping in view these facts. The farmers were spending more and getting less. Something must be done to compensate the farmer so that he may be encouraged to increase production.

It was announced that land would be given to landless people. In fact few persons have got the land. The size of the land is very small merely 0.2 acres. I submit that the minimum size of the land should be 0.5 acres.

The food Corporation of India is a hot bed of corruption. A C.B.I. enquiry should be conducted into the affairs of this organisation. The money given to this Corporation is being misused.

Food policy of the Government is city-oriented. Rationing facilities have not been provided in villages. Income should be made on the basis of rationing, whether it is a village or a city.

The procurement price should be fixed at Rs. 125/- per quintal.

Cooperative farming should be encouraged. It will definitely benefit the country and production will be increased.

***श्री सुब्रोवेलु** (मयूरम) : आज 27 वर्ष की आजादी के बाद देश में कृषि तथा खाद्यान्न की स्थिति क्या है। देश के कुछ भागों में अकाल पड़ा हुआ है और लोग पेट की आग बुझाने के लिये घास और पौधों की जड़ें खा रहे हैं। हर दिन देश के किसी न किसी भाग में लोग भूख से मर रहे हैं। जो किसान पसीना बहाकर सारे राष्ट्र को पालते हैं उन्हें प्रतिदिन दो समय का खाना भी नहीं मिलता। सरकार के लिये यह शर्म की बात है कि वे प्रतिवर्ष देशवासियों को पालने के लिये विदेशों से भीख मांगते फिरें। यदि वर्ष में 9 महीने बर्फ से ढके रहने वाले देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं तो पर्याप्त जल साधनों तथा विश्व में सर्वाधिक खेती योग्य भूमि से सम्पन्न भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकता?

बार बार आने वाली बाढ़ के कारण 1953 से 1974 तक देश को 3,500 करोड़ रुपयों की हानि हुई है। तो क्या देश में जल संसाधनों की कमी है? नहीं, कमी तो सरकार की नीति और कार्यक्रमों में हैं। यदि सरकार इस बात से इंनकार करती है तो इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले प्रशासनिक तंत्र का दोष है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिये 14 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। सरकार का यह अनुमान है कि खाद्यान्न की वार्षिक आवश्यकता 15 करोड़ मीट्रिक टन है। अतः यदि खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त भी हो जाता है तो भी हमें 1 करोड़ मीट्रिक टन अनाज का आयात करना पड़ेगा।

यह बात खेदजनक है कि बहुत अधिक धनराशि व्यय करने के बाद भी कृषि योग्य भूमि के 30 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष 70 प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

के लिये कितनी पंच वर्षीय योजनाएं लगेंगी। सरकार जनता की भलाई के लिये कृत संकल्प है। हमारा किसान किसी भी अन्य देश के किसान से कम मेहनती नहीं। फिर भी देश गरीबी से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका। मैं इसका सारा दोष सरकार पर थोपता हूं। केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में बहुत कमियां हैं।

दक्षिणी राज्यों ने केन्द्र की स्वीकृति के लिये 26 सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं। उनमें से कुछ तो पांच वर्षों से विचाराधीन हैं। राजस्व प्राप्ति के सभी साधन केन्द्रीय सरकार के पास हैं। फिर भी केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही । इसलिये केन्द्र राज्य सरकारों को उनकी परियोजनाओं के लिये स्वीकृति क्यों नहीं देता ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाया जा सके।

विद्युत साधनों का विकास किये बगैर कृषि कार्यक्रमों को सफल नहीं बनाया जा सकता। कृषि और विद्युत संसाधन आपस में अलग नहीं हो सकते। विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इतनी देरी क्यों की जाती है और नई योजनाएं आरम्भ क्यों नहीं की जातीं ?

गत वर्ष के दौरान तमिलनाडु में भयंकर सूखा आया है और 12 जिलों में 1.60 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। यह भी पता चला है कि पडुक्कोटै, रामनाथपुरम और मदुरै से बहुत से मजदूर तंजावूर रोजगार की तलाश में चले गये हैं। केन्द्रीय सरकार को वहां अगले 10 महीनों के दौरान प्रतिमास 1 लाख टन चावल तमिलनाडु को भजना चाहिये ताकि राज्य सरकार इस अभूतपूर्व संकट का मुकाबला कर सके।

तमिलनाडु सरकार सूखा राहत कार्यों को बहुत सुचारू ढंग से चला रही है। लेकिन केन्द्रीय वित्त मंत्री का रवैया तमिलनाडु के प्रति उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तमिलनाडु को ओवर ड्राफ्ट देने के लिये इन्कार कर दिया जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के मामले में उन्होंने ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर दी।

कृषि मंत्री को तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न देने के लिये कदम उठाने चाहियें। श्री जगजीवन राम के बुद्धिमत्तापूर्ण सभापतित्व में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज अर्स कर्नाटक, तामलनाडु और केरल के हित में कावेरी घाटी प्राधिकरण बनाने हेतु सहमत हो गये थे। लेकिन कांग्रेस दल के कुछ निहित स्वार्थ लोगों ने शरारत करके योजना को खटाई में डाल दिया और मुख्य मंत्री अपने वचन से पीछे हट गये।

यदि तमिलनाडु को कावेरी जल का भाग न दिया गया तो वहां सदैव सूखा पड़ता रहेगा। श्री जगजीवन राम के हाथों में तमिलनाडु के हित सुरक्षित हैं। अन्त में मैं सैकड़ों अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों का उल्लेख करना चाहता हूं जो विचाराधीन पड़े हैं। जिनके कारण अनेक सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ नहीं की जा सकी हैं। जब तक एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से संघर्ष नहीं करते केन्द्रीय सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती जब स्थिति विकट हो जाती है तब सरकार न्यायाधिकरण बना कर उनको मामले भेज देती है। वहां ये मामले वर्षों तक पड़े रहते हैं। केन्द्रीय सरकार राष्ट्र के हित में इस सम्बन्ध में कोई मनमाना निर्णय नहीं लेती है। कृषि मंत्री को ये मामले शीघ्र निपटाने चाहिएं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : तमिलनाडु सरकार द्वारा एक लाख टन खाद्यान्नों की मांग बहुत अधिक है। यह भी एक गंभीर समस्या है कि हमारी वन सम्पदा दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इस सम्बन्ध में कोई उपचारात्मक कार्यवाही करेंगे। वन सम्पत्ति के विनाश से वृष्ठि नहीं होती है और हरा खाद्य कम हो जाता है तथा भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। इस स्थिति से एक दिन भूमि की उर्वरता समाप्त हो जायेगी और सम्पूर्ण देश मरुस्थल बन जायेगा। भूमि की उर्वरता पर देश का विकास निर्भर करता है। इसी तरह वन्य जीव भी समाप्त होते जा रहे हैं। आजादी के समय हमारे देश में 50,000 शेर थे किन्तु 28 वर्ष बाद आज केवल 1800 शेर रह गये हैं। वन्य जीवों की रक्षा के लिए सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

गेहूं का मूल्य 125 रुपये प्रति क्विन्टल बहुत कम है और यदि यही रवैया रहा तो आगामी वर्ष देश में गेहूं नहीं मिलेगा। हमारी सरकार लम्बे रेशे की कपास का आयात करने में करोड़ों रुपये खर्च करती है। हमारे किसानों के परिश्रम से एक वर्ष में हमने न केवल आत्म-निर्भरता प्राप्त की है अपितु कपास का अतिरिक्त भण्डार भी है। किन्तु इससे किसानों को क्या मिला? इससे किसान या तो कपास को समुद्र में फेंक देंगे या जला देंगे, लेकिन सस्ते दामों पर नहीं बेचेंगे और इसके मूल्य कम नहीं होने दिए जायेंगे। सरकार को किसानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिए; अन्यथा अगले वर्ष कपास नहीं मिलेगी।

चीनी उद्योग के बारे में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। प्रत्येक दिन अलग-अलग वक्तव्य दिए जाते हैं। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह चीनी उद्योग को अपने अधिकार में नहीं लेगी। यह उद्योग अपनी 95 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहा है। प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क दिया जाता है। और 15–20 करोड़ रुपये आय कर के रूप में दिये जाते हैं। इस वर्ष सरकार ने चीनी निर्यात कर 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। सरकार को 250 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

भार्गव समिति ने अनुमान लगाया है कि यदि चीनी उद्योग को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया तो इसके आधुनिकीकरण तथा मुआवजे के भुगतान के लिए 140 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब यह राशि 300 करोड़ रुपये बन जायेगी सरकार पुरानी चीनी मिलों को अपने अधिकार में लेने के स्थान पर 300 करोड़ रुपये के नये कारखाने क्यों नहीं खोल देती? पुरानी चीनी मिलों के साथ प्रतियोगिता क्यों नहीं करती? अनिश्चितता के वातावरण के कारण चीनी मिलों के मालिक इन मिलों को आधुनिक नहीं बना रहे हैं और उनपर राशि निवेश भी नहीं कर रहे हैं। अतः सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि यदि चीनी कारखानों को आधुनिक बनाया जाये और वहां कार्यकुशलता से काम हो तो उन्हें अधिकार में नहीं लिया जायेगा।

हमारे देश में ज्वार और मक्का 2 रुपये प्रति किलो और गेहूं 5 से 6 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। चीनी को 2.15 रुपये किलो क्यों बेचा जा रहा है? सरकार को लेवी की चीनी पर शुल्क लगाना चाहिए और इसका मूल्य 3 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया जाना चाहिए। भार्गव आयोग ने निर्णय दिया है चीनी मिलों के लाभ का 50 प्रतिशत भाग गन्ना उत्पादकों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी चीनी का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। 14 से 15 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाना चाहिए ताकि देश का वित्तीय संकट समाप्त किया जा सके।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : Sir, more than half of the national income comes from agriculture. But as compared to industries adequate attention has not been paid to agriculture. More attention should be paid to agriculture. Water and power are necessary for irrigation purposes. But due to power shortage in the country demand for pumping sets is increasing day by day. In order to meet this demand production of pumping sets should be increased. Moreover agricultural farmers are poor and they can not purchase these pumping sets. The honourable Minister should ensure that Farmers get required money either from Cooperative Societies or from the Nationalised Banks.

There has been wide spread draught conditions in the country during the last two or three years. As a result of this there is not enough power generation. Consequently irrigation has suffered this adversely affected the food production. Fortunately this year power position has improved and bumper crop is expected. Government should not become complacent and money being spent on import of foodgrains should be invested in agriculture so that we may produce more foodgrains and build up stocks to become self-sufficient.

There is no doubt sugarcane production has gone up and sugarcane industry today has acquired second place in the country. But it is unfortunate that Cane growers do not get their dues immediately and their arrears are mounting up heavily. There arrears have not been cleared by the sugar mill owners. Government should see that interest on these arrears should be paid to the growers. There was a time when 60 per cent of sugar production of the country was produced in Uttar Pradesh. But now it has gone down to 42 to 43 per cent. It is only because of the fact that some mills have become very old and they should be modernised immediately because their machineries have become out dated. Moreover I am not in favour of taking over these sugarmills as this would not serve the purpose. Whenever any sugar mill is taken over by Government it should be ensured that apart from government officers, representatives of farmers and workers are also included in its management. This is the only way of increasing production.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, according to the figures published by the Ministry from time to time whereas during the last 6 years from 1965-66 to 1971-72 there is wonderful increase in wheat production which has almost doubled the production, after 1971 the position has deteriorated. It is no use putting the entire blame on nature alone. Government can not absolve itself from its responsibility. After nationalisation of wheat trade there has been 41 per cent rise in the price of wheat till December 1974. It is an indication of Government failure.

This rise in the prices of wheat is due to the fact that Government has been playing with words and has not given any incentives to the farmers. The prices of agricultural inputs, such as fertilisers, diesel and pesticides have been continuously increasing. The policy of Government in regard to the production of fertilizers has been totally misconceived. If the Government have failed in producing adequate ferilisers in the public sector they should have courage to run that private sector or foreign Company will be given opportunity to produce fertilisers. But Government have no courage of saying so.

Another failure of Govt. policy of the Government is that while in the case of wheat enough progress was made during 1965 to 1975, our agricultural research institutes, universities and Government departments have not done any remarkable work in the field of rice production.

Moreover, I would like to draw the attention of hon. Minister to the fact that there has been much bungling last year in the matter of despatch of wheat by the traders from Haryana and Punjab to West Bengal. They charged Rs. 200/- per quintal in black market but the invoice was prepared at controlled rates. Thereby they evased considerable tax. Last year I have made allegation that there was collusion between Government of West Bengal and the flour mills as a result of which the mills were allowed a milling margin of Rs. 200/- per tonne. According to my information the mill owners have paid lakhs of rupees to Shri Sidhartha Shankar Ray. Are the Congress Members, who talked much of removing corrupt ministers, prepared for an inquiry in this regard ? Let the speaker appoint a Committee or Commission of this House and refer this matter to that Committee or Commission for investigation.

सभापति महोदय : आपके ग्रुप को सात मिनट का समय निर्धारित किया गया है। मैंने 15 मिनट के बाद घण्टी बजाई है। आप अपना भाषण संक्षेप में दें।

Shri Madhu Limaye : I want that Government should formulate a long term food policy. While levy should be imposed on big farmers, the prices must be fixed keeping in view of the prices of agricultural inputs. When you have allowed sugar mill owners to sell their 35 per cent sugar in open market, the farmer should also be allowed to sell his produce in open market. Further the farmers should also be allowed to sell their produce in any part of the country. In the matter of foodgrains the whole country should form a common market and there should be no zonal restrictions, and there should be free movement of foodgrains.

So far as irrigation is concerned, after investing a large sum on this during the last 27 years the desired results have not been achieved. In order to give rural educated youths rural employment guarantee scheme should be implemented. Rural youth should be organised and they should be given productive work. The wages of agricultural labourers are very low, the wages should be increased.

The Government have no proper planning some time back the farmers were told of shortage of long stapple cotton, but when they started producing the same it was not purchased on the pretext that the same has been produced more than its requirement. Government should fix minimum price of cotton, Jute and Oil seeds and all their produce should be purchased by the Government. There is much bungling and misappropriation in Food Corporation of India. There is collusion between Food Corporation of India and Railway authorities as a result of which foodgrains are pilferred from railway wagons and it is being sold in black market. There are several cases which require investigation.

The question of nationalisation of sugar industry has been under consideration for a prety long time. But it appears Government want to keep it pending with a view to extract money from sugar magnates. Some concrete steps for nationalisation of sugar industry should be taken immediately. By increasing the price of levy sugar by 5 per cent the mill owners will get additional profit of 60 crores of rupees. But the dues of sugar cane growers are mounting up and the mill owners do not want to clear this amount. The Government should take some concrete step to nationalise sugar industry.

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Sir, I stand to support the demands of grant of Agriculture Ministry. The farmer is dependent on the trader and Government in the matter of fixation of procurement price of his produce. The procurement price of Rs. 105 per quintal of wheat fixed by the Government is very low. Even the cost of production estimated by the Punjab Government and Pant Nagar University is higher than Rs. 105. Justice should be given to the farmers and remunerative price for their produce should be given to them they should be given a price of at least Rs. 125/- or Rs. 130/- per quintal. Farmers using tractors are not getting tyres and tubes for their tractors. Tyres and tubes should be provided to them at controlled rates. When levy has been imposed on farmers, they should at least be given certain essential requirements and agricultural inputs at cheap price.

[**Shri Ishaque Sambhali in the chair.**
श्री इसहाक सम्भाली पीठासीन हुए ।]

There are certain research organisations functioning under the control of Indian Council of Agricultural Research. Favouritism and nepotism is wide spread prevalent in those organisations which has resulted in frustration among the staff. For instance the Director of I.V.R.I. had purchased machinery worth lakhs of rupees which are lying idle. This has amounted to wastage of public money. The hon. Minister should look into this matter. There is no comprehensive policy regarding Agriculture. Agriculture should be made a central subject. Constitution should be amended for this purpose also. There should be an assessment made every year regarding our requirements of foodgrains and other essential commodities.

A scheme for providing irrigation facilities for the entire country should be drawn up. The inter-state water disputes should be resolved expeditiously. The small irrigation scheme sould be implemented on priority basis. The underground water in the area between the Ganga and Jamuna should be utilized by sinking tube wells there.

Save Grain Campaign is going on very well. The pest control and rat control programme should be made more comprehensive. The vehicles provided by the UNICEF for child welfare are not being put to proper use. This matter should be looked into and set right.

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** (ओसग्राम) : जब तक कृषि में सुधार नहीं किया जाता किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी और देश खुशहाल नहीं हो सकता। अतः भूमि सुधार लागू किये जाने चाहियें और किसानों की हालत में सुधार किया जाना चाहिये। बाबू जगजीवन राम देश की खेती सम्बन्धी समस्याओं को ठीक प्रकार से जानते हैं। उद्योगों की प्रगति भी कृषि पर निर्भर करती है। यदि भूमि सुधार लागू नहीं किये गये, तो किसानों और बटाइदारों को आन्दोलन आरम्भ करने पर बाध्य होना पड़ेगा।

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

देश के जल संसाधनों का उचित प्रकार से उपयोग करके सिंचाई सुविधायें बढ़ाई जानी चाहियें। अच्छी फसलें पैदा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में उर्वरक बांटे जाने चाहियें। मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारा पहला प्रयास जल उपलब्ध कराने के लिये है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। गत वर्ष हमें 30 से 40 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ा था। इस पर एक बड़ी राशि विदेशी मुद्रा की व्यय करनी पड़ी है। मैंने पहले भी सुझाव दिया है कि हमें वनों को बढ़ाना चाहिये। नदियों पर तटबन्ध बनाने चाहियें। आसाम और बंगलादेश में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से प्रति वर्ष बहुत हानि होती है। गत वर्ष हुई तबाही का उदाहरण हमारे समक्ष है। हमें इस नदी पर नियन्त्रण करने के लिये इसके ऊपरी भाग में बांध बनाये जाने चाहियें। हमें हाल में हुए टेबल टैनिस टूर्नामेंट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए अच्छे वातावरण का चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने में लाभ उठाना चाहिए और तिब्बत में उक्त नदी पर नियन्त्रण के लिये बांध आदि की व्यवस्था करनी चाहिये। इस बारे में बंगलादेश के साथ भी विचार विमर्श किया जा सकता है।

ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी को जोड़ने की योजना भी बनायी जानी चाहिये। इससे गंगा नदी की जल समस्या का समाधान हो जायेगा। कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिये सरकार को गली नदी में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी चाहिये।

बर्दमान जिले में कुन्दर नदी में प्रति वर्ष दो बार बाढ़ आती है। यह पानी जमा हो जाने के कारण होता है। इससे आधी फसलें नष्ट हो जाती हैं। पानी के जमा होने को रोकने के लिये पानी के विकास की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

1974 में श्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद स्थापित की जायेगी। उसके लिये संविधान का संशोधन आवश्यक है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों के पास भेजा गया था। इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है? दामोदर योजना को पूरे तौर पर कार्यान्वित किया जाये।

Shri Basheshwar Nath Bhargava (Ajmer) : Sir, I support the demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I feel the amount provided for in the demands is inadequate. The Indian economy is based on agriculture. Fifty per cent of our national income is derived from agriculture. Our agriculture depends on monsoon to a large extent. That is why we have not been able to attain self sufficiency in the matter of foodgrains. If we want to increase our food production we will have to increase our irrigation facilities. Majority of our farmers are leading a difficult life, we will have to attend to this.

When Rajasthan Canal will be completed, our state will be in a position to meet the needs of the entire country. It is said that there is shortage of funds and the completion of the canal is being delayed.

We are not getting the full benefit of our water resources because of inter-state water disputes. Water is a national property. Its use is not the monoply of any single state. Rajasthan needs lot of water for irrigation. The Central Government should help

Under article 40 of the constitution state Governments are supposed to establish Panchayati raj. It is a pity that this has not been done properly. We should make the villagers and the other common people partners in the work of development. This can be done by strengthening the institution of Panchayats.

* **श्री शक्ति सरकार** (जयनगर): मैं कृषि नीति को समझ सकता हूं परन्तु सरकार की खाद्य नीति मेरी समझ में नहीं आती है। हमारी आज की नीति द्वितीय विश्व युद्ध के समय की नीति है। पश्चिम बंगाल में इस नीति के कारण लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। लोग कलकत्ता के बाजारों में रहने लगे हैं। कुछ लोग दिल्ली में आ गये हैं। इसका अर्थ तो यह है कि लोग गरीब ही नहीं हो गये बल्कि वे भिखारी बन गये हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि पूरी नीति पर चर्चा की जाये। मैं अपनी बात को मूल्य, वसूली और वितरण तक ही सीमित रखना चाहता हूं। मैं चावल के मूल्य को 74 रुपये क्विटल और गेहूं के मूल्य को 105 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित करने को ठीक नहीं समझता सभी जानते हैं कि धान का उत्पादन लागत गेहूं की उत्पादन लागत की अपेक्षा कहीं अधिक है। परन्तु सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया है। इससे देश के पूर्वी भाग के धान उत्पादकों का शोषण हो रहा है। धान का इतना कम मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं है। मैं स्वयं कृषक हूं और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि निर्धारित मल्य उत्पादकों के प्रति अन्याय है। ऐसा करके सरकार ने मारे पूर्वी क्षेत्र के धान उत्पादकों के साथ अन्याय किया है।

कहा जाता है कि पश्चिमी बंगाल खाद्यान्नों के मामले में परम्परा से कमी वाला क्षेत्र है। वास्तव में पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का अभाव नहीं है। यदि कोई कमी है तो वह वितरण व्यवस्था है। प्रदेश की जनसंख्या 4.55 करोड़ है। राज्य की खाद्यान्न की खपत 60 लाख टन है जबकि उपज 90 लाख टन है अतएव कमी का प्रश्न ही नहीं उठता और लेवी लगाने का प्रश्न ही नहीं है। सरकार द्वारा सभी कठोर उपायों के अपनाने के बावजूद भी वह अपने वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि वसूली नीति अवैतनिक तथा यथार्थवादी है।

लैवी वसूल करने के नाम पर पश्चिम बंगाल में तरह-तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार का कहना है कि यदि राज्य सरकार खाद्यानों की निर्धारित वसूली नहीं कर पाएगी तो उन्हें केन्द्र से आवंटिन होने वाले कोटे से वंचित रखा जाएगा। एक ओर तो यह किसानों को अधिक पैदावार के लिये कहते हैं और दूसरी ओर उन्हें यातना देते हैं। सुन्दरवंस क्षेत्र में शुष्क खेती के तरीकों को शुरू करने तथा उनमें सुधार करने के बारे में कुछ नहीं किया गया है। इसके चारों ओर जल है तथा वहां मछलियों की बहुतायत है लेकिन इस सम्पन्न स्रोत के उपयोग के लिये किसी ने कोशिश नहीं की। सरकार ने वहां एक मत्स्य अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति दी है लेकिन वह योजना केवल कागज पर ही लिखी रह गई है। इन मामलों को शिघ्र लिया जाये तथा बिना किसी विलम्ब के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाये।

Shri Onkar Lal Berwa (Katch) : Rajasthan is in the grip of famine and even drinking water is not available what to talk of water for irrigation. People have been for long looking for Rajasthan canal but the State Government has adopted an indifferent attitude towards its construction. That project should be taken over by the Central Government and completed quickly.

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

In some parts of Rajasthan there are drought conditions while in some parts there are floods. It was suggested that silt in the rivers be removed but nothing has been done so far. Rivers should be desilted as early as possible so that flood water might find its way out.

The Agricultural Prices Commissioner has fixed the procurement price of wheat at Rs. 105/- per quintal. That price is not adequate. When the price of inputs has increased so much this price should also be increased to Rs. 125/- per quintal, if not Rs. 140/- per quintal.

The States collect the levy by force. They harassed farmers. The Government should procure foodgrains from open market and not from farmers.

It is being propagated that 'Gobar' gas plants are useful and in every village a 'gober' gas plant should be set up. But has any assessment been made that how many cattle are there in each village and how much 'gober' would be available for this purpose. Cattle are being killed. Cow slaughter should be banned and this project implemented.

The price of tractors, tyres and diesel have increased considerably. They should be made available at fair prices to the farmers.

The farmers have not been paid for the peddy procured from them. They are in need of money. The State Government should be asked to make payment for peddy quickly.

***श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** (अडूर) : देश को स्वतन्त्र हुए 27 वर्ष हो गए हैं । फिर भी हम खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। खाद्यान्नों का अभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुलकों तथा बड़े किसानों का सरकार के नीति निर्णयों पर प्रभाव होने की वजह से ही है ।

अधिकांश लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे के स्तर पर निर्वाह कर रहे हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कललड़ एक नमक परियोजना है जो 1961 में प्रारम्भ हुई जिसके व्यय का अनुमान 13.28 करोड़ लगाया गया था। 10 वर्ष पश्चात् व्यय 45 करोड़ रुपया हो गया । केरल में उक्त परियोजना तथा कई अन्य परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। आधारभूत योजना के अभाव में ऐसा हो रहा है। खाद्यान्नों के वितरण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। राज्य अपनी खाद्य की आवश्यकताओं के लिये पूर्णतया केन्द्र पर निर्भर है। हमें अपने राज्य में राशन प्रणाली को बनाये रखने के लिये 65000 टन चावल की आवश्यकता है लेकिन अभी हमें यह केन्द्र से प्राप्त नहीं हुआ है। केरल में 16 लाख से भी अधिक लोग नारियल बागान पर निर्भर हैं। पेड़ों को कीड़ों से बचाने के लिये केरल सरकार ने एक योजना बनाई है। लेकिन केन्द्र ने अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं दी है।

केरल में काजू कारखाने बन्द हो रहे हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ उपाय करने चाहिएं।

---

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : पिछला वर्ष हमारे देश में वास्तव में एक कठिन वर्ष था। हमारी खाद्य तथा कृषि अर्थव्यवस्था को कई संकटों का सामना करना पड़ा। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। परन्तु इसमें प्राकृतिक आपदाएं तथा ऊर्जा संकट मुख्य हैं जिन्होंने हमारी कठिनाई को और बढ़ाया।

कुछ सदस्यों ने सरकार की कृषि और खाद्य नीति को दोषपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि देश में कृषि उत्पादन सरकार के असफल नीति के कारण कम हो रहा है लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन यह है कि देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और इस लिए हम समुचित प्रगति कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश हम अभी भी अपनी फसलों के लिए जल देवता पर निर्भर करते हैं। ज्वार तथा बाजरा का सिंचित क्षेत्र 4 प्रतिशत है, तिलहन का 7 प्रतिशत, दालों का 9 प्रतिशत, मक्का का 14 प्रतिशत तथा चावल की फसल भी वर्षा के जल पर निर्भर है। केवल 39 प्रतिशत चावल क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र है। गेहूं के सन्दर्भ में सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है, अर्थात् 54 प्रतिशत। भारत सरकार का प्रयास अपनी अर्थव्यवस्था को इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का है।

इस वर्ष देश में कपास उत्पादन का सामान्य स्तर बहुत ऊंचा रहा है। भयंकर सूखे के बावजूद भी 58–60 लाख गांठों का उत्पादन हुआ जबकि 3 वर्ष पहले उत्पादन 50–52 लाख गांठ था। हम इस स्थिति में हैं कि देश के लिये चाहे जितनी कपास उगा लें। ऐसी सफलता हमें अचानक नहीं मिली है यह सरकार के समुचित उपायों का परिणाम है।

इस वर्ष गेहूं का उत्पादन भी एक रिकार्ड कायम करेगा। यह कहा गया है कि 1971 के बाद गेहूं के उत्पादन में कमी हो रही है। लेकिन यह बात सही नहीं है। 1972–73 के बाद गेहूं के उत्पादन में कमी हुई और ऐसा बिजली के कमी के कारण हुआ। फिर भी उर्वरकों के सम्बन्ध में हमें कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। शीतकाल सर्वदा शुष्क रहा और इस कारण इसमें कमी हुई। लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों के प्रयासों के फलस्वरूप परिणाम संतोषजनक रहा। इस वर्ष 270 लाख टन गेहूं के उत्पादन की आशा है। इतना उत्पादन हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। 8–9 वर्ष पहले हमारा उत्पादन केवल 110–120 लाख टन ही थी।

इस वर्ष कुल रबी उत्पादन में रिकार्ड उत्पादन होगा। उत्पादन 430–440 लाख टन होगा। यह उत्पादन हमारी अर्थ-व्यवस्था को काफी शक्ति प्रदान करेगा।

पिछले वर्ष खाद्य तेल 12–13 रुपये प्रति किलो बेचा जाता था। इस वर्ष गुजरात में 86–87 लाख टन तिलहन का उत्पादन होने की सम्भावना है। यदि वहां पर सूखा न होता तो वहां देश में सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन होता।

कहा गया है कि चावल का उत्पादन कम होने की संभावना है। लेकिन यह सही नहीं है। गत वर्ष 436 लाख टन उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया था। इस वर्ष यद्यपि रिकार्ड उत्पादन नहीं होगा फिर भी उत्पादन कम नहीं होगा। हमारे कुछ महत्वपूर्ण चावल उत्पादक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष देश में 300–410 लाख टन चावल का उत्पादम होने की संभावना है। जो सामान्य उत्पादन लक्ष्य से कम नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि मूल्य स्थिति कैसी है। यद्यपि मूल्यों में वृद्धि हुई है फिर भी कृषि उत्पादन बढ़ा है। दालों के मूल्य भी कम हुए हैं।

भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं, जिनके फलस्वरूप सुधार हुआ है। इन में एक कदम तो यह है कि खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ी है और उत्पादकों तथा व्यापारियों से अनाज वसूल किया गया है। सरकार द्वारा उठाये गए मुद्रास्फीति विरोधी कदमों से मुद्रा के परिचालन में काफी नियंत्रण आया है। विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के बावजूद हम यह महसूस करते हैं कि यदि देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नहीं हुए तो हमारी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । माननीय सदस्यों को उर्वरक की कीमतों के बारे में शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन वे यह महसूस करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति क्या है ? हम दो या तीन वर्षों से यूरिया खाद 500 रुपये प्रति टन से खरीद रहे हैं। लेकिन अब इसका मूल्य बढ़कर 3000 रुपये या 3,500 रुपये प्रतिटन हो गया है । लेकिन भारत सरकार ने यह सोचा है कि कृषि प्रथम प्राथमिकता का क्षेत्र है, और कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जायें, हमें उर्वरकों का बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ेगा। भारतीय कृषि की सहायता की दृष्टि से हमने 500 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य का उर्वरक आयात किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने भारतीय खाद्य निगम में हुई कुछ घटनाओं, तथा उसकी लागत एवं प्रभार के बारे में प्रश्न उठाया है। वस्तुतः भारत सरकार ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला है कि वहां मितव्ययता करने की गुंजाइश है। अतः हमने खाद्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी है जो इन सभी मामलों की जांच करेगी । इस समिति की रिपोर्ट अब उपलब्ध हो गई है और उन्होंने अत्यन्त बहुमूल्य सिफारिशें की हैं तथा हम खाद्य निगम से इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कह रहे हैं। कुछ सदस्यों का विचार है कि यह व्यापार बहुत कम लाभ से भी किया जा सकता है। हमने अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संगठन से पूछा है कि यदि वे देश भर में और सारे वर्ष भर अपना कार्य संचालन करना चाहें तो उसका आनुषंगिक भार और लागत क्या होगी। उन्होंने बताया है कि 30 रुपये प्रति क्विंटल तो कार्यसंचालन लागत होगी। अब यदि हम इस पर 25–27 रुपये खर्च करते हैं तो यह व्यापार से कैसे अधिक है।

भारतीय खाद्य निगम की 1974–75 तक वसूली आनुषंगिक भार लगभग 9—10 रुपये था। इनमें से 80 प्रतिशत पर भारतीय खाद्य निगम का कोई नियंत्रण नहीं था। क्योंकि यह या तो बोरी का मूल्य है और या राज्य सरकार द्वारा लिया गया मण्डी प्रभार या बिक्री कर है। यदि भारतीय खाद्य निगम की सांविधिक प्रभार या उसके नियंत्रण के बाहर प्रभार के लिये आलोचना की जाय तो यह अनुचित ही है।

जहां तक भण्डारण, सभी प्रकार के अनाज के लाने-ले-जाने और वितरण लागत का सम्बन्ध है यह 15 रुपये के लगभग आती है। इस मामले में भी 3—3 1/2 रुपये से अधिक जो भी लागत आई है वह सारा खर्च भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रण के बाहर है। यह निगम अखिल भारतीय निकाय है और इसे अखिल भारतीय स्तर पर कार्य संचालन करना पड़ता है। हम सभी राज्यों में समान मूल्य पर अनाज की सप्लाई रेलवे स्टेशन पर ही करते हैं। संभवतः अखिल भारतीय परिवहन लागत को मिलाया ही जाता है।

जहां तक लेवी का संबंध है हमने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि छोटे किसानों को इस लेवी से छूट दे दी जाये। लेकिन हम सभी को लेवी लेने के लिये वातावरण तैयार करना है। हमारा देश के प्रति, समाज के निर्धन वर्गों के प्रति, नियत आय वाले शहरी लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और निर्धन लोगों के प्रति कर्त्तव्य है। सदन में सदैव मांग की जाती है कि लोक वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए जब तक खाद्यान्न की चोरी रोकने के लिये कोई कारगर तरीका

नहीं निकाला जायेगा तब तक यह व्यवस्था कैसे हो सकती है। इस मोर्चे पर हमें अपने संसाधन जुटाने का यह भी एक कारगर तरीका है। दुर्भाग्य से राज्य सरकारों को इस संबंध में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि वहां जनता का सहयोग नहीं था।

पशुपालन के बारे में उल्लेख किया गया है। यह सच है कि देश का पशु-धन हमारी अर्थव्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन हमारे देश में अच्छी नसल की गायें नहीं हैं। इसका कारण है कि पशुपालन के प्रश्न को लेकर धार्मिक और अनुचित तरीका अपनाया गया है। इस देश में अच्छी प्रजनन नीति बनाने की आवश्यकता है। जब तक भावनाएं और संवेदनाएं दूर नहीं की जाएंगी पशुपालन के विकास के मार्ग में कठिनाइयां बनी रहेगी।

कहा गया है कि देश को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तरह एक सांझा जोन बनाया जाये। लेकिन भारत में पश्चिमी यूरोप से भिन्न परिस्थितियां हैं। हमारा यह अनुभव है कि यदि उत्पादक राज्यों म फालतू अनाज को नहीं लिया गया है तो हम राज्य सरकार की सहायता नहीं कर सकते।

कुछ वर्ष पहले हमने खाद्यान्न नीति समिति गठित की थी और इस बात पर विचार किया था कि क्या खाद्य जोनों की व्यवस्था भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है अथवा इससे खाद्य अर्थव्यवस्था ठीक रखने और खाद्य समस्या हल करने में सहायता मिलती है। उस समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि जब तक खाद्य उत्पादन का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा इस देश को खाद्य जोन बनाने ही पड़ेंगे।

पूर्वोत्तर भारत में बटाई की खेती कृषि विकास में मुख्य रुकावट है। कानून या नीतियों का अभाव नहीं है। भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि बटाई की खेती करने वालों को स्वामी-कृषक बनाना पड़ेगा या कम से कम बेदखल किये बिना उन्हें स्थायी रूप में खेती करने का अधिकार दिया जायेगा। उन्हें ऋण तथा अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिएं। लेकिन भूमि सुधार क्रियान्वयन कार्य सांविधिक आदेशों या प्रशासनिक कार्यवाही पर ही निर्भर नहीं करते हैं बल्कि यह उन लोगों की इच्छा पर, जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं, तथा समाज सुधार को सफल बनाने वाले राजनीतिक दलों की सामान्य जागरुकता पर भी निर्भर करता हैं।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : A very big project of Patna District which has been prepared for three-four districts combined namely Fatuha, Mokameh and Brehic Tal project. What is the present attitude of the Government towards that project ? If the project is considered useful, to what extent the Government can help in its implementation.

The Committee on Petitions expressed the view that the problem of erosion is very serious in the State. Hundreds of houses have been destroyed as a result thereof. The State Government is not in a position to take up such a big project. Would the Centrai Government consider helping the Bihar State in matter ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महाराष्ट्र जैसे राज्य में न केवल उत्पादन अपितु वसूली को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। राज्य के मुख्य मंत्री ने रूई उत्पादकों को 30 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत नकद देने की घोषणा की है। इसके लिये उन्होंने 65 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी। क्या कृषि मंत्री वित्त मंत्रालय पर प्रभाव डालकर रूई उत्पादकों को राहत दिलाएंगे ?

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परमणि) : महाराष्ट्र में कुल तीन ही फसलें होती हैं अर्थात चीनी, केला और रूई और यह तीनों केन्द्रीय नीतियों का शिकार हैं। लम्बे रेशे वाली रूई के निर्यात की क्या स्थिति है ?

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : रूई के प्रश्न पर मंत्री महोदय ने वाणिज्य मंत्रालय को उत्तरदायी बताया था परन्तु उक्त मंत्रालय केवल वस्त्र मिलों के बारे में चिन्तित है। यदि लम्बे रेशे की रूई के उत्पादन के लिये समर्थन मूल्य नहीं दिया जायेगा तो हमें लम्बे रेशों की रूई का आयात करना पड़ेगा। कृषि मंत्रालय समर्थन मूल्य देने की घोषणा करे।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : रूई की बिक्री वाणिज्य मंत्रालय का कार्य है। मेरा मंत्रालय उसके उत्पादन कार्यक्रमों से संबंधित है। अतएव ये मामले अंर्तमंत्रालय से सम्बन्धित है। हम निरन्तर सम्बद्ध मंत्रालय से अग्रह करते रहेगें।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 अप्रैल, 1975/20 चैत्र, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 10th April, 1975/ Chaitra 20, 1897 (Saka).

MGIPRRND— 19 LSS/75—Sec. I (D)—18-8-75—200.

P.L.S. 48. 30. L. (N)
200

© 1975 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110027 द्वारा मुद्रित ।

© 1975 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI – 110027